



# विनियोग लेखे

## 2019-2020

(1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक)



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



जम्मू एवं कश्मीर सरकार



# विनियोग लेखे

2019-20

(1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक)

जम्मू एवं कश्मीर सरकार



**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक) के लिए तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के ये वित्त एवं विनियोग लेखे संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किये जा रहे हैं।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उप राज्यपालों को भी प्रेषित किये जा रहे हैं।



## विषय सूची

	पृष्ठ
<b>प्रस्तावना</b>	.. iii-iv
विनियोग लेखाओं का सारांश	.. v-xiv
<b>भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र</b>	<b>xv-xvii</b>
अनुदान/ विनियोग का नाम और संख्या	
1. सामान्य प्रशासन विभाग	.. .. . 1-8
2. गृह विभाग	.. .. . 9-14
3. योजना विभाग	.. .. . 15-18
4. सूचना विभाग	.. .. . 19-20
5. लद्दाख मामले विभाग	.. .. . 21-22
6. विद्युत विकास विभाग	.. .. . 23-30
7. शिक्षा विभाग	.. .. . 31-33
8. वित्त विभाग	.. .. . 34-43
9. संसदीय मामले विभाग	.. .. . 44-46
10. विधि विभाग	.. .. . 47-50
11. उद्योग और वाणिज्यिक विभाग	.. .. . 51-54
12. कृषि विभाग	.. .. . 55-61
13. पशु/ भेड़पालन विभाग	.. .. . 62-64
14. राजस्व विभाग	.. .. . 65-67
15. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	.. .. . 68-70
16. लोक निर्माण विभाग	.. .. . 71-76

## विषय सूची (समाप्त)

17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	..	..	..	..	77-88
18.	समाज कल्याण विभाग	..	..	..	..	89-96
19.	आवास तथा शहरी विकास विभाग	..	..	..	..	97-100
20.	पर्यटन विभाग	..	..	..	..	101-104
21.	वन विभाग	..	..	..	..	105-108
22.	सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण विभाग	..	..	..	..	109-115
23.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	..	..	..	..	116-118
24.	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	..	..	..	..	119-121
25.	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	..	..	..	..	122-124
26.	मत्स्यपालन विभाग	..	..	..	..	125-126
27.	उच्चतर शिक्षा विभाग	..	..	..	..	127-129
28.	ग्रामीण विकास विभाग	..	..	..	..	130-134
29.	परिवहन विभाग	..	..	..	..	135-136
30.	जनजाति मामले विभाग	..	..	..	..	137-138
31.	संस्कृति विभाग	..	..	..	..	139-141
32.	उद्यान कृषि विभाग	..	..	..	..	142-144
33.	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग	..	..	..	..	145-147
34.	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	..	..	148-149
35.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	..	..	..	..	150
36.	सहकारी विभाग	..	..	..	..	151-152

### परिशिष्ट

I	आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किया गया व्यय	..	..	..	..	155
II	वसूलियों से संबंधित अनुमानों और वास्तविकताओं का अनुदान-वार विवरण व्यय की कटौती सहित लेखाओं में समायोजित	..	..	..	..	156-157



## प्रस्तावना

जम्मू एवं कश्मीर सरकार का बजट प्रारंभिक रूप से पूरे वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) हेतु पारित किया गया था। तथापि, "जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019" के अनुसार दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (विधानमण्डल सहित) और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख (विधानमण्डल रहित) का गठन 'नियुक्त दिवस' 31 अक्टूबर 2019 से किया गया था। इस संकलन में 1.04.2019 से 30.10.2019 तक की अवधि हेतु विनियोग लेखे सम्मिलित हैं जो कि 1.04.2019 से 30.10.2019 तक की अवधि हेतु पूर्व वास्तविकताओं में विनिर्दिष्ट धनराशि की तुलना सहित, उक्त अवधि के दौरान व्यय की गयी धनराशि के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं जैसा कि मार्च 2020 में संसद द्वारा पारित अनुदान 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित हुआ।

इन लेखाओं में-

'ओ' मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है

'एस' अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है

'आर' सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, आहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग तथा व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है:

2. जम्मू एवं कश्मीर बजट नियमपुस्तिका में परिकल्पित बजटीय पद्धति से महत्त्वपूर्ण विचलन में, राज्य सरकार ने विभिन्न प्राथमिक इकाइयों वाली कुछ विशिष्ट योजनाओं के प्रति नियंत्रक अधिकारियों के साथ एकमुश्त बजटीय अनुदानों को प्रस्तुत किया तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अनुदानों की अनुमोदित मांग में अपरिकल्पित, विभिन्न योजनाओं पर नियमित रूप से व्यय किया।

इन आधारभूत सरकारी लेखांकन सिद्धांतों से विचलनों के कारण, लेखापरीक्षा निम्नलिखित से वंचित रही:

- (क) उप शीर्ष-वार आधिक्य/ बचत की तुलना करने।
- (ख) यह टिप्पणी करने हेतु कि क्या योजनाओं पर किया गया व्यय विधिक रूप से उपलब्ध था तथा अनुमोदित अनुदानों की मांग में अनुपलब्ध किसी "सेवा के नये साधन/ नयी सेवा" पर प्रयुक्त नहीं किया गया।

- (ग) इस प्रकाशन में संबंधित अनुदानों में उपयुक्त टिप्पणियाँ की गयी हैं। उप शीर्षों, जिनके संबंध में बजट प्रावधान पर आधिक्य ₹ एक लाख और इससे ऊपर और बजट प्रावधान के प्रति बचतें ₹ पाँच लाख और इससे ऊपर हैं, को इस संकलन प्रदर्शित किया गया है।

## विनियोग लेखे का सारांश

अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	अनुदान या विनियोग की राशि (क)	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत			
					राजस्व(%)		पूँजीगत (%)	
					2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019
(₹ हजार में)								
1	सामान्य प्रशासन विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	2,12,40,04	1,99,81,02	12,59,02	-	17	6	
	प्रभारित	12,38,72	12,30,82	7,90	-	13	1	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	6,49,62	2,59,87	3,89,75	-			89 60
2	गृह विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	37,61,10,92	36,66,67,00	94,43,92	-	10	3	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	3,70,28,42	2,53,58,45	1,16,69,97	-			64 32
3	योजना विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	56,79,13	41,13,74	15,65,39		480	28	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	4,24,69,35	1,26,07,75	2,98,61,60	-			83 70
4	सूचना विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	37,03,54	33,69,01	3,34,53	-	16	9	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	50,00	4,40	45,60	-			54 91
5	लद्दाख मामले विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	5,39,25,20	5,49,38,50	10,13,30 (10,13,30,239)		1	2	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	1,18,78,41	1,18,78,41	..	-			- ..
6	विद्युत् विकास विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	41,32,01,60	39,85,12,36	1,46,89,24	-	18	4	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	1,98,05,43	79,16,24	1,18,89,19	-			96 60

(क) पूर्व वास्तविकताओं को दर्शाता है जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 31 अक्टूबर 2019 'नियुक्त दिवस' से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के गठन के संदर्भ में संसद (मार्च 2020) द्वारा पारित वर्ष 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित हुआ।

## विनियोग लेखे का सारांश

अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	अनुदान या विनियोग की राशि (क)	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत			
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)	
					2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019
(₹ हजार में)								
7	शिक्षा विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	35,97,52,59	36,77,25,12	79,72,53 (79,72,52,770)	14	2		
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	52,08,59	46,84,96	5,23,63	-		46	10
8	वित्त विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	42,11,77,63	52,98,94,12	10,87,16,49 (10,87,16,48,667)	24	26		
	प्रभारित	17,36,79,23	33,55,40,95	16,18,61,72 (16,18,61,72,357)	8	93		
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	5,35,02	1,87,65	3,47,37	-		99	64
	प्रभारित	1,41,76,30,00	1,56,65,77,25	14,89,47,25 (14,89,47,25,329)	-		15	10
9	संसदीय मामले विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	22,84,80	22,71,28,	13,52	-	11	1	
	प्रभारित	35,40	25,72	9,68	-	31	27	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	1,60,00	1,80,00	20,00 (20,00,000)			34	12
10	विधि विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	7,07,37,86	6,20,04,70	87,33,16	-	15	12	
	प्रभारित	26,70,50	26,17,77	52,73	-	6	2	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	33,28,24	11,28,64	21,99,60	-		58	66
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	2,20,61,64	1,52,89,13	67,72,51	-	9	31	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	40,46,21	39,21,72	1,24,49	-		37	3

(क) पूर्व वास्तविकताओं को दर्शाता है जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 31 अक्टूबर 2019 'नियुक्त दिवस' से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के गठन के संदर्भ में संसद (मार्च 2020) द्वारा पारित वर्ष 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित हुआ।

## विनियोग लेखे का सारांश

अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	अनुदान या विनियोग की राशि (क)	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत			
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)	
					2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019
(₹ हजार में)								
12	कृषि विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	4,09,63,80	5,29,17,13	1,19,53,33 (1,19,53,32,954)	28	29		
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	48,16,40	24,24,10	23,92,30	-		83	50
13	पशु/ भेड़ पालन विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	3,09,63,02	2,83,56,94	26,06,08	-	4	8	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	39,63,40	7,01,67	32,61,73	-		62	82
14	राजस्व विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	3,47,30,61	2,51,60,45	95,70,16	-	20	28	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	4,71,00		4,71,00	-		52	100
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	1,05,03,98	1,81,22,81	-	76,18,83 (76,18,83,257)	6	73	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	35,28,92	31,83,58	3,45,34	-		16	10
16	लोक निर्माण विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	6,20,39,70	5,74,85,68	45,54,02		161	7	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	8,04,23,18	5,80,69,83	2,23,53,35	-		53	28
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	22,16,17,75	19,44,42,45	2,71,75,30	-	5	12	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	60,88,52	1,49,09,28	-	88,20,76 (88,20,76,274)		2	145

(क) पूर्व वास्तविकताओं को दर्शाता है जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 31 अक्टूबर 2019 'नियुक्त दिवस' से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के गठन के संदर्भ में संसद (मार्च 2020) द्वारा पारित वर्ष 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित हुआ।

## विनियोग लेखे का सारांश

अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	अनुदान या विनियोग की राशि (क)	व्यय	बचत	आधिक्य (₹ हजार में)	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)		
					2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	
18	समाज कल्याण विभाग-								
	<b>राजस्व</b>								
दत्तमत	6,44,73,70	6,65,51,64		20,77,94 (20,77,94,332)	23	3			
	<b>पूँजीगत</b>								
दत्तमत	6,13,43	1,15,30	4,98,13	-			90	81	
19	आवास और शहरी विकास विभाग-								
	<b>राजस्व</b>								
दत्तमत	3,06,30,92	3,62,21,64		55,90,72 (55,90,72,236)	1	18			
	<b>पूँजीगत</b>								
दत्तमत	2,08,86,46	4,64,60,52		2,55,74,06 (2,55,74,06,238)			72	122	
20	पर्यटन विभाग-								
	<b>राजस्व</b>								
दत्तमत	64,01,13	62,82,43	1,18,70	-	14	2			
	<b>पूँजीगत</b>								
दत्तमत	1,05,73,39	22,52,22	83,21,17	-			78	79	
21	वन विभाग-								
	<b>राजस्व</b>								
दत्तमत	4,24,10,02	4,39,99,51		15,89,49 (15,89,48,550)	1	4			
	<b>पूँजीगत</b>								
दत्तमत	74,22,34	15,23,73	58,98,61	-			73	79	
22	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग-								
	<b>राजस्व</b>								
दत्तमत	4,80,93,69	3,37,62,27	1,43,31,42	-	17	30			
	<b>पूँजीगत</b>								
दत्तमत	1,16,94,48	79,76,71	37,17,77	-			82	32	

(क) पूर्व वास्तविकताओं को दर्शाता है जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 31 अक्टूबर 2019 'नियुक्त दिवस' से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के गठन के संदर्भ में संसद (मार्च 2020) द्वारा पारित वर्ष 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित हुआ।

## विनियोग लेखे का सारांश

अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	अनुदान या विनियोग की राशि (क)	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत			
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)	
					2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019
(₹ हजार में)								
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	10,80,79,96	9,29,98,39	1,50,81,57	-	..	14	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	2,62,74,52	1,01,44,18	1,61,30,34	-		21	61
24	आतिथ्य सत्कार और प्रोटोकॉल विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	1,37,84,97	1,34,57,19	3,27,78	-	3	2	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	8,30,96	8,69,05	38,09 (38,08,979)			17	5
25	श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	60,44,85	42,56,99	17,87,86	-	4	30	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	24,37,38	22,77,23	1,60,15	-		57	7
26	मत्स्यपालन विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	50,14,02	47,32,48	2,81,54	-	6	6	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	1,83,10	3,51,00	1,67,90 (1,67,90,046)			28	92
27	उच्चतर शिक्षा विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	5,46,79,19	5,09,96,01	36,83,18	-	5	7	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	1,28,03,03	84,44,70	43,58,33	-		42	34
28	ग्रामीण विकास विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
	दत्तमत	2,60,53,13	2,38,44,22	22,08,91	-	6	8	
	<b>पूँजीगत</b>							
	दत्तमत	26,81,79,53	22,39,05,96	4,42,73,57	-		41	16

(क) पूर्व वास्तविकताओं को दर्शाता है जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 31 अक्टूबर 2019 'नियुक्त दिवस' से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के गठन के संदर्भ में संसद (मार्च 2020) द्वारा पारित वर्ष 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित हुआ।

## विनियोग लेखे का सारांश

अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	अनुदान या विनियोग की राशि (क)	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत			
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)	
					2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019
(₹ हजार में)								
29	परिवहन विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
दत्तमत	32,13,59	33,83,54		1,69,95 (1,69,95,133)	10	5		
	<b>पूँजीगत</b>							
दत्तमत	7,74,83	7,52,88	21,95	-			10	3
30	जनजातीय मामले विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
दत्तमत	23,53,82	16,07,95	7,45,87	-	8	32		
	<b>पूँजीगत</b>							
दत्तमत	14,80,75	2,52	14,78,23				224	99
31	संस्कृति विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
दत्तमत	31,29,51	28,77,53	2,51,98	-	22	8		
	<b>पूँजीगत</b>							
दत्तमत	2,14,39	1,69,42	44,97	-			36	21
32	उद्यान कृषि विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
दत्तमत	67,84,38	66,29,56	1,54,82	-	6	2		
	<b>पूँजीगत</b>							
दत्तमत	8,04,50	13,79,44		5,74,94 (5,74,93,502)			68	71
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग-							
	<b>राजस्व</b>							
दत्तमत	2,94,27,22	6,77,73,74		3,83,46,52 (3,83,46,51,628)	9	130		
	<b>पूँजीगत</b>							
दत्तमत		21,21		21,21 (21,21,165)			89	100

(क) पूर्व वास्तविकताओं को दर्शाता है जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 31 अक्टूबर 2019 'नियुक्त दिवस' से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के गठन के संदर्भ में संसद (मार्च 2020) द्वारा पारित वर्ष 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित हुआ।



## विनियोग लेखे का सारांश

अनुदान या विनियोग का नाम और संख्या	अनुदान या विनियोग की राशि (क)	व्यय	बचत	आधिक्य (₹ हजार में)	बचत/ आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व(%)		पूँजीगत(%)		
					2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	2018-19	2019-20 समाप्ति 30/10/2019	
34	युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा विभाग-								
	<b>राजस्व</b>								
	दत्तमत	3,45,24,97	2,17,23,43	1,28,01,54	-	13	37		
	<b>पूँजीगत</b>								
	दत्तमत	3,33,28	4,11,61		78,33 (78,33,162)			83	23
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग-								
	<b>राजस्व</b>								
	दत्तमत	7,41,94	6,59,94	82,00	-	8	11		
	<b>पूँजीगत</b>								
	दत्तमत	99,00		99,00	-			95	100
36	सहकारी विभाग-								
	<b>राजस्व</b>								
	दत्तमत	29,40,76	24,05,73	5,35,03	-	15	18		
	<b>पूँजीगत</b>								
	दत्तमत	85,00	84,02	98	-			25	1
<b>कुल राजस्व:</b>									
	दत्तमत-	2,63,94,75,58	2,68,54,15,63	13,91,09,05	18,50,49,10				
	प्रभारित	17,76,23,85	33,94,15,26	70,31	16,18,61,72				
<b>पूँजीगत :</b>									
	दत्तमत-	59,01,41,08	45,45,58,25	17,08,78,12	3,52,95,29				
	प्रभारित	1,41,76,30,00	1,56,65,77,25	-	14,89,47,25				
	<b>कुल योग</b>	<b>4,82,48,70,51</b>	<b>5,04,59,66,39</b>	<b>31,00,57,48</b>	<b>53,11,53,36</b>				
	<b>राजस्व :</b>	<b>2,81,70,99,43</b>	<b>3,02,48,30,89</b>	<b>13,91,79,36</b>	<b>34,69,10,82</b>				
	<b>पूँजीगत</b>	<b>2,00,77,71,08</b>	<b>2,02,11,35,50</b>	<b>17,08,78,12</b>	<b>18,42,42,54</b>				

(क) पूर्व वास्तविकताओं को दर्शाता है जैसा कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 31 अक्टूबर 2019 'नियुक्त दिवस' से दो नये संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के गठन के संदर्भ में संसद (मार्च 2020) द्वारा पारित वर्ष 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित हुआ।

**विनियोग लेखे का सारांश (जारी)**

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों की अधिकता के नियमितीकरण की आवश्यकता है:

**राजस्व भाग**

- 05- लद्दाख मामले विभाग
- 07- शिक्षा विभाग
- 08- वित्त विभाग
- 12- कृषि विभाग
- 15- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
- 18- समाज कल्याण विभाग
- 19- आवास एवं शहरी विकास विभाग
- 21- वन विभाग
- 29- परिवहन विभाग
- 33- आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग

**पूँजीगत भाग**

- 09- संसदीय मामले विभाग
- 17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
- 19- आवास एवं शहरी विकास विभाग
- 24- आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग
- 26- मत्स्यपालन विभाग

32- उद्यान कृषि विभाग

33- आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग

34- युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों की अधिकता के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

#### **राजस्व भाग**

08. वित्त विभाग

#### **पूँजीगत भाग**

08. वित्त विभाग

### विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

जैसा कि अनुदान और प्रभारित विनियोग सकल राशियों के व्यय के लिए आवश्यक हैं, उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में व्यय की कमी में लेखाओं में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित नहीं हैं। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं। वर्ष 2018-19 के लिए विनियोग लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखाओं के मध्य मिलान नीचे दिया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	दत्तमत
	(₹ हजार में)			
कुल व्यय विनियोग लेखे	33,94,15,26	1,56,65,77,25	2,68,54,15,63	45,45,58,25
परिशिष्ट-II में दर्शायी गई वसूलियों की कटौती	-	-	4,32,94	7,26,33
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाये गये कुल निवल व्यय	33,94,15,26	1,56,65,77,25	2,68,49,82,69	45,38,31,92

उपर्युक्त संदर्भित वसूलियों का विवरण “परिशिष्ट-II” में दिया गया है।

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019) हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के विनियोग लेखे 01.04.2019 से 30.10.2019 तक की अवधि हेतु पूर्व वास्तविकताओं में विनिर्दिष्ट धनराशि की तुलना सहित वर्ष में व्यय की गयी धनराशि के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं जैसा कि संसद द्वारा पारित अनुदान 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित किया गया। 01.04.2019 से 30.10.2019 तक की अवधि हेतु सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले सरकार के वित्त लेखे एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किये गये हैं।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के विनियोग लेखे जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

विनियोग लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें जम्मू एवं कश्मीर सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

जम्मू एवं कश्मीर सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/ अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित अनुप्रयोज्य विधियों, मानकों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के एक वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन के अधीन होने के कारण, ये लेखे संसद में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। लेखाओं को तैयार करने हेतु मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग प्रणालियों एवं प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संचालित की गयी थी। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे महत्त्वपूर्ण गलत विवरण से रहित हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।



मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में प्रेक्षकों के साथ पठित विनियोग लेखे 01.04.2019 से 30.10.2019 तक की अवधि हेतु पूर्व वास्तविकताओं में विनिर्दिष्ट धनराशि की तुलना सहित वर्ष 2019-20 (30 अक्टूबर 2019 तक) में व्यय की गयी धनराशि के लेखाओं की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं जैसा कि संसद द्वारा पारित अनुदान 2020-21 हेतु मांग में प्रतिबिम्बित किया गया।

इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ उक्त अवधि अथवा विगत वर्षों के दौरान संचालित नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय मेरे अन्य प्रतिवेदनों में शामिल किये गये हैं।

### अति महत्त्वपूर्ण प्रकरण

मैं अति महत्त्वपूर्ण प्रकरणों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की सत्यता, पारदर्शिता एवं समग्रता तथा लोक वित्त पर विधान के वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं:

वर्ष 2019-20 (31.10.2019 को समाप्त अवधि तक) के दौरान एक विनियोग और 16 अनुदानों में प्राधिकरण से अधिक ₹ 5,311.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था। यह तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 81 का उल्लंघन है जो कि उपबंधित करता है कि इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अलावा संघ शासित क्षेत्र की निधि से कोई धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को निष्फल करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2019-20 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019 तक की अवधि) हेतु उपर्युक्त प्रकरणों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण का विवरण जम्मू एवं कश्मीर सरकार के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिया गया है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

दिनांक: 14 दिसम्बर 2021

स्थान: नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक





अनुदान संख्या 1- सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक

2015 चुनाव

2051 लोक सेवा आयोग

2052 सचिवालय- सामान्य सेवाएं

2055 पुलिस

2062 सतर्कता

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2251 सचिवालय- समाज सेवाएं

3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

3451 सचिवालय- आर्थिक सेवाएं

3452 पर्यटन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,12,40,04		
		2,12,40,04	1,99,81,02
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
<b>प्रभारित</b>			
मूल	12,38,72		
		12,38,72	12,30,82
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4075 विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल	6,49,62		
		6,49,62	2,59,87
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

**अनुदान संख्या 1 (जारी)**

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 12,59.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,12,40.04 का बजटीय प्रावधान अधिक साबित हुआ। ₹ 12,59.02 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था। अनुदान में पिछले वर्ष के दौरान भी बचत हुई थी।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत थी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020]।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2052</b>	<b>सचिवालय- सामान्य सेवाएं</b>				
090	सचिवालय				मुख्यतः वेतन और पीओएल घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0418	वित्त विभाग				
	ओ	7,38.77			
	एस	..	7,38.77	7,27.25	(-)11.52
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय				
	ओ	12,33.20			
	एस	..	12,33.20	12,22.73	(-)10.47
0479	राजस्व विभाग				मुख्यतः दूरभाष और ओई घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	2,77.02			
	एस	..	2,77.02	2,70.62	(-)6.40
0518	सामान्य प्रशासन विभाग				मुख्यतः वेतन और यात्रा खर्च घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	21,52.97			
	एस	..	21,52.97	20,70.71	(-)82.26
0712	सूचना प्रौद्योगिकी				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	2,05.21			
	एस	..	2,05.21	1,76.09	(-)29.12
092	अन्य कार्यालय				मुख्यतः वेतन और कार्यालयीन खर्च घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0448	प्रशिक्षण शाखा-सामान्य शाखा				
	ओ	1,68.04			
	एस	..	1,68.04	82.87	(-)85.17
0451	विधि विभाग का अनुवाद प्रकोष्ठ				वस्तु शीर्ष और लेखन सामग्री और मुद्रण के संबंध में बीई के प्रति शून्य व्यय।
	ओ	1,25.73			
	एस	..	1,25.73	1,13.21	(-)12.52
0516	सेवा चयन बोर्ड				मुख्यतः वेतन, टीई और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	5,69.23			
	एस	..	5,69.23	4,99.46	(-)69.77
0519	प्रशासनिक सुधार और निरीक्षण विभाग				
	ओ	2,18.13			
	एस	..	2,18.13	1,59.19	(-)58.94
1342	भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं				मुख्यतः वेतन, टीई घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	70.08			
	एस	..	70.08	58.01	(-)12.07

## अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)					
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>					
117	आंतरिक सुरक्षा					वस्तु शीर्ष एयर लिफ्ट प्रभार के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य					
0460	नागरिक उड्डयन विभाग					
	ओ	2,00.00				
	एस	..	2,00.00	1,40.12	(-)59.88	
<b>2062</b>	<b>सतर्कता</b>					
104	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र का सतर्कता आयोग					मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य					
2369	राज्य सतर्कता आयोग					
	ओ	3,61.67				
	एस	..	3,61.67	3,49.71	(-)11.96	
105	अन्य सतर्कता अभिकरण					मुख्यतः वेतन और पीओएल घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य					
0517	निदेशक सतर्कता संगठन					
	ओ	26,90.30				
	एस	..	26,90.30	22,53.49	(-)4,36.81	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>					
003	प्रशिक्षण					सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम निर्मोचन।
0099	सामान्य					
0262	प्रबंधन और लोक प्रशासन संस्थान					
	ओ	11,19.28				
	एस	..	11,19.28	8,25.00	(-)2,94.28	
105	विशेष जाँच आयोग					मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य					
0456	जम्मू एवं कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण					
	ओ	3,76.35				
	एस	..	3,76.35	3,20.03	(-)56.32	
<b>2251</b>	<b>सचिवालय- समाज सेवाएं</b>					
090	सचिवालय					मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य					
0412	शिक्षा विभाग					
	ओ	4,77.18				
	एस	..	4,77.18	4,62.87	(-)14.31	
0426	समाज कल्याण विभाग					मुख्यतः कार्यालयीन खर्च और पीओएल के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	2,93.85				
	एस	..	2,93.85	2,85.69	(-)8.16	
1237	आवास एवं शहरी विकास विभाग					मुख्यतः वेतन और टीई घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	3,34.89				
	एस	..	3,34.89	3,28.58	(-)6.31	
<b>3435</b>	<b>पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण</b>					
04	प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण					
800	अन्य व्यय					मुख्यतः वेतन और टीई घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य					
0438	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
	ओ	1,21.06				
	एस	..	1,21.06	1,02.96	(-)18.10	

## अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)  (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
<b>3451</b>	<b>सचिवालय- आर्थिक सेवाएं</b>					
090	सचिवालय				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0425	कृषि विभाग					
	ओ	3,66.97				
	एस	..	3,66.97	3,38.10	(-)28.87	
0429	वन विभाग				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,65.88				
	एस	..	2,65.88	2,50.33		(-)15.55
0490	उद्योग और वाणिज्य विभाग				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,54.66				
	एस	..	3,54.66	3,06.46		(-)48.20
1341	ग्रामीण विकास विभाग				मुख्यतः वेतन और दूरभाष, पी ओ एल घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	4,99.43				
	एस	..	4,99.43	4,04.59		(-)94.84
1825	योजना विभाग				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	8,32.95				
	एस	..	8,32.95	8,02.84		(-)30.11
2454	परियोजना मूल्यांकन इकाई				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	28.90				
	एस	..	28.90	19.98		(-)8.92
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>					
80	<i>सामान्य</i>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन और अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	नागरिक उड्डयन					
	ओ	7,53.13				
	एस	..	7,53.13	7,17.86	(-)35.27	
3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020]।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)  (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
<b>2052</b>	<b>सचिवालय- सामान्य सेवाएं</b>					
090	सचिवालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
0507	विधि विभाग					
	ओ	5,71.90				
	एस	..	5,71.90	6,21.70	(+)49.80	

## अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
117	आंतरिक सुरक्षा				मुख्यतः वस्तु शीर्ष गुप्त सेवाएं खर्च के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय				
	ओ	8,00.00			
	एस	..	8,00.00	9,00.00	(+)1,00.00
<b>2251</b>	<b>सचिवालय - समाज सेवाएं</b>				
090	सचिवालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0332	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड				
	ओ	3,05.87			
	एस	..	3,05.87	3,08.28	(+)2.41
0421	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	4,18.84			
	एस	..	4,18.84	4,43.67	
0428	राहत और पुनर्वास विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	1,54.44			
	एस	..	1,54.44	1,71.51	
0430	सचिवालय औषधालय				मुख्यतः कार्यालयीन खर्च के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	45.16			
	एस	..	45.16	47.82	
2426	जनजातीय मामले विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	1,03.55			
	एस	..	1,03.55	1,25.20	
<b>3451</b>	<b>सचिवालय- आर्थिक सेवाएं</b>				
090	सचिवालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0411	सूचना विभाग				
	ओ	81.38			
	एस	..	81.38	84.69	(+)3.31
0440	लोक निर्माण विभाग (आरएण्डबी विभाग)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	4,49.50			
	एस	..	4,49.50	4,76.83	
0445	विद्युत विकास विभाग				मुख्यतः वेतन और टीई घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	2,85.60			
	एस	..	2,85.60	2,91.16	
0446	लदाख मामले विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	1,02.66			
	एस	..	1,02.66	1,05.49	

## अनुदान संख्या 1 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>3451</b>	<b>सचिवालय- आर्थिक सेवाएं</b>				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0465	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग				
	ओ	79.13			
	एस	..	79.13	80.61	(+)1.48
0469	पशु और भेड़ पालन विभाग				मुख्यतः वेतन और टीई घटकों के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	2,19.64			
	एस	..	2,19.64	2,22.40	
0472	सहकारिता विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	1,48.11			
	एस	..	1,48.11	1,50.85	
2273	पीएचई/ सिंचाई विभाग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	2,48.23			
	एस	..	2,48.23	2,64.40	
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	वास्तविक व्यय				
	(₹ लाख में)				
<b>2015</b>	<b>चुनाव</b>				
102	निर्वाचन अधिकारी				
0099	सामान्य				
0493	मुख्य निर्वाचन अधिकारी				8.00
<b>2062</b>	<b>सतर्कता</b>				
105	अन्य सतर्कता अभिकरण				
0099	सामान्य				
2272	जेएण्डके राज्य सूचना आयोग				2,71.79
5	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 7.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 12,38.72 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक साबित हुआ। ₹ 7.90 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित या अभ्यर्पित नहीं किया गया था। अनुदान में विविगत वर्ष के दौरान भी बचत हुयी थी।				
6	मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2051</b>	<b>लोक सेवा आयोग</b>				
102	राज्य लोक सेवा आयोग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0439	राज्य लोक सेवा आयोग				
	ओ	5,85.75			
	एस	..	5,85.75	5,73.66	(-)12.09

**अनुदान संख्या 1 (जारी)**

7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।					
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>2012</b>	<b>राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक</b>					
03	राज्यपाल, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक					
090	सचिवालय			मुख्यतः टीई घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0461	सचिवालय					
	ओ	6,52.97				
	एस	.. 6,52.97	6,57.17			(+)4.20
8	लेखे के मुख्य शीर्षों की सूची से विचलन में, उप शीर्ष 2272- जेएण्डके राज्य सूचना आयोग के प्रति ₹ 2,50.70 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अधीनस्थ लघु शीर्ष 104- सतर्कता के अधीन रखा गया था।					
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>						
9	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,89.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,49.62 लाख का मूल प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 3,89.75 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विविगत वर्ष में भी अनुदान में बचत हुई थी।					
10	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4075</b>	<b>विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय			वस्तु शीर्ष-115 निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0011	सामान्य					
0712	सूचना एवं प्रौद्योगिकी					
	ओ	2,61.62				
	एस	.. 2,61.62	2,48.62			(-)13.00
11	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये [जुलाई 2020] थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय			वस्तु शीर्ष-115 निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।		
0011	सामान्य					
0262	प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान					
	ओ	8.75				
	एस	.. 8.75	11.25			(+)2.50

## अनुदान संख्या 1 (समाप्त)

12	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
60	<i>अन्य भवन</i>		
051	निर्माण		
0011	सामान्य		
0439	राज्य लोक सेवा आयोग	15.00	
<b>4070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0439	राज्य लोक सेवा आयोग	1,50.00	
0517	निदेशक सतर्कता संगठन	50.00	
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
80	<i>सामान्य</i>		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
0270	नागरिक उड्डयन	1,64.25	



## अनुदान संख्या 2- गृह विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2056 कारावास

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	37,61,10,92		
		36,66,67,00	(-)94,43,92
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल	3,70,28,42		
		2,53,58,45	(-)1,16,69,97
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 94,43.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 37,61,10.92 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 94,43.92 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया।
---	---

## अनुदान संख्या 2 (जारी)

2 विगत पाँच वर्षों के दौरान निम्न विवरणानुसार निरंतर बचत हुई।						
वर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)		
(₹ लाख में)						
2014-2015		40,41,91.94	33,47,76.12	(-)6,94,15.82		
2015-2016		45,52,50.27	42,07,82.03	(-)3,44,68.24		
2016-2017		45,91,32.60	43,60,38.10	(-)2,30,94.50		
2017-2018		54,13,40.14	46,49,37.49	(-)7,64,02.65		
2018-2019		75,53,75.30	67,76,14.05	(-)7,77,61.25		
3 निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।						
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)						
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक और वस्तु शीर्ष पुरस्कार के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0758	सशस्त्र पुलिस					
	ओ	3,26,71.28				
	एस	..	3,26,71.28	3,00,65.98	(-)26,05.30	
0780	यातायात पुलिस				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	79,03.90				
	एस	..	79,03.90	70,03.92		(-)8,99.98
101	अपराध अन्वेषण और सतर्कता					
0099	सामान्य					
0764	अपराध अन्वेषण विभाग सीआईडी					
	ओ	86,45.71				
	एस	..	86,45.71	85,91.57	(-)54.14	
0779	सीआईडी (अपराध)					
	ओ	46,04.03				
	एस	..	46,04.03	40,47.10	(-)5,56.93	
0785	सीआईडी वीआईपी सुरक्षा				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और उप-शीर्ष 0785- एमएण्डई के संबंध में बीई के प्रति शून्य व्यय।	
	ओ	39,99.98				
	एस	..	39,99.98	39,38.50		(-)61.48
1357	सुरक्षा विंग					
	ओ	2,74,42.60				
	एस	..	2,74,42.60	2,39,33.35	(-)35,09.25	
104	विशेष पुलिस				मुख्यतः वेतन और एमएण्डई के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1358	आई आर पी बटालियन					
	ओ	2,48,12.15				
	एस	..	2,48,12.15	2,32,63.70	(-)15,48.45	
111	रेलवे पुलिस				मुख्यतः वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1320	रेलवे पुलिस					
	ओ	93,55.93				
	एस	..	93,55.93	75,55.14	(-)18,00.79	
115	पुलिस बल का आधुनिकीकरण				मुख्यतः वेतन और सामग्री एवं आपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1333	पुलिस दूरसंचार का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण					
	ओ	91,57.43				
	एस	..	91,57.43	85,64.51	(-)5,92.92	

## अनुदान संख्या 2 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
117	आंतरिक सुरक्षा				मुख्यतः आहार खर्च और विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0729	कारावास				
	ओ	24,22.60			
	एस	..	24,22.60	21,72.30	(-)2,50.30
0957	आंतरिक सुरक्षा				मुख्यतः वस्तु शीर्ष संसदीय चुनाव के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और वाहनों के क्रय के संबंध में बीई के प्रति शून्य व्यय।
	ओ	4,50,27.72			
	एस	..	4,50,27.72	3,64,49.53	
<b>2056</b>	<b>कारावास</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक और यात्रा खर्च के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0312	निदेशन कार्यालय				
	ओ	1,58.91			
	एस	..	1,58.91	1,32.15	(-)26.76
101	कारावास				मुख्यतः वेतन घटक और आहार खर्च के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0729	कारावास				
	ओ	50,62.22			
	एस	..	50,62.22	40,02.25	(-)10,59.97
102	कारावास विनिर्माण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0741	कारावास विनिर्माण				
	ओ	30.82			
	एस	..	30.82	24.09	(-)6.73
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
105	विशेष जाँच आयोग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0485	पी एस अधिनियम 78 के अधीन सलाहकार मण्डल				
	ओ	86.35			
	एस	..	86.35	51.20	(-)35.15
106	नागरिक सुरक्षा				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0244	निदेशन एवं प्रशासन				
	ओ	3,07.57			
	एस	..	3,07.57	2,91.50	(-)16.07
107	होम गार्ड्स				मुख्यतः वेतन घटक और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2156	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल				
	ओ	46,26.93			
	एस	..	46,26.93	46,05.42	(-)21.51
108	अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण				मुख्यतः वेतन घटक और पीओएल के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0749	अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण				
	ओ	96,94.09			
	एस	..	96,94.09	82,45.79	(-)14,48.30

## अनुदान संख्या 2 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>					
02	समाज कल्याण					
001	निर्देशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक और मानदेय और पारिश्रमिक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निर्देशन एवं प्रशासन					
	ओ	10,69.72				
	एस	..	10,69.72	6,62.92		(-)4,06.80
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>					
001	निर्देशन एवं प्रशासन				वस्तु शीर्ष मानदेय और राहत और पुर्नवास के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
0789	पुलिस महानिदेशक					
	ओ	92,08.42				
	एस	..	92,08.42	1,59,56.89	(+)67,48.47	
003	शिक्षा और प्रशिक्षण				मुख्यतः वेतन के संबंध में बीई पर अधिक व्यय और वस्तु शीर्ष प्रशिक्षण के संबंध में बीई के प्रति शून्य व्यय।	
0099	सामान्य					
0181	शिक्षा और प्रशिक्षण					
	ओ	47,95.18				
	एस	..	47,95.18	51,30.04	(+)3,34.86	
104	विशेष पुलिस				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1356	आई आर पी 9वीं बटालियन					
	ओ	4,14,97.50				
	एस	..	4,14,97.50	4,34,59.69		(+)19,62.19
109	जिला पुलिस					
0099	सामान्य					
0754	कार्यकारी बल कश्मीर रेंज					
	ओ	6,85,50.35				
	एस	..	6,85,50.35	7,21,86.21		(+)36,35.86
0778	कार्यकारी बल जम्मू रेंज					
	ओ	5,04,44.90				
	एस	..	5,04,44.90	5,16,48.71	(+)12,03.81	
115	पुलिस बल का आधुनिकीकरण					
0099	सामान्य					
0735	पुलिस अस्पतालों का उन्नयन					
	ओ	22,49.11				
	एस	..	22,49.11	27,45.48	(+)4,96.37	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>					
107	होम गार्ड्स				मुख्यतः वेतन घटक और वस्तु शीर्ष प्रशिक्षण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1702	होम गार्ड्स का पुनः सक्रियण					
	ओ	12,87.47				
	एस	..	12,87.47	13,02.71	(+)15.24	

## अनुदान संख्या 2 (जारी)

5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।		
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		
	(₹ लाख में)		
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2151	सामर्थ्य प्रवर्तन का सशक्तिकरण	38.47	
116	न्यायिक विज्ञान		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0727	न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक एफएसएल जेएण्डके	1,73.50	

## पूँजीगत अनुभाग

6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,16,69.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,70,28.42 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,16,69.97 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विविगत वर्ष के दौरान भी ₹ 5,85,60.13 लाख की बचत हुयी।		
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।		
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)		अभ्युक्तियाँ
<b>4055</b>	<b>पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
207	राज्य पुलिस		वस्तु शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण		
	ओ	90,00.00	
	एस	90,00.00	19,36.85
			(-)70,63.15
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
60	अन्य भवन		
800	अन्य व्यय		वस्तु शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य		
2340	एनएफबी होम		
	ओ	37,00.00	
	एस	37,00.00	23,02.26
			(-)13,97.74
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।		
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
	(₹ लाख में)		अभ्युक्तियाँ
<b>4055</b>	<b>पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
207	राज्य पुलिस		वस्तु शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य		
0740	आंतरिक सुरक्षा		
	ओ	1,14,24.00	
	एस	1,14,24.00	2,08,78.04*
			(+)94,54.04

\* आंतरिक सुरक्षा से संबंधित ₹ 1,01,88.95 लाख का व्यय सम्मिलित है।

## अनुदान संख्या 2 (समाप्त)

9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।		
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग
	(₹ लाख में)		
<b>4055</b>	<b>पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
207	राज्य पुलिस		
0011	सामान्य		
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण	1,00.00	
10	<p>योजना/ गैर-योजना व्यय के रूप में नामपद्धति की समाप्ति के परिणामस्वरूप, लेखे के राजस्व व्यय शीर्षों के संबंध में बजट आंकलनों को वर्ग शीर्ष 0099-सामान्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था और लेखे के पूँजीगत शीर्षों को वर्ग शीर्ष 0011-सामान्य के प्रति बुक किया जाना अपेक्षित था। परंतु लेखा के पूँजीगत शीर्ष के संबंध में बजट प्राक्कलन अर्थात् मुख्य शीर्ष 4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय अभी भी वर्ग शीर्ष 0099- सामान्य के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहा है। तदनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने व्यय के पूँजीगत शीर्षों से संबंधित व्यय को वर्ग शीर्ष 0099-सामान्य के अंतर्गत बुक किया है। ₹ 1,25,63.00 लाख के बजट प्रावधान को मुख्य शीर्ष 4055- पुलिस के अधीनस्थ लघु शीर्ष 117- आंतरिक सुरक्षा के अधीन रखा गया है जोकि लेखाओं के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार एक गैर-प्राधिकृत लघु शीर्ष है।</p>		

## अनुदान संख्या 3- योजना विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

3451 सचिवालय- आर्थिक सेवाएं

3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	56,79,13		
		56,79,13	41,13,74
अनुपूरक	..		(-)15,65,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,24,69,35		
		4,24,69,35	1,26,07,75
अनुपूरक	..		(-)2,98,61,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,65.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 56,79.13 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 15,65.39 लाख की अंतिम बचत के किसी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
01	पुनर्वास			
202	अन्य पुनर्वास योजना			मुख्यतः वस्तु शीर्ष कैम्पों, सेमिनारों और व्यावसायिक और विशेष सेवा प्रभार के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1755	विश्व बैंक सहायतित योजना			
	ओ	2,43.00		
	एस	..	2,43.00	2,17.11
				(-)25.89

## अनुदान संख्या 3 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>3454</b>	<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>					
01	जनगणना					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1016	जनशक्ति प्रकोष्ठ					
	ओ	36.34				
	एस	..	36.34	26.92	(-)9.42	
1018	निदेशालय का पुनर्गठन				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,21.46				
	एस	..	2,21.46	1,64.37		(-)57.09
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी					
112	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी				मुख्यतः वेतन और कार्यालयीन खर्च के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0557	योजना मशीनरी					
	ओ	26,72.12				
	एस	..	26,72.12	18,62.81	(-)8,09.31	
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				मुख्यतः वेतन और कार्यालय खर्च के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	8,81.99				
	एस	..	8,81.99	4,65.51		(-)4,16.48
1009	सांख्यिकीय ब्यूरो का सशक्तिकरण				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	57.83				
	एस	..	57.83	39.29		(-)18.54
1011	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,28.07				
	एस	..	2,28.07	1,72.35		(-)55.72
1024	जिला मुख्यालय में योजना प्रकोष्ठ का सशक्तिकरण				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,57.58				
	एस	..	1,57.58	1,22.66		(-)34.92
1026	योजना मशीनरी का सशक्तिकरण				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,14.60				
	एस	..	1,14.60	99.10		(-)15.50
201	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1017	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण					
	ओ	3,88.10				
	एस	..	3,88.10	3,05.62	(-)82.48	
205	राज्य सांख्यिकीय अभिकरण				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1008	जिला सांख्यिकी अभिकरण					
	ओ	1,74.71				
	एस	..	1,74.71	1,47.77	(-)26.94	
1019	मूल्यांकन मशीनरी				मुख्यतः वेतन घटकों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,18.59				
	एस	..	1,18.59	94.05		(-)24.54



## अनुदान संख्या 3 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>3454</b>	<b>जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>				
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
112	आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
1021	क्षेत्र सर्वेक्षण और मूल्य सांख्यिकी				
	ओ	60.90			
	एस	..	60.90	66.13	(+)5.23
201	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
1023	सांख्यिकीय कार्मिकों का प्रशिक्षण				
	ओ	2,11.04			
	एस	..	2,11.04	2,18.70	(+)7.66
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना किसी बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	वास्तविक व्यय			अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>3451</b>	<b>सचिवालय - आर्थिक सेवाएं</b>				
102	जिला योजना मशीनरी				
0099	सामान्य				
0563	निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना			12.12	
<b>3475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
1518	लघु सिंचाई योजना की गणना			5.75	

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,98,61.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 4,24,69.35 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 2,98,61.60 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये [जुलाई 2020] थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य भवन				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0459	एनएफबी योजना				
	ओ	7,15.00			
	एस	..	7,15.00	2,97.42	(-)4,17.58
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	पुनर्वास				
201	अन्य पुनर्वास योजनाएं			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
1755	विश्व बैंक सहायतित योजना				
	ओ	41,92.85			
	एस	..	41,92.85	31,69.55	(-)10,23.30

## अनुदान संख्या 3 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0555	खण्ड स्तरीय योजना				
	ओ	2,95,78.62			
	एस	..	2,95,78.62	34,25.60	(-)2,61,53.02
0563	निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	33,00.00			
	एस	..	33,00.00	17,27.90	
2154	नये जिलों का सृजन				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	6,67.88			
	एस	..	6,67.88	5,36.28	
2498	डीडीसीएस को संयुक्त निधियाँ				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	10,00.00			
	एस	..	10,00.00	2,92.48	
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
			(₹ लाख में)		
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0553	सीमा क्षेत्र विकास उन्नयन अनुदान			1,10.73	
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी			33.75	

## अनुदान संख्या 4- सूचना विभाग

राजस्व -  
मुख्य शीर्ष  
2220 सूचना और प्रचार

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	37,03,54		
		37,03,54	(-)3,34,53
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत  
मुख्य शीर्ष  
4220 सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय  
दत्तमत

मूल	50,00		
		50,00	4,40
			(-)45,60
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,34.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 37,03.54 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 3,34.53 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी अनुदान में बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2220</b>	<b>सूचना और प्रचार</b>				
60	अन्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0828	संयुक्त निदेशक जम्मू				
	ओ	63.49			
	एस	..	63.49	54.61	
				(-)8.88	
0835	निदेशन कार्यालय			मुख्यतः वेतन के अधीन और टीई घटकों के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	4,75.05			
	एस	..	4,75.05		4,17.36
				(-)57.69	
101	विज्ञापन और दृश्य प्रचार			मुख्यतः विज्ञापन और प्रचार के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0118	विज्ञापन और दृश्य प्रचार				
	ओ	21,56.74			
	एस	..	21,56.74	18,21.05	
				(-)3,35.69	
102	सूचना केन्द्र			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0817	सूचना ब्यूरो नई दिल्ली				
	ओ	30.49			
	एस	..	30.49	24.64	
				(-)5.85	

## अनुदान संख्या 4 (समाप्त)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2220</b>	<b>सूचना और प्रचार</b>				
60	अन्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के अंतर्गत बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0815	संयुक्त निदेशक कश्मीर				
	ओ	52.85			
	एस	..	52.85	55.50	(+)2.65
102	सूचना केन्द्र				मुख्यतः वेतन और कार्यालय खर्च के अंतर्गत बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0816	जिला सूचना केन्द्र				
	ओ	5,63.16			
	एस	..	5,63.16	6,12.77	(+)49.61
106	क्षेत्र प्रचार				मुख्यतः वेतन और कार्यालय खर्च के अंतर्गत बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0825	लिखित और योजना प्रचार				
	ओ	2,78.37			
	एस	..	2,78.37	2,95.56	(+)17.19
109	फोटो सेवाएं				मुख्यतः वेतन और कार्यालय खर्च के अंतर्गत बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0830	फोटो और फिल्म इकाई				
	ओ	83.39			
	एस	..	83.39	87.54	(+)4.15

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 45.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 50.00 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 45.60 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान भी बचत हुई।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4220</b>	<b>सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	अन्य				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के अंतर्गत बीई के प्रति अल्प व्यय किया गया।
0011	सामान्य				
1238	सूचना पर पूँजीगत परिव्यय				
	ओ	50.00			
	एस	..	50.00	4.40	(-)45.60

## अनुदान संख्या 5- लद्दाख मामले विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	5,39,25,20		
		5,39,25,20	(+)10,13,30
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	1,18,78,41		
अनुपूरक	..	1,18,78,41	1,18,78,41
			-
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1.	राजस्व दत्तमत अनुभाग में लेह पुलिस के संबंध में बिना बजटीय प्रावधान के ₹ 10,13.30 लाख का व्यय किया गया था जिसका परिणाम ₹ 10,13.30 लाख के आधिक्य के रूप में हुआ।
2.	अनुदान में बजट मुख्य शीर्ष 2575- लेह और कारगिल हेतु अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अधीनस्थ विभिन्न उप-शीर्ष स्तरों पर उपलब्ध कराया गया था, जबकि मुख्य शीर्ष 2575- "अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम" में से ₹ 5,39,25.20 लाख (₹ 2,55,69.93 लाख लेह और ₹ 2,83,55.27 लाख कारगिल) की एकमुश्त राशि लेह/ कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् निधि को हस्तांतरित की गयी थी जैसा कि वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया।

## पूँजीगत अनुभाग

3.	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में अनुदान में बजट मुख्य शीर्ष 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय के अधीनस्थ विभिन्न उप-शीर्ष स्तरों पर उपलब्ध कराया गया था जबकि मुख्य शीर्ष 4575- "अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय" में से ₹ 1,18,78.41 लाख (₹ 68,20.17 लाख लेह और ₹ 50,58.24 लाख कारगिल) की एकमुश्त राशि लेह/ कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् निधि को हस्तांतरित की गयी थी जैसा कि वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया।
----	---

## अनुदान संख्या 5 (समाप्त)

4.	उचंत संव्यवहार: "उचंत" के अंतर्गत अनुदान में राजस्व लेखा के अधीन शून्य संव्यवहार हुए जो कि लेखा का अंतिम शीर्ष नहीं है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा के अंतिम शीर्षों के साथ उनके समायोजन लंबित संव्यवहार भी सम्मिलित हैं। "उचंत" उप-शीर्षों के अधीन शेष को वर्ष दर वर्ष अग्रोषित किया जाता है। चार उप शीर्षों (क) खरीद (ख) स्टॉक (ग) विविध निर्माण अग्रिम और (घ) कार्यशाला उचंत के अधीन संव्यवहार की प्रकृति का विवरण नीचे दिया गया है:-
(क)	खरीद:- जब महीने के दौरान बिना भुगतान के या समायोजन हेतु स्टॉक में रखने के लिए एक विशेष कार्य हेतु सामग्री को प्राप्त किया जाता है, उनका मूल्य उप शीर्ष "खरीद" स्टॉक उप शीर्ष या विशेष कार्य लेखा शीर्ष के प्रति पक्ष डेबिट किया जाता है, जैसा भी मामला हो। जब भुगतान किया जाता है या मूल्य को भण्डार इत्यादि के हस्तांतरण द्वारा समायोजित किया जाता है, इस शीर्ष को राशि द्वारा डेबिट किया जाता है, जिसके द्वारा पिछले क्रेडिट का निपटान किया जाता है। अतः यह शीर्ष सदैव एक ऋणात्मक या प्राप्त भण्डार के मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हुए क्रेडिट शेष दर्शाता है परंतु प्रदत्त या समायोजित नहीं दर्शाता है।

**अनुदान संख्या 5- लद्दाख मामले विभाग (समाप्त)**

(ख)	स्टॉक:- स्टॉक प्रयोजनों के लिए प्राप्त सामग्री के मूल्य से इस उप शीर्ष को डेबिट किया जाता है, किसी विशेष कार्य के लिए नहीं परंतु प्रभाग के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया जाता है। कार्य के लिए जारी सामग्री के मूल्य के साथ इसे क्रेडिट किया जाता है या अन्य प्रभाग को हस्तांतरित किया जाता है या नहीं तो निपटान कर दिया जाता है। शेष स्टॉक में सामग्री के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।				
(ग)	विविध निर्माण कार्य अग्रिम:- इस उप शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट पर बेचे गये भण्डारों के मूल्य के लिए डेबिटों, प्राप्त जमाओं के आधिक्य में जमा कार्य पर किया गया व्यय, नकदी की हानि या बट्टे खाते में डाले जाने वाले भण्डार और शासकीय सेवकों इत्यादि से वसूली योग्य राशि इत्यादि बुक की जाती है। इस प्रकार शीर्ष के अधीन डेबिट शेष अंतिम शीर्ष को समायोजन योग्य डेबिट या वसूली योग्य राशि का प्रतिनिधित्व करता है।				
(घ)	कार्यशाला उचंत:- इस उप शीर्ष के अंतर्गत लंबित वसूली या प्रभारों के समायोजन हेतु लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला में निष्पादित कार्यों या अन्य परिचालनों के लिए प्रभारों को बुक किया जाता है।				
5.	वर्ष 2019-20 (30.10.2019 की समाप्ति तक) के दौरान अनुदान में "उचंत" के अंतर्गत अथ और अंत शेषों सहित संव्यवहारों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:-				
	लेखा/ विवरण का मुख्य शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को अथ शेष	डेबिट	क्रेडिट	30 अक्टूबर 2019 को अंत शेष
<b>2575</b>	<b>अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-</b>				
	खरीदें	(-)36.91	-	-	(-)36.91
	भण्डार	(+)11,05.26	-	-	(+)11,05.26
	विविध अग्रिम	(+)4,79.81	-	-	(+)4,79.81
	कार्यशाला उचंत	(+)37.98	-	-	(+)37.98
	<b>कुल</b>	<b>(+)15,86.14</b>	-	-	<b>(+)15,86.14</b>
<b>4575</b>	<b>अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
	भण्डार	-	-	10.64	(-) 10.64
	<b>कुल</b>	-	-	10.64	(-) 10.64

## अनुदान संख्या 6- विद्युत विकास विभाग

राजस्व -  
मुख्य शीर्ष  
2801 विद्युत

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	41,32,01,60		
		41,32,01,60	39,85,12,36
			(-)1,46,89,24
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	1,98,05,43		
		1,98,05,43	79,16,24
			(-)1,18,89,19
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,46,89.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 41,32,01.60 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,46,89.24 लाख की अंतिम बचत का कोई भी भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी ₹ 16,15,25.83 लाख की बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
05	संचारण और वितरण				
001	निदेशन एवं प्रशासन			वेतन और अनुरक्षण एवं मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली और प्रचालन कश्मीर				
	ओ	16,93.22			
	एस	..	16,93.22	15,78.03	
				(-)1,15.19	
1687	मुख्य अभियंता प्रणाली और प्रचालन जम्मू				
	ओ	18,45.33			
	एस	..	18,45.33	17,59.72	
				(-)85.61	
2455	समर्पित परियोजना विंग			वेतन और विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	10,51.21			
	एस	..	10,51.21		7,66.09
				(-)2,85.12	
603	संचारण लाइन बेमिना श्रीनगर			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष अनुरक्षण एवं मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली और प्रचालन कश्मीर				
	ओ	5,18.89			
	एस	..	5,18.89	5,02.06	
				(-)16.83	

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन एवं विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	3,58,96.47			
	एस	..	3,58,96.47	3,57,81.38	(-)1,15.09
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 108-सहायिकी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	4,60,26.93			
	एस	..	4,60,26.93	3,59,77.53	
1678	मुख्य अभियंता अधिप्राप्ति और सामग्री प्रबंधन जम्मू				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 799-उंचत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	40,50.95			
	एस	..	40,50.95	39,32.62	
052	मशीनरी और उपकरण				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 020-मशीनरी और उपकरण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	58.33			
	एस	..	58.33	31.51	(-)26.82
611	ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				मुख्यतः वेतन एवं अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	87,98.07			
	एस	..	87,98.07	74,09.80	(-)13,88.27
612	ग्रामीण विद्युतीकरण कठूआ				मुख्यतः वेतन एवं अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	25,89.55			
	एस	..	25,89.55	24,38.47	(-)1,51.08
613	ग्रामीण विद्युतीकरण पृछ				मुख्यतः वेतन एवं अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	9,78.12			
	एस	..	9,78.12	8,43.38	(-)1,34.74
614	ग्रामीण विद्युतीकरण राजौरी				मुख्यतः वेतन एवं अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	30,07.67			
	एस	..	30,07.67	19,32.56	(-)10,75.11
615	ग्रामीण विद्युतीकरण ऊधमपुर				मुख्यतः वेतन एवं अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	31,95.85			
	एस	..	31,95.85	25,09.08	(-)6,86.77



## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
616	ग्रामीण विद्युतीकरण बटोट				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 633- क्षतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	6,89.30			
	एस	..	6,89.30	5,14.64	(-1,74.66)
617	ग्रामीण विद्युतीकरण डोडा				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 633- क्षतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	8,58.25			
	एस	..	8,58.25	8,11.66	(-)46.59
620	ग्रामीण विद्युतीकरण अवंतपुरा				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष बाह्यस्रोतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	7,37.53			
	एस	..	7,37.53	5,49.73	(-1,87.80)
622	ग्रामीण विद्युतीकरण बारामूला				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	11,77.53			
	एस	..	11,77.53	11,17.73	(-)59.80
630	ग्रामीण विद्युतीकरण विजयपुर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	10,54.42			
	एस	..	10,54.42	9,32.31	(-1,22.11)
633	ग्रामीण विद्युतीकरण किश्तवाड				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0911	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण जम्मू				
	ओ	7,95.14			
	एस	..	7,95.14	6,73.26	(-1,21.88)
80	सामान्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1673	विकास आयुक्त विद्युत				
	ओ	4,48.60			
	एस	..	4,48.60	3,40.97	(-1,07.63)

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
80	सामान्य				
004	अनुसंधान और विकास				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2169	मुख्य अभियंता योजना और अभिकल्प				
	ओ	4,24.55			
	एस	..	4,24.55	4,06.56	(-)17.99
005	जांच				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2170	निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण, निरीक्षण एवं कमीशनिंग				
	ओ	4,96.78			
	एस	..	4,96.78	3,10.90	(-)1,85.88
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2111	राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)				
	ओ	1,26.78			
	एस	..	1,26.78	1,12.69	(-)14.09
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
05	संचारण और वितरण				
610	भार प्रेषण एमटी श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0933	मुख्य अभियंता वाणिज्यिक और सर्वेक्षण विंग जेएण्डके				
		1,81.57			
	एस	..	1,81.57	1,92.57	(+)11.00
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
052	मशीनरी और उपकरण				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 020- मशीनरी और उपकरण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	3.90			
	एस	..	3.90	14.39	(+)10.49
618	ग्रामीण विद्युतीकरण श्रीनगर				मुख्यतः वेतन और कार्यालय व्ययों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	75,34.07			
	एस	..	75,34.07	76,00.90	(+)66.83
619	ग्रामीण विद्युतीकरण अनंतनाग				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	11,46.99			
	एस	..	11,46.99	13,24.78	(+)1,77.79

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
06	ग्रामीण विद्युतीकरण				
621	ग्रामीण विद्युतीकरण पुलवामा				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	16,58.08			
	एस	..	16,58.08	17,89.08	(+)1,31.00
623	ग्रामीण विद्युतीकरण बडगाम				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	12,74.81			
	एस	..	12,74.81	13,62.68	(+)87.87
624	ग्रामीण विद्युतीकरण हंदवाडा				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	12,62.73			
	एस	..	12,62.73	12,79.72	(+)16.99
625	ग्रामीण विद्युतीकरण कुलगाम				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	9,65.30			
	एस	..	9,65.30	10,52.37	(+)87.07
626	ग्रामीण विद्युतीकरण सुंबल				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	5,95.98			
	एस	..	5,95.98	6,05.79	(+)9.81
627	ग्रामीण विद्युतीकरण सोपोर				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत और विस्तृत शीर्ष 364- आउटसोर्सिंग के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	31,41.27			
	एस	..	31,41.27	31,43.15	(+)1.88
628	ग्रामीण विद्युतीकरण बिजबेहरा				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत और विस्तृत शीर्ष 364- बाह्यस्रोतन के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	17,28.23			
	एस	..	17,28.23	17,36.89	(+)8.66
629	ग्रामीण विद्युतीकरण गांदरबल				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0978	मुख्य अभियंता अनुरक्षण और ग्रामीण विद्युतीकरण कश्मीर				
	ओ	13,57.47			
	एस	..	13,57.47	13,69.51	(+)12.04

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
80	सामान्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1686	एफ ए विद्युत परियोजना संगठन				
	ओ	1,14.21			
	एस	..	1,14.21	1,96.38	
				(+)82.17	
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 30.10.2019 क समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष/	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>2801</b>	<b>विद्युत</b>				
05	संचारण और वितरण				
052	मशीनरी और उपकरण				
0099	सामान्य				
1685	मुख्य अभियंता प्रणाली और प्रचालन कश्मीर			10.50	

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,18,89.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,98,05.43 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,18,89.19 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित व अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6	अनुदान में निरंतर बचत पिछले पाँच वर्षों के दौरान भी हुई थी।				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
	2014-2015	3,92,71.25	1,42,46.69	(-)2,50,24.56	
	2015-2016	10,06,21.25	2,98,61.21	(-)7,07,60.04	
	2016-2017	28,77,07.30	6,99,45.93	(-)21,77,61.37	
	2017-2018	62,51,49.31	6,60,22.18	(-)55,91,27.13	
	2018-2019	55,90,42.41	2,06,15.96	(-)53,84,26.45	

## अनुदान संख्या 6 (जारी)

7	अनुदान में बचत निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)		
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
05	संचारण और वितरण				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0306	ग्रामीण विद्युतीकरण				
	ओ	3,84.06			
	एस	..	3,84.06	2,20.03	
0478	संचारण और वितरण				
	ओ	83,31.87			
	एस	..	83,31.87	76,96.22	(-)6,35.65
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग		
			(₹ लाख में)		
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	जलविद्युत उत्पादन				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2021	उत्पादन			16,12.50	
05	संचारण और वितरण				
601	132 केवी बादामपोरा संचारण लाइन				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1873	त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम			20,95.00	
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2463	आई पी डी एस			52,39.00	
2464	डी डी यू जी जे वाई			21,43.00	

## अनुदान संख्या 6 (समाप्त)

9	उचंत संव्यवहार: "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत राजस्व और पूँजीगत दोनों सहित अनुदान में ₹ 16,39.78 लाख का व्यय शामिल है जो कि लेखा का अंतिम शीर्ष नहीं है। उचंत शीर्ष के अंतर्गत संव्यवहारों की प्रकृति और अनुकरण की गई लेखांकन प्रक्रिया का अनुदान संख्या 5-लक्षाख मामले विभाग की टिप्पणी-4 में वर्णन किया गया है। वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 (30.10.2019 तक) के दौरान अनुदान में उचंत शीर्ष के अंतर्गत संव्यवहारों के साथ-साथ अथ और अंत शेषों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:-					
	लेखा/ विवरण का मुख्य शीर्ष	01 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	डेबिट	क्रेडिट	30 अक्टूबर 2019 को अंत शेष	
(₹ लाख में)						
<b>2801</b>	<b>विद्युत-</b>					
	खरीदें	(-)35.44	-	-	(-)35.44	
	विविध अग्रिम	4,77.81	-	-	4,77.81	
	भण्डार	63,69.57	16,39.78	-	80,09.35	
	कार्यशाला उचंत	29.38	-	-	29.38	
	<b>कुल - 2801</b>	<b>68,41.32</b>	<b>16,39.78</b>	-	<b>84,81.10</b>	
<b>4801</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>					
	खरीदें	(-)1,13.14	-	-	(-)1,13.14	
	भण्डार	4,78.25	-	-	4,78.25	
	विविध अग्रिम	98.52	-	-	98.52	
	कार्यशाला उचंत	28.85	-	-	28.85	
	<b>कुल- 4801</b>	<b>4,92.48</b>	-	-	<b>4,92.48</b>	
10	विद्युत विकास विभाग के औजार और संयंत्र प्रभारों की स्थापना की समीक्षा:- वर्ष 2017-18 से 2019-20 (30.10.2019 तक) के दौरान विद्युत विकास विभाग में निर्माण परिव्यय से वहन किया गया औजारों और संयंत्र की स्थापना पर व्यय का प्रतिशत नीचे इंगित किया गया है:-					
	लेखा शीर्ष और वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय हेतु स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार और संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय हेतु औजार और संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत
(₹ लाख में)						
<b>2801-</b>	<b>विद्युत-</b>					
	2017-18	1,28,37.54	49,33,53.46	38,43.00	-	-
	2018-19	2,46,75.48	72,94,60.38	29,56.22	1,39.19	0.56
	2019-20	51,26.10	39,33,86.26	76,74.19	-	-
<b>4801-</b>	<b>विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>					
	2017-18	6,60,22.18	-	-	-	-
	2018-19	2,06,15.95	-	-	-	-
	2019-20	79,16.24	-	-	-	-

## अनुदान संख्या 7- शिक्षा विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2204 खेल और युवा सेवाएं

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	35,97,52,59			
		35,97,52,59	36,77,25,12	(+)79,72,53
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
पूँजीगत				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत</b>				
मूल	52,08,59			
		52,08,59	46,84,96	(-)5,23,63
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	₹ 79,72.53 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, जिसका नियमितीकरण आवश्यक है, राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 35,97,52.59 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>				
01	प्रारंभिक शिक्षा				
101	सरकारी प्राथमिक विद्यालय			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0254	निदेशक विद्यालयी शिक्षा जम्मू (प्राथमिक विद्यालय बालक)				
	ओ	7,64,52.28			
	एस	..	7,64,52.28	8,32,66.88	(+)68,14.60
104	निरीक्षण			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0214	निदेशक शिक्षा कश्मीर				
	ओ	9,62,26.85			
	एस	..	9,62,26.85	10,05,42.91	(+)43,16.06
02	माध्यमिक शिक्षा				
001	निदेशन एवं प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0274	निदेशक शिक्षा जम्मू				
	ओ	8,51,37.42			
	एस	..	8,51,37.42	8,89,96.19	(+)38,58.77

## अनुदान संख्या 7 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>				
02	माध्यमिक शिक्षा				
001	निदेशन एवं प्रशासन				वेतन और विस्तृत शीर्ष 071- चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0214	निदेशक शिक्षा कश्मीर				
	ओ	9,11,03.48			
	एस	..	9,11,03.48	8,85,15.36	(-)25,88.12
109	सरकारी माध्यमिक विद्यालय				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1057	प्रवासियों पर व्यय				
	ओ	63,01.96			
	एस	..	63,01.96	50,09.63	(-)12,92.33
80	सामान्य				
003	प्रशिक्षण				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0271	राज्य शिक्षा संस्थान कश्मीर				
	ओ	3,46.56			
	एस	..	3,46.56	2,16.94	(-)1,29.62
0277	राज्य शिक्षा संस्थान जम्मू				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	3,31.29			
	एस	..	3,31.29	2,30.73	
<b>2204</b>	<b>खेल और युवा सेवाएं</b>				
102	विद्यार्थियों हेतु युवा कल्याण कार्यक्रम				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0954	राष्ट्रीय कैडेट कोर				
	ओ	9,19.50			
	एस	..	9,19.50	7,05.51	(-)2,13.99
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
(₹ लाख में)					
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>				
01	प्रारंभिक शिक्षा				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1030	मध्याह्न भोजन			26,70.75	



## अनुदान संख्या 7 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,23.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 52,08.59 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 5,23.63 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी ₹ 5,31,23.45 लाख की बचत हुई।				
6	अनुदान में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	सामान्य शिक्षा				
201	प्रारंभिक शिक्षा				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0244	निदेशन एवं प्रशासन				
	ओ	24.79			
	एस	..	24.79	16.77	(-)8.02
0632	प्रारंभिक शिक्षा				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	10,55.54			
	एस	..	10,55.54	9,85.14	
202	माध्यमिक शिक्षा				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0149	माध्यमिक शिक्षा				
	ओ	28,73.10			
	एस	..	28,73.10	15,59.07	(-)13,14.03
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के अंतर्गत बीई के प्रति कम व्यय।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1030	मध्याह्न भोजन				
	ओ	11,85.03			
	एस	..	11,85.03	4,97.80	(-)6,87.23
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	सामान्य शिक्षा				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0987	अध्यापक शिक्षा				70.13
8	निम्नलिखित शीर्ष/ परियोजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	वास्तविक व्यय				
	(₹ लाख में)				
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	सामान्य शिक्षा				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2280	जिला स्तरीय कार्यालय/ जम्मू				16,26.42

## अनुदान संख्या 8- वित्त विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

- 2030 स्टाम्प और पंजीकरण  
 2039 राज्य उत्पाद शुल्क  
 2040 बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर  
 2043 राज्य वस्तु और सेवा कर के अधीन संग्रहण प्रभार  
 2045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क  
 2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं  
 2048 ऋण की कमी या परिहार हेतु विनियोग  
 2049 ब्याज भुगतान  
 2054 कोषागार और लेखा प्रशासन  
 2071 पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ  
 2075 विविध सामान्य सेवाएं  
 2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण  
 3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	42,11,77,63		
		42,11,77,63	52,98,94,12
			(+)10,87,16,49
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
<b>प्रभारित</b>			
मूल	17,36,79,23		
		17,36,79,23	33,55,40,95
			(+)16,18,61,72
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

- 4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय  
 6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण  
 6004 केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम

<b>दत्तमत</b>			
मूल	5,35,02		
		5,35,02	1,87,65
			(-)3,47,37
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1,41,76,30,00		
		1,41,76,30,00	1,56,65,77,25
			(+)14,89,47,25
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	₹ 10,87,16.49 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है; राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 42,11,77.63 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ।
---	--

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2040</b>	<b>बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				विस्तृत शीर्ष 411- प्रतिदाय के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0334	आयुक्त कार्यालय				
	ओ	2,20.00			
	एस	..	2,20.00	2,25.53	(+)5.53
<b>2054</b>	<b>कोषागार और लेखा प्रशासन</b>				
097	कोषागार प्रतिष्ठान				कार्यालयीन खर्च और विस्तृत शीर्ष 009- किराया दरें और कर के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2431	जिला कोषागार जम्मू				
	ओ	7,68.05			
	एस	..	7,68.05	7,70.27	(+)2.22
098	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0314	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा संगठन				
	ओ	3,06.54			
	एस	..	3,06.54	3,08.84	(+)2.30
<b>2071</b>	<b>पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ</b>				
01	<i>सिविल</i>				
117	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना हेतु सरकारी अंशदान				सरकारी अंशदान और विस्तृत शीर्ष 641- पेंशन संबंधी प्रभारों के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2327	सरकारी अंशदान				
	ओ	2,58,88.60			
	एस	..	2,58,88.60	2,90,38.89	(+)31,50.29
<b>2075</b>	<b>विविध सामान्य सेवाएं</b>				
103	राज्य लॉटरियाँ				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0317	पुनर्स्थापित जागीरों के बदले में पेंशन				
	ओ	8.44			
	एस	..	8.44	16.72	(+)8.28

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
<b>2039</b>	<b>राज्य उत्पाद शुल्क</b>					
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0334	आयुक्त कार्यालय					
	ओ	25,82.79				
	एस	..	25,82.79	19,98.46	(-)5,84.33	
<b>2040</b>	<b>बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर</b>					
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
1429	बिक्री कर न्यायाधिकरण					
	ओ	81.91				
	एस	..	81.91	63.97	(-)17.94	
<b>2043</b>	<b>राज्य वस्तु और सेवा कर के अधीन संग्रहण प्रभार</b>					
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0334	आयुक्त कार्यालय					
	ओ	2,24,46.76				
	एस	..	2,24,46.76	2,18,51.72	(-)5,95.04	
<b>2047</b>	<b>अन्य राजकोषीय सेवाएं</b>					
103	लघु बचतों का प्रोत्साहन			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 022- कैंपों, सेमिनारों और विस्तृत शीर्ष 046- वाहनों की खरीद के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0293	वित्त निदेशक					
	ओ	7,71.82				
	एस	..	7,71.82	2,36.59	(-)5,35.23	
<b>2054</b>	<b>कोषागार और लेखा प्रशासन</b>					
003	प्रशिक्षण			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
0099	सामान्य					
0329	नॉर्दन जोनल अकाउंटेंसी ट्रेनिंग स्कूल जम्मू					
	ओ	2,40.82				
	एस	..	2,40.82	2,15.20	(-)25.62	
095	लेखा और कोषागार निदेशालय			विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति शून्य व्यय।		
0099	सामान्य					
0312	लेखा और कोषागार महानिदेशालय					
	ओ	4,33.39				
	एस	..	4,33.39	3,80.92	(-)52.47	
0316	लेखापरीक्षा और निरीक्षण निदेशालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	8,63.83				
	एस	..	8,63.83			7,28.26
0326	लेखा और कोषागार निदेशालय, कश्मीर			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।		
	ओ	1,82.31				
	एस	..	1,82.31			1,58.11

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2054</b>	<b>कोषागार और लेखा प्रशासन</b>				
095	लेखा और कोषागार निदेशालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2430	लेखा और कोषागार निदेशक जम्मू				
	ओ	2,91.30			
	एस	..	2,91.30	2,66.23	(-)25.07
097	कोषागार प्रतिष्ठान			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0324	मुफासिल कोषागार, कश्मीर				
	ओ	12,80.44			
	एस	..	12,80.44	9,95.64	(-)2,84.80
0335	जिला कोषागार कश्मीर			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	10,85.55			
	एस	..	10,85.55		8,95.71
2432	मुफासिल कोषागार, जम्मू			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	8,97.62			
	एस	..	8,97.62		7,53.28
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0310	प्रभागीय निधि कार्यालय जम्मू/ श्रीनगर				
	ओ	3,25.72			
	एस	..	3,25.72	2,61.20	(-)64.52
0312	निधि संगठन निदेशालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,64.99			
	एस	..	3,64.99		3,31.96
1190	जिला निधि कार्यालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	33,08.84			
	एस	..	33,08.84		24,93.76
<b>2071</b>	<b>पेन्शन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ</b>				
115	अवकाश नकदीकरण लाभ			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 500-अन्य पेन्शन संबंधी लाभ के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2190	वित्त सचिव				
	ओ	2,72,80.00			
	एस	..	2,72,80.00	2,36,61.58	(-)36,18.42
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
102	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेन्शन			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 009- किराया, दरों और करों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0313	डिपोजिट लिंकड बीमा योजना				
	ओ	29.16			
	एस	..	29.16	3.88	(-)25.28

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।		
शीर्ष		कुल अनुदान विनियोग (₹ लाख में)	
<b>2030</b>	<b>स्टाम्प और पंजीकरण</b>		
02	स्टाम्प-गैर-न्यायिक		
102	स्टाम्प की बिक्री पर खर्च		
0099	सामान्य		
0344	राज्य स्टाम्प विभाग	14,00.00	
<b>3475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>		
115	अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता		
0099	सामान्य		
1880	अवसंरचना विकास	50.00	
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>2071</b>	<b>पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ</b>		
01	सिविल		
117	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना हेतु सरकारी अंशदान		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2327	सरकारी अंशदान	64.30	
<b>2075</b>	<b>विविध सामान्य सेवाएं</b>		
104	विशेष सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेंशन और पुरस्कार		
0099	सामान्य		
0975	विशेष सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेंशन और पुरस्कार	19.45	
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>		
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम		
107	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना		
0099	सामान्य		
0965	स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों इत्यादि हेतु पेंशन	1.70	
6	यद्यपि मुख्य शीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाओं के अंतर्गत आरक्षित निधि में हस्तांतरण हेतु प्रावधानों का अलग से कोई वर्णन नहीं है, तथापि मुख्य शीर्ष 8235- 117- प्रत्याभूति मोचन निधि में ₹ 100.00 लाख की राशि को हस्तांतरित किया गया है।		
7	लेखाओं के मुख्य और लघु शीर्ष की सूची से विचलन में, संग्रहण प्रभारों- मनोरंजन करों हेतु प्रावधान मुख्य शीर्ष 2045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क के अधीनस्थ संबंधित लघु शीर्ष 101- संग्रहण प्रभार- मनोरंजन कर के अंतर्गत रखने के बजाय उप शीर्ष 0983- संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर के अंतर्गत लघु शीर्ष 104- संग्रहण प्रभार-वस्तुओं और यात्रियों पर कर के अधीन रखा गया था जिसका परिणाम डीडीओ द्वारा मुख्य शीर्ष 2045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क के अधीनस्थ 104- संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर के अधीन ₹ 12.16 लाख तक की गलत बुकिंग के रूप में हुआ।		

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

8	मुख्य शीर्ष 2071- पेन्शन संबंधी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अधीनस्थ उप-शीर्ष 2190- सचिव वित्त के प्रति लघु शीर्ष 101- अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते के अंतर्गत ₹ 32,58,15.20 लाख के एकमुश्त बजटीय अनुदान को स्थापन से लेखापरीक्षा को लघु-शीर्ष वार आधिक्य/ बचत की तुलना करने से वंचित रखा। तथापि, मुख्य शीर्ष 2071- पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अधीनस्थ उप-शीर्ष 2190- सचिव वित्त के प्रति लघु शीर्ष 101-अधिवर्षिता तथा अन्य सेवानिवृत्ति भत्ते के अंतर्गत कुल ₹ 43,83,67.13 लाख का व्यय किया गया था। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-				
	क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)		
	1	101- अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते	27,24,14.94		
	2	102- पेन्शन का प्रत्यावर्तित मूल्य	6,10,26.85		
	3	104- उपदान	9,04,18.43		
	4	105- परिवार पेन्शन	1,41,38.21		
	5	111- विधायकों को पेन्शन	3,68.70		
9	₹ 1,63.80 लाख का एकमुश्त प्रावधान लघु शीर्ष 001- निदेशन और प्रशासन और मुख्य शीर्ष 2030-स्टाम्प और पंजीकरण के अधीनस्थ योजना-0344- राज्य स्टाम्प विभाग के अधीन आयुक्त वाणिज्यिक कर (नियंत्रण अधिकारी) के निपटान पर रखा गया, जब ₹ 8,25.15 लाख का व्यय न्यायिक, हुण्डी, गैर न्यायिक, स्टाम्प की लागत, विशेष आसंजक, नोटरी शुल्क और न्यायालय शुल्क जैसी योजनाओं में किया गया और अनुदान हेतु मांगों में परिकल्पित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा को उप शीर्ष वार आधिक्य/ बचत की तुलना से वंचित किया गया। मुख्य शीर्ष 2030- स्टाम्प और पंजीकरण के अधीन ₹ 24,16.79 लाख का कुल व्यय किया गया परिणामस्वरूप ₹ 8,52.99 लाख का आधिक्य हुआ।				
10	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 16,18,61.72 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 17,36.79.23 लाख का बजटीय अनुमान अल्प सिद्ध हुआ, जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
11	निम्नलिखित शीर्षों और योजनाओं के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>				
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज				
101	बाजार ऋणों पर ब्याज			विस्तृत शीर्ष 201- ब्याज के अंतर्गत बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0191	बाजार ऋणों पर ब्याज				
	ओ	7,31,91.55			
	एस	..	7,31,91.55	14,70,98.53	(+)7,39,06.98
05	आरक्षित निधियों पर ब्याज				
105	सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज			विस्तृत शीर्ष 201- ब्याज के अंतर्गत बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0185	अन्य देयताओं पर ब्याज				
	ओ	1,38.00			
	एस	..	1,38.00	34,37.69	(+)32,99.69

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

12	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के संबंध में 30.10.2019 की समाप्ति तक प्रभारित अनुभाग में समस्त विनियोग अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] है।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>		
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
101	बाजार ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0184	बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	16,50.00	
04	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों पर ब्याज		
101	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश प्लान योजनाओं हेतु ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0723	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	36,80.00	
104	गैर- आयोजना योजना हेतु ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0171	लघु बचत का अंश	1,92,72.00	
60	अन्य देयताओं पर ब्याज		
701	विविध		
0099	सामान्य		
2140	विद्युत बंधपत्र/ यूडीएवाई	1,93,04.00	
13	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान के अधीनस्थ उप शीर्ष 0163- अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज के अधीन ₹ 1,72,37.00 लाख (प्रभारित) एकमुश्त विनियोजन के प्रति व्यय प्रकट हुआ जिसे अनुदानों हेतु अनुमोदित मांग में परिकल्पित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>		
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
115	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम पर ब्याज		
0099	सामान्य		
9899	आरबीआई से सामान्य अर्थापाय	15,15.96	
9901	ओवर ड्राफ्ट	1,27.43	
123	राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि पर ब्याज	1,74,91.85	
200	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
0186	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	82,18.60	
0302	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	7,56.24	
2121	जीवन बीमा योजना (एलआईसी)	58,32.27	
2694	उदय बंधपत्र पर ब्याज	1,91,84.94	
3002	ओरिएंटल इंश्योरेन्स कम्पनी पर ब्याज	2.46	
3003	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी पर ब्याज	6.86	
3005	प्लवन प्रभार	46.14	
3007	विद्युत वित्त निगम	24,25.48	
305	ऋण प्रबंधन		
0099	सामान्य		
3004	ऋण प्रबंधन पर ब्याज	3,52.94	



## अनुदान संख्या 8 (जारी)

14	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत प्रभारित अनुभाग में बजटीय प्रावधान के बिना व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>2049</b>	<b>ब्याज भुगतान</b>		
04	केन्द्र सरकार से ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		
101	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
1871	बाह्य अनुदान प्राप्त परियोजनाओं हेतु सहायता	11,53.67	
109	12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य योजना समेकित ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
1920	अन्य समेकित ऋण	23,37.11	
112	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र (विधानमण्डल सहित) योजनाओं पर अन्य ऋणों पर ब्याज		
0099	सामान्य		
1871	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु सहायता	1,56.36	
60	अन्य देयताओं पर ब्याज		
701	विविध		
0099	सामान्य		
0185	अन्य देयताओं पर ब्याज	1,71.88	
15	राज्य सामान्य भविष्य निधि और राज्य बीमा निधि के विस्तृत लेखे का अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। क्रमशः ₹ 12,14,29.53 लाख और ₹ 37,95.01 लाख की राशि के राज्य भविष्य निधि और बीमा निधि पर ब्याज क्रमशः ₹ 3,53,98.68 लाख और ₹ 38,08.00 लाख के बजट आंकलन के प्रति तदर्थ आधार पर राज्य सरकार द्वारा लेखे में समायोजित किया गया है।		

## पूँजीगत अनुभाग

16	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,47.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 5,35.02 लाख का बजट प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 3,47.37 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी ₹ 25,69,83.08 लाख की बचत हुई।
----	---

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

17	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
2341	एनएफबी वित्त				
	ओ	5,35.02			
	एस	..	5,35.02	1,87.65	(-)3,47.37

## अनुदान संख्या 8 (जारी)

18	पूँजीगत प्रभारित अनुभाग में ₹ 14,89,47.25 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 1,41,76,30.00 लाख का बजटीय अनुदान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
19	विगत पाँच वर्षों के दौरान भी प्रभारित अनुभाग में अनुदान पर निम्न विवरणानुसार निरंतर आधिक्य हुआ:				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	
	(₹ लाख में)				
	2014-2015	83,62,18.00	85,48,50.06	(+)1,86,32.06	
	2015-2016	85,89,26.00	1,08,15,08.14	(+)22,25,82.14	
	2016-2017	1,53,64,37.00	1,70,23,29.20	(+)16,58,92.20	
	2017-2018	1,78,37,94.80	2,24,90,14.43	(+)46,52,19.63	
	2018-2019	1,79,76,69.00	2,06,46,60.81	(+)26,69,91.81	
20	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये [जुलाई 2020] थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>6003</b>	<b>राज्य सरकार के आंतरिक ऋण</b>				
109	अन्य संस्थानों से ऋण				
0099	सामान्य				
0302	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण				
	ओ	7,66.00			
	एस	..	7,66.00	7,73.32	(+)7.32
21	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत प्रभारित विनियोजन में मुख्यतः बचत हुई; जिसके कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
<b>6003</b>	<b>राज्य सरकार के आंतरिक ऋण</b>				
110	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
2420	अर्थोपाय पुनर्भुगतान				
	ओ	1,31,53,36.00			
	एस	..	1,31,53,36.00	1,25,49,67.00	(-)6,03,69.00

## अनुदान संख्या 8 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)			
<b>6004</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम</b>			
02	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण			
101	अवरुद्ध ऋण			
0099	सामान्य			
0848	ईएपी ऋण			
	ओ	58,60.00		
	एस	..	58,60.00	13,95.19
				(-)44,64.81
22	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	
			(₹ लाख में)	
<b>6003</b>	<b>राज्य सरकार के आंतरिक ऋण</b>			
109	अन्य संस्थानों से ऋण			
0099	सामान्य			
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि			
				1,32,88.00
23	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	
			(₹ लाख में)	
<b>6003</b>	<b>राज्य सरकार के आंतरिक ऋण</b>			
110	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम			
0099	सामान्य			
9901	आरबीआई से ओवर ड्राफ्ट			
				20,93,66.90
111	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ			
0099	सामान्य			
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि			
				1,31,98.48
<b>6004</b>	<b>केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम</b>			
02	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजना हेतु ऋण			
105	12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋण			
0099	सामान्य			
1920	अन्य समेकित ऋण			
				44,51.63
09	राज्य/ विधानमण्डल सहित संघ शासित क्षेत्र हेतु अन्य ऋण			
101	अवरुद्ध ऋण			
0099	सामान्य			
0848	ईएपी ऋण			
				44.42

## अनुदान संख्या 9- संसदीय मामले विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2011 संसद/ राज्य/ संघ शासित विधानमण्डल

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	22,84,80		
		22,84,80	(-)13,52
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
<b>प्रभारित</b>			
मूल	35,40		
		35,40	(-)9,68
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

7610 सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण

दत्तमत			
मूल	1,60,00		
		1,60,00	(+)20,00
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 22,84.80 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 13.52 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	विगत पाँच वर्षों के दौरान भी अनुदान में निरंतर बचत हुई।			
वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
(₹ लाख में)				
2014-2015	38,31.62	31,52.87	(-)6,78.75	
2015-2016	43,11.66	40,04.13	(-)3,07.53	
2016-2017	49,25.78	44,98.15	(-)4,27.63	
2017-2018	57,48.37	51,52.64	(-)5,95.73	
2018-2019	61,36.44	54,84.35	(-)6,52.09	

## अनुदान संख्या 9 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2011</b>	<b>संसद/ राज्य/ संघ शासित विधानमण्डल</b>				
<i>02</i>	<i>राज्य/ संघ शासित विधान मण्डल</i>				
101	विधान सभा			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0890	विधान सभा				
	ओ	2,34.30			
	एस	..	2,34.30	6.49	(-)2,27.81
102	विधान परिषद			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0892	विधान परिषद				
	ओ	3,71.60			
	एस	..	3,71.60	2,91.35	(-)80.25
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2011</b>	<b>संसद/ राज्य/ संघ शासित विधानमण्डल</b>				
<i>02</i>	<i>राज्य/ संघ शासित विधानमण्डल</i>				
103	विधान मण्डल सचिवालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0891	जेएण्डके विधान सभा सचिवालय				
	ओ	11,33.00			
	एस	..	11,33.00	13,91.81	(+)2,58.81
0892	विधान परिषद			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	5,45.90			
	एस	..	5,45.90		5,81.65
5	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 9.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 35.40 लाख का बजटीय अनुदान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 9.68 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6.	विगत पाँच वर्षों के दौरान भी अनुदान में निरंतर बचत हुई।				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
	2014-2015	1,08.70	85.18	(-)23.52	
	2015-2016	1,02.70	34.77	(-)67.93	
	2016-2017	1,40.50	1,05.71	(-)34.79	
	2017-2018	1,65.70	43.25	(-)1,22.45	
	2018-2019	1,65.70	1,13.72	(-)51.98	

## अनुदान संख्या 9 (समाप्त)

7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2011</b>	<b>संसद/ राज्य/ संघ शासित विधानमण्डल</b>				
02	राज्य/ संघ शासित विधानमण्डल				
101	विधान सभा				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0890	विधान सभा				
	ओ	19.40			
	एस	..	19.40	14.34	

## पूँजीगत अनुभाग

8	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 20.00 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 1,60.00 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ। जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये [जुलाई 2020] थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>7610</b>	<b>सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण</b>				
201	आवास निर्माण अग्रिम				विस्तृत शीर्ष 677- आवास निर्माण अग्रिम के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2335	एमएलए/ एमएलसी को गृह निर्माण अग्रिम				
	ओ	1,60.00			
	एस	..	1,60.00	1,80.00	

## अनुदान संख्या 10- विधि विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2015 चुनाव

2030 स्टाम्प और पंजीकरण

2041 वाहनों पर कर

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2230 श्रम और रोजगार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,07,37,86			
		7,07,37,86	6,20,04,70	(-)87,33,16
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>प्रभारित</b>				
मूल	26,70,50			
अनुपूरक	..		26,17,77	(-)52,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल	33,28,24			
		33,28,24	11,28,64	(-)21,99,60
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 87,33.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 7,07,37.86 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 87,33.16 लाख की अंतिम बचत का कोई भी भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान भी ₹ 85,99.58 लाख की बचत हुई थी।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2014 न्याय प्रशासन</b>				
102 उच्च न्यायालय				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 103- कार्यालयीन उपकरण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099 सामान्य				
0495 उच्च न्यायालय				
ओ	6,02.15			
एस	..	6,02.15	3,71.60	(-)2,30.55
105 सिविल और सत्र न्यायालय				मुख्यतः वेतन, विद्युत प्रभार और विस्तृत शीर्ष 014- पीओएल के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099 सामान्य				
0488 जिला और सत्र न्यायालय				
ओ	96,55.80			
एस	..	96,55.80	91,51.23	(-)5,04.57

## अनुदान संख्या 10 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>					
114	विधिक सलाहकार और परामर्श				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 037- व्यावसायिक और विशेष सेवा प्रभागों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0499	अधिवक्ता सामान्य					
	ओ	5,34.20				
	एस	..	5,34.20	4,77.72	(-)56.48	
1248	लोक अभियोजन				मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 037- व्यावसायिक प्रभागों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,54.40				
	एस	..	2,54.40	2,07.11		(-)47.29
2483	विधि आयोग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	53.40				
	एस	..	53.40	5.36		(-)48.04
<b>2015</b>	<b>चुनाव</b>					
102	निर्वाचक अधिकारी				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 106- पंचायत चुनाव के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0493	मुख्य निर्वाचक अधिकारी					
	ओ	5,79,41.41				
	एस	..	5,79,41.41	4,98,96.72	(-)80,44.69	
<b>2030</b>	<b>स्टाम्प और पंजीकरण</b>					
03	<i>पंजीकरण</i>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन एवं प्रशासन					
	ओ	72.50				
	एस	..	72.50	57.47	(-)15.03	
<b>2230</b>	<b>श्रम और रोजगार</b>					
01	<i>श्रम</i>					
101	औद्योगिक संबंध				मुख्यतः वेतन, आरआरटी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय और 071-चिकित्सा प्रतिपूर्ति और 103- कार्यालयीन उपकरण के संबंध में शून्य व्यय।	
0099	सामान्य					
0888	औद्योगिक न्यायाधिकरण न्यायालय/ श्रम न्यायालय					
	ओ	45.00				
	एस	..	45.00	38.85	(-)6.15	
3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>					
103	विशेष न्यायालय				सहायता अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
0889	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण					
	ओ	5,53.20				
	एस	..	5,53.20	9,04.48	(+)3,51.28	
2351	सीबीआई हेतु विशेष न्यायालय				मुख्यतः वेतन और यात्रा खर्च के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
	ओ	44.30				
	एस	..	44.30	50.32		(+)6.02



## अनुदान संख्या 10 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>				
105	सिविल और सत्र न्यायालय				मुख्यतः वेतन एवं यात्रा खर्चों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1243	टीएडीए न्यायालय/ अस्थायी न्यायालय				
	ओ	25.80			
	एस	..	25.80	30.54	(+)4.74
114	विधिक सलाहकार और परामर्श				मुख्यतः वेतन, यात्रा खर्च और कार्यालयीन खर्च के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2427	राज्य और जिला वादकारी नीति				
	ओ	2,67.60			
	एस	..	2,67.60	2,80.27	(+)12.67
116	राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण				मुख्यतः वेतन, यात्रा खर्च और कार्यालयीन खर्च के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0511	मानवाधिकार आयोग				
	ओ	3,72.20			
	एस	..	3,72.20	4,24.19	(+)51.99
1251	एम ए सी टी जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	38.30			
	एस	..	38.30	41.80	
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर</b>				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन एवं यात्रा व्यय के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय
0099	सामान्य				
0506	राज्य परिवहन अपीलिय न्यायालय/ एमएसीटी श्रीनगर				
	ओ	36.00			
	एस	..	36.00	39.71	(+)3.71
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन, यात्रा खर्च और कार्यालय खर्च के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2108	सचिव जवाबदेही आयोग				
	ओ	1,97.00			
	एस	..	1,97.00	2,76.86	(+)79.86
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय (₹ लाख में)		
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>				
105	सिविल और सत्र न्यायालय				
0099	सामान्य				
0489	मुनिसिफ न्यायालय			37.36	
0500	उप न्यायाधीश न्यायालय			14.07	
5	लेखाओं की मुख्य शीर्ष की सूची से विचलन में उप शीर्ष 0495- उच्च न्यायालय के प्रति ₹ 44.60 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अधीनस्थ लघु शीर्ष 104- सतर्कता के अधीन रखा गया, यद्यपि ₹ 45.05 लाख का व्यय लघु शीर्ष-105 विशेष जाँच आयोग से संबंधित है।				

**अनुदान संख्या 10 (समाप्त)**

6	राजस्व प्रभारित अनुभाग में ₹ 52.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से 26,70.50 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 52.73 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष भी अनुदान में बचत हुई थी।				
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>				
102	उच्च न्यायालय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0495	उच्च न्यायालय				
	ओ	26,70.50			
	एस	..	26,70.50	26,17.77	(-)52.73
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
8	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 21,99.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 33,28.24 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 21,99.60 लाख की अंतिम बचत के किसी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी ₹ 53,03.08 की बचत हुई।				
9	अनुदान में बचत निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	<i>अन्य भवन</i>				
051	निर्माण			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0495	जेएण्डके उच्च न्यायालय				
	ओ	11,04.00			
	एस	..	11,04.00	2,05.73	(-)8,98.27
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0495	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय				
	ओ	11,51.02			
	एस	..	11,51.02	9,22.91	(-)2,28.11
10	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अधीन 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
(₹ लाख में)					
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	<i>अन्य भवन</i>				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0495	जेएण्डके उच्च न्यायालय			10,73.22	

## अनुदान संख्या 11- उद्योग और वाणिज्य विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

2853 अलौह खनन और धात्विक उद्योग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	2,20,61,64		
		2,20,61,64	1,52,89,13
			(-)67,72,51
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4852 लौह और इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4853 अलौह खनन और धात्विक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय

6885 उद्योगों और खनिजों पर अन्य ऋण

दत्तमत			
मूल	40,46,21		
		40,46,21	39,21,72
			(-)1,24,49
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 67,72.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,20,61.64 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 67,72,51 लाख की अंतिम बचत के किसी भाग को पूर्वानुमानित व अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	विगत पाँच वर्षों के दौरान भी अनुदान में निम्न विवरणानुसार निरंतर बचत हुई:			
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)			
	2014-2015	2,71,60.65	1,82,56.41	(-)89,04.24
	2015-2016	2,91,05.55	2,37,14.12	(-)53,91.43
	2016-2017	3,05,68.64	2,19,03.91	(-)86,64.73
	2017-2018	3,09,65.11	2,41,49.20	(-)68,15.91
	2018-2019	3,46,08.14	3,13,68.86	(-)32,39.28

## अनुदान संख्या 11 (जारी)

3 निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।						
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2851</b>	<b>ग्राम तथा लघु उद्योग</b>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
2202	उद्योग निदेशक जम्मू					
	ओ	2,34.44				
	एस	..	2,34.44	1,97.43	(-)37.01	
102	लघु पैमाना उद्योग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0408	डीआईसी योजनाएं कश्मीर					
	ओ	11,20.85				
	एस	..	11,20.85	10,51.60	(-)69.25	
0796	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	98.33				
	एस	..	98.33	88.06	(-)10.27	
0809	ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,38.10				
	एस	..	1,38.10	79.99	(-)58.11	
2270	सूचीग्रथन प्रशिक्षण केन्द्र जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	94.26				
	एस	..	94.26	81.75	(-)12.51	
2271	डीआईसी योजनाएं जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	10,12.18				
	एस	..	10,12.18	8,86.26	(-)1,25.92	
103	हथकरघा उद्योग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन एवं प्रशासन					
	ओ	15,92.32				
	एस	..	15,92.32	12,43.76	(-)3,48.56	
0814	यूएनडीपी परियोजना नौशेरा श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,53.49				
	एस	..	1,53.49	1,13.78	(-)39.71	
104	हस्तशिल्प उद्योग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0805	निदेशन और प्रशासन हस्तशिल्प और अधीनस्थ कार्यालय					
	ओ	1,17,24.94				
	एस	..	1,17,24.94	65,51.25	(-)51,73.69	
105	खादी और ग्रामोद्योग				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0802	सहायता अनुदान, अंशदान और सहायिकी					
	ओ	14,48.28				
	एस	..	14,48.28	9,48.28	(-)5,00.00	
<b>2853</b>	<b>अलौह खनन और धात्विक उद्योग</b>					
02	<i>खानों का नियमितीकरण और विकास</i>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन एवं प्रशासन					
	ओ	33,59.03				
	एस	..	33,59.03	29,91.47	(-)3,67.56	

## अनुदान संख्या 11 (जारी)

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,24.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 40,46.21 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 1,24.49 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी अनुदान में बचत हुई।				
5	अनुदान में बचत निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
102	लघु पैमाना उद्योग				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0407	सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम				
	ओ	14,53.26			
	एस	..	14,53.26	9,92.57	(-)4,60.69
103	हथकरघा उद्योग				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0367	हथकरघा उद्योग				
	ओ	92.00			
	एस	..	92.00	85.64	(-)6.36
104	हथकरघा उद्योग				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0363	हथकरघा उद्योग				
	ओ	3,29.38			
	एस	..	3,29.38	265.93	(-)63.45
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4853</b>	<b>अलौह खनन और धात्विक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	खनिज समन्वेषण और विकास				
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
0977	भू-विज्ञान और खनन				
	ओ	44.50			
	एस	-	44.50	66.75	(+)22.25
<b>6885</b>	<b>उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण</b>				
01	औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण				
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण				विस्तृत शीर्ष 668- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1211	सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता				
	ओ	3,65.00			
	एस	..	3,65.00	7,48.75	(+)3,83.75
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
(₹ लाख में)					
<b>4852</b>	<b>लोह और इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
02	निर्माण				
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश				*
0011	सामान्य				
0711	सिडको में निवेश				
1224	एसआईसीओपी				
				2,72.50	
				41.00	

## अनुदान संख्या 11 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	
<b>4853</b>	<b>अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>	
01	खनिज समन्वेषण और विकास	
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
0011	सामान्य	*
0377	जेएण्डके मिनरल्स लिमिटेड	50.00
8	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत व्यय बिना बजटीय प्रावधान के किया गया; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।	
शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>4852</b>	<b>लोह और इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>	
02	विनिर्माण	
800	अन्य व्यय	
0011	सामान्य	*
0711	एसआईडीसीओ में निवेश	2,72.50
1224	एसआईसीओपी	41.00
<b>4853</b>	<b>अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>	
01	खनिज समन्वेषण और विकास	
800	अन्य व्यय	
0011	सामान्य	*
0377	जेएण्डके मिनरल्स लिमिटेड	50.00
*टिप्पणी: यद्यपि मुख्य शीर्ष 4852- लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय के अधीनस्थ उपशीर्ष 0711- एसआईडीसीओ और 1224- एसआईसीओपी में निवेश और मुख्य शीर्ष 4853- अलौह धातु खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय के प्रति पूँजीगत परिव्यय के अधीनस्थ 0377- जम्मू और कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड के प्रति प्रावधान लघु शीर्ष 190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के अधीन रखा गया, तथापि किया गया व्यय एक निवेश नहीं है, जैसा कि अलग से उपयुक्त लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया है।		

## अनुदान संख्या 12- कृषि विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

- 2029 भू-राजस्व  
 2250 अन्य समाज सेवाएं  
 2401 फसल पैदावार  
 2402 मृदा एवं जल संरक्षण  
 2403 पशुपालन  
 2406 वानिकी एवं वन्य जीवन  
 2415 कृषि अनुसंधान और शिक्षा  
 2435 अन्य कृषि कार्यक्रम  
 2705 कमान क्षेत्र विकास  
 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	4,09,63,80		
		4,09,63,80	(+)1,19,53,33
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

- 4401 फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय  
 4402 मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय  
 4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय  
 4415 कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय  
 4705 कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय  
 4851 ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	48,16,40		
		48,16,40	(-)23,92,30
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,19,53.33 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 4,09,63.80 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।
---	---

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

3 निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान के आधिक्य में महत्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>				
001	निदेशन और प्रशासन				वेतन, यात्रा व्ययों तथा किराया दरों एवं करों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0039	निदेशक कृषि (जम्मू)				
	ओ	67,34.87			
	एस	..	67,34.87	69,85.75	(+)2,50.88
0043	निदेशक कृषि कश्मीर				वेतन, यात्रा व्ययों तथा किराया दरों एवं करों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	47,14.54			
	एस	..	47,14.54	48,99.27	
103	बीज				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0019	बीज बहुगुणन फार्म (कश्मीर)				
	ओ	95.63			
	एस	..	95.63	1,08.54	(+)12.91
2180	मौजूदा फार्मों का सुधार				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	1,37.54			
	एस	..	1,37.54	1,41.73	
104	कृषि फार्म				वेतन, किराया दरों एवं करों और एमएण्डएस के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0083	कृषि फार्म (जम्मू)				
	ओ	1,72.60			
	एस	..	1,72.60	3,46.19	(+)1,73.59
107	पौध संरक्षण				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0458	पौध संरक्षण सेवा (कश्मीर)				
	ओ	15,02.19			
	एस	..	15,02.19	16,40.37	(+)1,38.18
0995	पौध संरक्षण सेवा (जम्मू)				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	2,61.66			
	एस	..	2,61.66	2,71.40	
108	वाणिज्यिक फसलें				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0082	आलू विकास योजनाएं ( कश्मीर)				
	ओ	2,30.00			
	एस	..	2,30.00	2,44.01	(+)14.01
109	विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण				वेतन, यात्रा व्ययों तथा किराया दरों एवं करों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1435	प्रशिक्षण तथा दौरे				
	ओ	22,89.67			
	एस	..	22,89.67	23,62.41	(+)72.74
119	बागवानी एवं शाक फसलें				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0050	सब्जियों का विकास (जम्मू प्रभाग)				
	ओ	13,59.98			
	एस	..	13,59.98	16,01.94	(+)2,41.96
2325	किसानों के विकास के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य सलाहकार बोर्ड				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	51.62			
	एस	..	51.62	55.30	



## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण</b>				
101	मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण				मुख्यतः वेतन एवं यात्रा व्ययों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0016	मृदा सर्वेक्षण कश्मीर				
	ओ	4,53.71			
	एस	..	4,53.71	5,37.37	(+)83.66
<b>2406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन</b>				
02	<i>पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन</i>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन, विद्युत प्रभारों एवं एमएण्डआर के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1136	पुष्पकृषि निदेशालय कश्मीर				
	ओ	19,64.26			
	एस	..	19,64.26	21,15.98	(+)1,51.72
2203	प्रांतीय एवं जिला कार्यालय जम्मू				मुख्यतः वेतन, बिजली प्रभारों एवं एमएण्डआर के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	11,26.09			
	एस	..	11,26.09	12,16.29	
<b>2415</b>	<b>कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा</b>				
01	<i>फसल पैदावार</i>				
004	अनुसंधान				मुख्यतः वेतन और पीओएल के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0123	कृषि अनुसंधान इकाई (जम्मू)				
	ओ	90.48			
	एस	..	90.48	91.72	(+)1.24
<b>2435</b>	<b>अन्य कृषि कार्यक्रम</b>				
01	<i>विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण</i>				
102	ग्रेडिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं				मुख्यतः वेतन और कार्यालयीन खर्चों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0623	बीज प्रमाणपत्र योजना सहित विधि प्रवर्तन कश्मीर				
	ओ	3,74.59			
	एस	..	3,74.59	3,77.00	(+)2.41
<b>2705</b>	<b>कमान क्षेत्र विकास</b>				
602	कमान क्षेत्र कश्मीर				मुख्यतः वेतन और कार्यालयीन खर्चों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0116	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (कश्मीर)				
	ओ	3,98.15			
	एस	..	3,98.15	4,14.15	(+)16.00
<b>2851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग</b>				
004	अनुसंधान तथा विकास				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0093	मशरूम पर अनुसंधान (जम्मू)				
	ओ	1,67.86			
	एस	..	1,67.86	1,77.01	(+)9.15
0104	मशरूम (कश्मीर)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	3,11.49			
	एस	..	3,11.49	3,24.53	

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योग</b>				
107	रेशम कीट-पालन उद्योग				मुख्यतः वेतन के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय तथा विस्तृत शीर्ष 363- बाह्यस्रोतन के संबंध में बिना बजट के व्यय।
0099	सामान्य				
0336	रेशम कीट-पालन अपर निदेशक (जम्मू)				
	ओ	17,20.66			
	एस	..	17,20.66	17,90.11	(+)69.45
0416	निदेशक रेशम कीट-पालन जेएण्डके				मुख्यतः वेतन और कार्यालयीन खर्चों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	22,15.19			
	एस	..	22,15.19	28,86.94	
3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>				
104	कृषि फार्म				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0102	कृषि फार्म (कश्मीर)				
	ओ	2,97.27			
	एस	..	2,97.27	2,92.18	(-)-5.09
105	खाद तथा उर्वरक				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1430	स्थानीय खाद संबंधी संसाधनों का विकास (जम्मू)				
	ओ	1,38.38			
	एस	..	1,38.38	1,32.62	(-)-5.76
119	बागवानी तथा शाक फसलें				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0048	सब्जियों का विकास ( कश्मीर प्रभाग)				
	ओ	30,65.10			
	एस	..	30,65.10	28,03.95	(-)-2,61.15
800	अन्य व्यय				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0013	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला				
	ओ	1,05.82			
	एस	..	1,05.82	96.56	(-)-9.26
<b>2406</b>	<b>वानिकी एवं वन्य जीवन</b>				
02	पर्यावरणीय वानिकी एवं वन्य जीवन				
112	सार्वजनिक उद्यान				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1130	सार्वजनिक उद्यान, कश्मीर				
	ओ	13,41.75			
	एस	..	13,41.75	13,34.64	(-)-7.11
2275	सार्वजनिक उद्यान, जम्मू				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	3,60.25			
	एस	..	3,60.25	3,45.79	

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2415</b>	<b>कृषि अनुसंधान और शिक्षा</b>				
01	फसल पैदावार				
004	अनुसंधान				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0033	कृषि अनुसंधान इकाई (कश्मीर)				
	ओ	1,36.14			
	एस	..	1,36.14	1,07.75	
<b>2705</b>	<b>कमान क्षेत्र विकास</b>				
603	कमान क्षेत्र जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0095	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (जम्मू)				
	ओ	15,69.49			
	एस	..	15,69.49	13,23.33	(-)2,46.16
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0050	सब्जियों का विकास (जम्मू प्रभाग)				
	ओ	1,61.13			
	एस	..	1,61.13	1,49.46	(-)11.67
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
			(₹ लाख में)		
<b>2415</b>	<b>कृषि अनुसंधान और शिक्षा</b>				
80	सामान्य				
120	अन्य संस्थानों को सहायता				
0099	सामान्य				
0040	एसकेयूएसटी कश्मीर			1,03,50.00	

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 23,92.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 23,92.30 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6	पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान में हुयी निरंतर बचत का विवरण निम्नानुसार है:-				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
	2014-2015	4,05,23.05	1,82,52.77	(-)2,22,70.28	
	2015-2016	5,40,50.43	3,60,87.68	(-)1,79,62.75	
	2016-2017	9,49,94.38	3,15,11.99	(-)6,34,82.39	
	2017-2018	9,07,28.41	5,73,35.93	(-)3,33,92.48	
	2018-2019	8,91,56.79	1,52,71.29	(-)7,38,85.50	

## अनुदान संख्या 12 (जारी)

7 निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
103	बीज				विस्तृत शीर्ष 021- प्रशिक्षण तथा 260- बीजों की खरीदी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0081	बीजों की खरीद (जम्मू)				
	ओ	3,63.00			
	एस	..	3,63.00	46.79	(-) <b>3,16.21</b>
0099	सामान्य				विस्तृत शीर्ष 260- बीजों की खरीद के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0081	बीजों की खरीद (जम्मू)				
	ओ	5,44.00			
	एस	..	5,44.00	531.33	(-) <b>12.67</b>
0327	बीजों की खरीद (कश्मीर)				विस्तृत शीर्ष 260- बीजों की खरीद के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	154.90			
	एस	-	1,54.90	90.92	
113	कृषि अभियांत्रिकी				विस्तृत शीर्ष 020- मशीनरी उपकरण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0054	उन्नत कृषि उपकरण				
	ओ	12,58.42			
	एस	..	12,58.42	1,05.72	(-) <b>11,52.70</b>
<b>4406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
02	<i>पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन</i>				
112	सार्वजनिक उद्यान				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
2203	निदेशक पुष्पकृषि जम्मू				
	ओ	2,95.47			
	एस	..	2,95.47	2,73.32	(-) <b>22.15</b>
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
107	रेशम कीट-पालन उद्योग				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
1202	रेशम कीट-पालन				
	ओ	2,47.75			
	एस	..	2,47.75	43.91	(-) <b>2,03.84</b>
8 निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
0039	कृषि निदेशक (जम्मू)				
	ओ	2,22.43			
	एस	..	2,22.43	2,58.31	(+) <b>35.88</b>
0061	कृषि निदेशक (कश्मीर)				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	2,48.73			
	एस	..	2,48.73	6,01.92	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				
	ओ	5.75			
	एस	..	5.75	18.87	(+) <b>13.12</b>

## अनुदान संख्या 12 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4406</b>	<b>वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन				
112	सार्वजनिक उद्यान				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
1136	पुष्पकृषि निदेशालय				
	ओ	3,50.70			
	एस	..	3,50.70	3,66.72	(+)16.02
<b>4705</b>	<b>कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
603	कमान क्षेत्र जम्मू				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
0095	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (जम्मू)				
	ओ	9.13			
	एस	..	9.13	36.70	(+)27.57
9	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग		
			(₹ लाख में)		
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
108	वाणिज्यिक फसलें				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ( एनएफएसएम)			7,07.12	
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2417	कृषि, विस्तार तथा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन			2,00.00	
<b>4851</b>	<b>ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
107	रेशम कीट-पालन उद्योग				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2114	रेशम कीट-पालन उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय योजना			2,04.00	
10	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
			(₹ लाख में)		
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2416	संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन			1.38	
<b>4402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
101	मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0016	मृदा सर्वेक्षण कश्मीर			4.08	
<b>4705</b>	<b>कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
602	कमान क्षेत्र कश्मीर				
0011	सामान्य				
0116	कमान क्षेत्र विकास (कश्मीर) का निदेशालय			39.08	

## अनुदान संख्या 13 - पशु/ भेड़पालन विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2403 पशुपालन

		कुल अनुदान/ विनियोग	मूल व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
दत्तमत				
मूल	3,09,63,02			
		3,09,63,02	2,83,56,94	(-)26,06,08
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	39,63,40			
		39,63,40	7,01,67	(-)32,61,73
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग ₹ 26,06.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,09,63.02 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 26,06.08 लाख की अंतिम बचत का कोई भी हिस्सा पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। अनुदान में पिछले पाँच वर्षों के दौरान भी बचत हुयी थी।				
2	पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान में निरंतर बचत भी हुयी थी।				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
	2014-2015	3,59,99.34	3,12,36.01	(-)47,63.33	
	2015-2016	4,24,31.90	3,95,63.44	(-)28,68.46	
	2016-2017	4,32,38.93	3,76,16.03	(-)56,22.90	
	2017-2018	4,67,35.29	3,98,69.97	(-)68,65.32	
	2018-2019	5,91,30.54	5,65,19.33	(-)26,11.21	
3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2403</b>	<b>पशुपालन</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 010-एमएण्डएस के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य				
2062	निदेशक पशुपालन जम्मू				
	ओ	1,10,11.21			
	एस	..	1,10,11.21	79,98.24	(-)30,12.97

## अनुदान संख्या 13 (जारी)

4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2403</b>	<b>पशुपालन</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0138	भेड़ पालन कश्मीर				
	ओ	52,36.53			
	एस	..	52,36.53	55,34.91	(+)2,98.38
0195	भेड़ पालन जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	42,62.18			
	एस	..	42,62.18	42,89.88	
0844	निदेशक पशुपालन कश्मीर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	1,04,53.10			
	एस	..	1,04,53.10	1,05,40.44	
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
	(₹ लाख में)				
<b>2403</b>	<b>पशुपालन</b>				
101	पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य				
0099	सामान्य				
0155	अस्पताल एवं औषधालय/ निदेशक पशुपालन विभाग कश्मीर			5.38	
102	मवेशी और भैंस विकास				
0099	सामान्य				
0140	मवेशी और भैंस विकास/ निदेशक पशुपालन कश्मीर			9.88	
103	मुर्गी पालन विकास				
0099	सामान्य				
0119	मुर्गी पालन विकास योजना/ निदेशक पशुपालन कश्मीर			1.90	
104	भेड़ और ऊन विकास				
0099	सामान्य				
0197	विद्यमान भेड़ प्रजनन फार्म कश्मीर का विस्तार और समेकन			2.42	
0202	विद्यमान भेड़ प्रजनन फार्म कश्मीर का सशक्तिकरण			3.20	
0794	भेड़ प्रजनन फार्म अंदरवान कश्मीर			1.81	
0842	भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र कश्मीर की स्थापना			1.18	

## अनुदान संख्या 13 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 39,63.40 लाख का बजटीय प्रावधान ₹ 32,61.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 32,61.73 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी अनुदान में बचत हुई।				
7	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4403</b>	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
101	पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य				
0011	सामान्य				
0138	भेड़ पालन कश्मीर (निदेशक भेड़ पालन कश्मीर)				
	ओ	3,74.83			
	एस	..	3,74.83	46.68	(-)3,28.15
0195	भेड़ पालन जम्मू				
	ओ	2,33.20			
	एस	..	2,33.20	75.13	(-)1,58.07
0844	निदेशक पशुपालन कश्मीर				
	ओ	5,76.86			
	एस	..	5,76.86	1,64.80	(-)4,12.06
2062	निदेशक पशुपालन जम्मू				
	ओ	7,43.13			
	एस	..	7,43.13	1,05.34	(-)6,37.79
2402	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम				
	ओ	86.50			
	एस	..	86.50	27.28	(-)59.22
8	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>4403</b>	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
101	पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य				
0011	सामान्य				
1925	पशुरोग का नियंत्रण				
				1,14.03	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1925	पशु रोग का नियंत्रण				
				10,56.90	
2402	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम				
				7,77.95	
9	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	वास्तविक व्यय				
	(₹ लाख में)				
<b>4403</b>	<b>पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
101	पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2062	पशुपालन निदेशालय जम्मू				
				7.23	
2499	राष्ट्रीय पशुधन मिशन				
				2,74.40	



## अनुदान संख्या 14- राजस्व विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2250 अन्य समाज सेवाएं

2401 फसल पैदावार

2506 भूमि सुधार

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,47,30,61		
		3,47,30,61	2,51,60,45
अनुपूरक	..		(-)95,70,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,71,00		
		4,71,00	-
अनुपूरक	..		(-)4,71,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 95,70.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,47,30.61 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 95,70.16 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी अनुदान में ₹ 1,18,48.81 लाख बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2053</b>	<b>जिला प्रशासन</b>				
094	अन्य स्थापना			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0569	कृषि संबंधी सुधार				
	ओ	9,00.83			
	एस	..	9,00.83	5,84.20	
				(-)3,16.63	
0700	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	12,43.99			
	एस	..	12,43.99		10,56.47
				(-)1,87.52	
1046	तहसीलें			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	86,80.19			
	एस	..	86,80.19		80,76.73
				(-)6,03.46	
1050	निदेशक भू-अभिलेख			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,32.33			
	एस	..	1,32.33		93.22
				(-)39.11	
1052	राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय				
	ओ	1,57.26			
	एस	..	1,57.26		1,24.90
				(-)32.36	

## अनुदान संख्या 14 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2053</b>	<b>जिला प्रशासन</b>					
094	अन्य स्थापना				मुख्यतः वेतन एवं विस्तृत शीर्ष 017-मानदेय के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय	
0099	सामान्य					
1058	संग्रहण प्रभार					
	ओ	1,78,96.12				
	एस	..	1,78,96.12	97,54.57	(-81,41.55)	
1059	जोतों का समेकन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	5,26.78				
	एस	..	5,26.78	3,62.25		(-1,64.53)
1209	सरकारी संपदाओं का प्रबंधन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,13.17				
	एस	..	2,13.17	1,78.37		(-34.80)
2205	व्यवस्थापन आयुक्त				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	5,75.65				
	एस	..	5,75.65	3,55.59		(-2,20.06)
2310	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ क्षेत्र विकास कार्यालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,14.52				
	एस	..	1,14.52	87.07		(-27.45)
101	आयुक्त				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1048	प्रभागीय आयुक्त					
	ओ	7,15.56				
	एस	..	7,15.56	6,01.03		(-1,14.53)
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>					
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम					
200	अन्य कार्यक्रम				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 659-हज व्यय के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0872	अन्य योजनाएं					
	ओ	35.00				
	एस	..	35.00	25.00	(-10.00)	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2053</b>	<b>जिला प्रशासन</b>					
093	जिला स्थापना				मुख्यतः वेतन एवं विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1049	उपायुक्त					
	ओ	30,10.36				
	एस	..	30,10.36	31,84.16	(+)1,73.80	
101	आयुक्त				मुख्यतः वेतन एवं यात्रा व्यय के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1051	वित्त आयुक्त					
	ओ	2,38.35				
	एस	..	2,38.35	3,08.08	(+)69.73	
2206	संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	1,23.83				
	एस	..	1,23.83	1,37.71		(+)13.88

## अनुदान संख्या 14 (समाप्त)

4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0216	कृषि गणना	38.07	
0748	समयोचित रिपोर्टिंग योजना	20.65	
1516	फसल सांख्यिकी का सुधार	14.68	
<b>2506</b>	<b>भूमि सुधार</b>		
102	जोतों का समेकन		
0099	सामान्य		
1059	जोतों का समेकन	1.26	

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत ₹ 4,71.00 लाख का समस्त बजटीय प्रावधान 30.10.2019 की समाप्ति तक अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे। पिछले वर्ष के दौरान अनुदान में ₹ 4,50.43 लाख की बचत भी हुई थी।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
80	सामान्य		
201	भूमि अधिग्रहण		
0011	सामान्य		
1285	भूमि अधिग्रहण	2,35.50	
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
1050	निदेशक भू-अभिलेख	2,35.50	

**अनुदान संख्या 15- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग**

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2408 खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,05,03,98			
		1,05,03,98	1,81,22,81	(+)76,18,83
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4408 खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल	35,28,92			
		35,28,92	31,83,58	(-)3,45,34
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,05,03.98 लाख का बजटीय प्रावधान ₹ 76,18.83 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से अल्प सिद्ध हुआ। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2408</b>	<b>खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार</b>				
01	<i>खाद्य</i>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0397	उपभोक्ता मामले तथा लोक वितरण जम्मू				
	ओ	17,33.48			
	एस	..	17,33.48	19,06.27	(+)1,72.79
<b>3475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>				
106	भार और माप का विनियमन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
1063	नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान				
	ओ	5,21.98			
	एस	..	5,21.98	5,30.64	(+)8.66

## अनुदान संख्या 15 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2408</b>	<b>खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार</b>				
01	खाद्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0383	उपभोक्ता मामले तथा लोक वितरण कश्मीर				
	ओ	80,97.74			
	एस	..	80,97.74	63,57.07	(-)17,40.67
02	भण्डारण तथा भण्डागार				
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 009-किराया दरों तथा करों के संबंध में बीई के प्रति शून्य व्यय	
0099	सामान्य				
0942	पीडीएस का सशक्तिकरण (जेएण्डके राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग)				
	ओ	1,50.78			
	एस	..	1,50.78	1,39.52	(-)11.26
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष		वास्तविक व्यय			
		(₹ लाख में)			
<b>2408</b>	<b>खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार</b>				
01	खाद्य				
101	अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0942	पीडीएस का सशक्तिकरण (जेएण्डके राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग)		88,65.48		
02	भण्डारण तथा भण्डागार				
101	ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0942	पीडीएस का सशक्तिकरण (जेएण्डके राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग)		2,75.41		
<b>3475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>				
115	अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता				
0099	सामान्य				
1880	अवसंरचना विकास		50.00		

## अनुदान संख्या 15 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 35,28.92 लाख का बजटीय प्रावधान ₹ 3,45.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 3,45.34 लाख की अंतिम बचत का कोई भी भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी अनुदान में बचत हुई थी।				
6	योजना/ गैर-योजना व्यय के रूप में नामपद्धति के उन्मूलन के परिणामस्वरूप, लेखे के राजस्व व्यय शीर्षों के संबंध में बजट प्राक्कलनों को वर्ग शीर्ष 0099- सामान्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना आवश्यक था तथा लेखे के पूँजीगत शीर्षों को 0011-सामान्य के प्रति बुक किया जाना आवश्यक था। लेकिन लेखा के बजट प्राक्कलनों के पूँजीगत शीर्ष अर्थात् एम.एच. 4408-खाद्य भण्डार तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय अभी भी वर्ग शीर्ष 0099- सामान्य के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहा है। तदनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने व्यय के पूँजीगत शीर्षों के संबंध में वर्ग शीर्ष 0099- सामान्य के अंतर्गत व्यय को बुक किया गया है।				
7	अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4408</b>	<b>खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	खाद्य				
101	अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति				विस्तृत शीर्ष 311- लागत मूल्य के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2161	गेहूँ जम्मू				
	ओ	16,50.00			
	एस	..	16,50.00	16,05.13	(-)44.87
02	भण्डारण तथा भण्डागार				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0508	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग				
	ओ	2,25.00			
	एस	..	2,25.00	28.81	(-)1,96.19
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>4408</b>	<b>खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
02	भण्डारण तथा भण्डागार				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0508	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग			55.17	
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
112	सांख्यिकी				
0011	सामान्य				
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी			48.75	

## अनुदान संख्या 16- लोक निर्माण विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2059 लोक निर्माण

2216 आवास

3054 सड़कें तथा पुल

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	6,20,39,70		
		6,20,39,70	5,74,85,68
अनुपूरक	..		(-45,54,02)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

5054 सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	8,04,23,18		
		8,04,23,18	5,80,69,83
अनुपूरक	..		(-2,23,53,35)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत खण्ड में ₹ 45,54.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,20,39.70 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 45,54.02 लाख की अंतिम बचत का कोई भी भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2059</b>	<b>लोक निर्माण</b>				
80	सामान्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1034	मुख्य अभियंता यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग जम्मू सर्किल एवं प्रभागीय कार्यालयों सहित				
	ओ	28,72.50			
	एस	..	28,72.50	18,11.93	
				(-10,60.57)	
1035	मुख्य अभियंता आरएण्डबी विभाग कश्मीर सर्किल एवं प्रभागीय कार्यालयों सहित			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,50,63.15			
	एस	..	2,50,63.15		1,65,79.91
				(-84,83.24)	
1041	मुख्य अभियंता यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग (कश्मीर)			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	26,61.51			
	एस	..	26,61.51		23,14.37
				(-3,47.14)	
1042	मुख्य अभियंता आरएण्डबी विभाग जम्मू सर्किल एवं प्रवासियों सहित प्रभागीय कार्यालयों			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,40,47.75			
	एस	..	1,40,47.75		1,02,05.83
				(-38,41.92)	

## अनुदान संख्या 16 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2059</b>	<b>लोक निर्माण</b>					
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1044	भण्डार अधिप्राप्ति विभाग					
	ओ	5,39.76				
	एस	..	5,39.76	3,95.78	(-)1,43.98	
1281	अभिकल्प निदेशालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	8,86.95				
	एस	..	8,86.95	7,75.03		(-)1,11.92
2181	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	29,99.31				
	एस	..	29,99.31	18,94.41		(-)11,04.90
2275	मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई (जम्मू)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	31,53.91				
	एस	..	31,53.91	26,35.00		(-)5,18.91
<b>2216</b>	<b>आवास</b>					
<i>01</i>	<i>सरकारी आवासीय भवन</i>					
700	अन्य आवास				विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1029	सड़क तथा भवन विभाग, जम्मू					
	ओ	3,75.00				
	एस	..	3,75.00	2,93.47	(-)81.53	
1040	सड़क तथा भवन विभाग, कश्मीर				विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,75.00				
	एस	..	3,75.00	3,14.41		(-)60.59
<b>3054</b>	<b>सड़कें तथा पुल</b>					
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1027	आरएण्डबी विभाग, जम्मू					
	ओ	42,44.81				
	एस	..	42,44.81	39,78.40	(-)2,66.41	
1028	आरएण्डबी विभाग, कश्मीर				विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	44,36.07				
	एस	..	44,36.07	38,34.83		(-)6,01.24
2181	मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई कश्मीर				विस्तृत शीर्ष 449- बर्फ की निकासी के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	82.50				
	एस	..	82.50	68.48		(-)14.02
2342	पी एम आर पी सड़कें				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	51.48				
	एस	..	51.48	16.35		(-)35.13



## अनुदान संख्या 16 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से अधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
<b>3054</b>	<b>सड़कें तथा पुल</b>				
80	सामान्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन				विस्तृत शीर्ष 449- बर्फ निर्बाधता के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2275	मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई (जम्मू)				
	ओ	1,60.00			
	एस	..	1,60.00	1,94.72	
4	लेखे के मुख्य और लघु शीर्ष की सूची से विचलन में, उप-शीर्ष 1029- सड़क एवं भवन विभाग, जम्मू और उप-शीर्ष 1040- सड़क और भवन कश्मीर के प्रति क्रमशः ₹ 3,75.00 लाख और ₹ 3,75.00 लाख रुपये के प्रावधान को उप-मुख्य शीर्ष 01-सरकारी आवासीय भवनों और लघु शीर्ष 700-अन्य आवास के अंतर्गत रखा गया था।				

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,23,53.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 8,04,23.18 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 2,23,53.34 लाख की अंतिम बचत को कोई भी भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6	विगत पाँच वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत भी निम्नानुसार है:-				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(-)	
(₹ लाख में)					
	2014-2015	12,30,80.97	8,69,83.77	(-)3,60,99.20	
	2015-2016	16,85,27.68	11,78,68.24	(-)5,06,59.44	
	2016-2017	18,56,99.50	14,36,57.09	(-)4,20,42.41	
	2017-2018	20,05,99.50	18,11,09.52	(-)1,94,89.98	
	2018-2019	23,61,49.70	11,03,13.17	(-)12,58,36.53	
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	कार्यालय भवन				
001	निदेशन एवं प्रशासन				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
1270	यांत्रिक अभियांत्रिकी जम्मू				
	ओ	46.00			
	एस	..	46.00	30.52	
1276	यांत्रिक अभियांत्रिकी कश्मीर				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	2,49.50			
	एस	..	2,49.50	1,94.15	
<b>5054</b>	<b>सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
03	राज्य राजमार्ग				
101	पुल				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2181	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) मार्ग				
	ओ	3,92,50.00			
	एस	..	3,92,50.00	1,83,36.10	

## अनुदान संख्या 16 (जारी)

9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	कार्यालय भवन		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1027	आरण्डबी विभाग, जम्मू	45,00.00	
1028	आरण्डबी विभाग, कश्मीर	60,10.00	
10	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>5054</b>	<b>सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
05	सड़कें		
337	सड़क निर्माण कार्य		
0011	सामान्य		
0515	निर्माण	72,14.19	
2471	मुद्रिका सड़क	2,31.51	
11	यद्यपि प्रावधान का कोई भी हिस्सा मुख्य शीर्ष 3054- सड़कें और पुलों के अंतर्गत आरक्षित निधि जमा लेखा में हस्तांतरित करने के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं किया गया था, फिर भी ₹ 1,20,84.00 लाख रुपये की राशि निधि लेखा को हस्तांतरित की गयी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अनुभाग में प्रावधान से अधिक आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये थे।		

## अनुदान संख्या 16 (जारी)

मुख्य लेखा शीर्ष/विवरण	01 अप्रैल 2019 को अथ शेष	डेबिट 2019-20 (30.10.201 9 तक)	क्रेडिट 2019-20 (30.10.2019 तक)	30 अक्टूबर 2019 को अंत शेष
	(₹ लाख में)			
<b>12 उंचत संव्यवहार:- 'उंचत' शीर्ष के अंतर्गत अनुदान में व्यय ₹ शून्य लाख शामिल है। उंचत शीर्ष तथा लेखा प्रक्रिया के अंतर्गत संव्यवहार की प्रकृति की व्याख्या अनुदान संख्या 5- लदाख मामले विभाग की टिप्पणी 4 में की गयी है। इस अनुदान में वर्ष 2019-20 (30.10.2020 तक) के दौरान शीर्ष के अंतर्गत संव्यवहार का विश्लेषण अथ और अंत शेष के साथ नीचे दिया गया है:-</b>				
<b>2059-लोक निर्माण -</b>				
खरीदें	(-)13,48.51	-	-	(-)13,48.51
भण्डार	47,09.42			47,09.42
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	9,03.02	-	-	9,03.02
कार्यशाला उंचत	0.28	-	-	0.28
<b>कुल</b>	<b>42,64.21</b>			<b>42,64.21</b>
<b>2216-आवास-</b>				
खरीदें	(-)9.37	-	-	(-)9.37
भण्डार	61.60	-	-	61.60
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	0.89	-	-	0.89
कार्यशाला उंचत	(-)2.09	-	-	(-)2.09
<b>कुल</b>	<b>51.03</b>			<b>51.03</b>
<b>3054-सड़कें तथा पुल-</b>				
खरीदें	(-)1,17.88	-	-	(-)1,17.88
भण्डार	(-)3,76.99	-	-	(-)3,76.99
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	1,11.05	-	-	1,11.05
कार्यशाला उंचत	0.01	-	-	0.01
<b>कुल</b>	<b>(-)3,83.81</b>			<b>(-)3,83.81</b>
<b>4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
खरीदें	-	-	-	-
भण्डार	0.11	-	-	0.11
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	-	-	-	-
कार्यशाला उंचत	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>0.11</b>			<b>0.11</b>
<b>5054- सड़कें और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
खरीदें	1.44	-	-	1.44
भण्डार	4.63	-	-	4.63
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-)1.00	-	-	(-)1.00
कार्यशाला उंचत	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>5.07</b>			<b>5.07</b>

## अनुदान संख्या 16 (समाप्त)

13	लोक निर्माण के औजार तथा संयंत्र, स्थापना प्रभारों की समीक्षा:- वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 (30.10.2020 की समाप्ति) के दौरान लोक निर्माण विभाग में निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना एवं औजार और संयंत्र पर व्यय का प्रतिशत नीचे दर्शाया किया गया है, (अन्य विभागों, बाहरी निकायों इत्यादि के लिए किये गये कार्यों हेतु वसूली योग्य पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए सरकार द्वारा सन् 1955 में प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो निर्माण कार्यों की लागत के आधार पर स्थापना प्रभारों के लिए 7.5 से 15 के बीच और औजार तथा संयंत्र प्रभारों के लिए 0.5 और 1 के बीच है)				
मुख्य लेखा शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	उपकरण तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए उपकरण तथा संयंत्र प्रभारों का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>2059-लोक निर्माण</b>					
2017-18	29,85.41	4,92,71.08	16,50.40	25.60	0.09
2018-19	33,30.56	7,15,68.51	21,48.84	10.64	0.32
2019-20	18,25.86	3,47,86.39	19,05.20	-	-
<b>2216-आवास</b>					
2017-18	3,34.67	-	-	-	-
2018-19	7,71.79	-	-	-	-
2019-20	60,787,540	-	-	-	-
<b>3054-सड़कें तथा पुल</b>					
2017-18	-	-	-	-	-
2018-19	1,00,24.85	16,38,19.48	16,34.13	-	-
2019-20	81,65.19	2,02,65.54	2,48.19	-	-
<b>4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2017-18	2,45,37.11	-	-	-	-
2018-19	3,04,43.36	-	-	-	-
2019-20	86,49.19	-	-	-	-
<b>5054-सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2017-18	15,65,72.00	-	-	-	-
2018-19	7,98,69.81	-	-	-	-
2019-20	4,94,20.64	-	-	-	0
14	<b>केन्द्रीय सड़क निधि (संसाहायिकी)</b>				
<p>सड़क विकास के लिए चिह्नित मोटर स्पिरिट्स पर उत्पाद शुल्क करों की प्राप्तियों में से, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के नाम से एक निधि का गठन किया गया है। इसमें से निधि राशियाँ भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के लेखा में अनुदान-सहायता (सीआरएफ संसाहायिकी) जमा करके राज्य सरकार को आबंटित की जाती हैं। केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन को मुख्य शीर्ष 3054- सड़कें तथा पुल में कोन्ट्रा डेबिट द्वारा मुख्य शीर्ष 8449- में जमा किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत इस प्रकार के व्यय को आबंटन (आरक्षित के अलावा) से प्राप्त करना होता है और जमा शीर्ष अर्थात् 8449- केन्द्रीय सड़क निधि से अन्य जमा संसाहायिकी से समकक्ष राशि का हस्तांतरित करके सेट ऑफ किया जाता है।</p> <p>वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सरकार को ₹ 1,20,84.00 लाख का कुल आबंटन किया गया है जिसके प्रति दिनांक 01.04.2019 को ₹ 5,24,66.14 लाख के अथ शेष सहित ₹ 5,73,32.93 लाख का अंत शेष छोड़ते हुए, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक राज्य सरकार द्वारा वास्तविक संवितरित राशि ₹ 72,17.21 लाख है।</p>					

## अनुदान संख्या 17- स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य

2211 परिवार कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	22,16,17,75		
		22,16,17,75	19,44,42,45
			(-)2,71,75,30
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	60,88,52		
		60,88,52	1,49,09,28
			(+)88,20,76
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,71,75.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 22,16,17.75 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 2,71,75.30 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी अनुदान में बचत हुई।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>			
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0579	गांधीनगर अस्पताल जम्मू			
	ओ	8,41.02		
	एस	..	8,41.02	7,11.89
				(-)1,29.13
0602	राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन जम्मू			मुख्यतः वेतन तथा विस्तृत शीर्ष 014-पीओएल के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,07.35		
	एस	..	1,07.35	
				(-)15.07
0610	जिला टी.बी. अधिकारी तथा क्लिनिक जम्मू			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	5,95.28		
	एस	..	5,95.28	
				(-)64.72
0618	जिला चिकित्सा अधिकारी जम्मू (एच.एस.)			मुख्यतः यात्रा खर्च तथा विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	3,80.92		
	एस	..	3,80.92	
				(-)10.74
0630	राज्य टी.बी. कार्यालय जम्मू			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	23.15		
	एस	..	23.15	
				(-)15.90
0636	निदेशन एवं प्रशासन जम्मू (डीएचएसजे)			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	84,99.15		
	एस	..	84,99.15	
				(-)20,20.38

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 081- औषधियों एवं उपकरणों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0638	निदेशन कार्यालय कश्मीर (डीएचएसके)					
	ओ	64,02.39				
	एस	..	64,02.39	62,04.02	(-)1,98.37	
104	चिकित्सा भण्डार आगार				मुख्यतः वेतन तथा विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण तथा मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1279	चिकित्सा भण्डार विभाग जम्मू					
	ओ	1,60.99				
	एस	..	1,60.99	1,33.74	(-)27.25	
109	विद्यालय स्वास्थ्य योजना				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0591	विद्यालय स्वास्थ्य योजना जम्मू					
	ओ	32.61				
	एस	..	32.61	27.56	(-)5.05	
0643	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं विद्यालय स्वास्थ्य कश्मीर				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	99.87				
	एस	..	99.87	78.39		(-)21.48
110	अस्पताल तथा औषधालय					
0099	सामान्य				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0557	सी डी अस्पताल जम्मू					
	ओ	9,92.41				
	एस	..	9,92.41	8,38.73		(-)1,53.68
0559	चितरंजन दास मोबाइल अस्पताल				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,56.77				
	एस	..	2,56.77	1,97.16		(-)59.61
0562	नये औषधालयों का सुधार तथा आरंभ जम्मू					
	ओ	30,88.06			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	30,88.06	24,46.28		(-)6,41.78
0567	हड्डी जाइंट शल्य चिकित्सा हेतु सरकारी अस्पताल श्रीनगर					
	ओ	13,42.75				
	एस	..	13,42.75	10,55.84	(-)2,86.91	
0568	लल देद महिला अस्पताल श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	25,28.50				
	एस	..	25,28.50	21,71.13		(-)3,57.37
0576	नये औषधालयों का सुधार तथा आरंभ					
	ओ	2,38.45			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	एस	..	2,38.45	1,88.25		(-)50.20
0585	उप जिला अस्पताल जम्मू					
	ओ	58,00.11				
	एस	..	58,00.11	48,21.84	(-)9,78.27	
0622	उप जिला अस्पताल कश्मीर				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023- अनुरक्षण तथा मरम्मत के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	76,77.28				
	एस	..	76,77.28	76,69.86		(-)7.42

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी					
110	अस्पताल तथा औषधालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0625	एस.एम.एच.एस. अस्पताल श्रीनगर					
	ओ	51,52.40				
	एस	..	51,52.40	45,66.51	(-)5,85.89	
0660	सी.डी. अस्पताल श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	9,73.80				
	एस	..	9,73.80	7,97.34		(-)1,76.46
0662	सरकारी मनश्चिकित्सा अस्पताल जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,44.74				
	एस	..	3,44.74	2,70.60		(-)74.14
0678	संबद्ध अस्पताल श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,19.30				
	एस	..	1,19.30	95.58		(-)23.72
0680	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	52,73.53				
	एस	..	52,73.53	41,55.46		(-)11,18.07
0688	सरकारी मनश्चिकित्सा अस्पताल श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	6,96.60				
	एस	..	6,96.60	4,59.28		(-)2,37.32
1293	एस एम जी एस अस्पताल जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	36,09.31				
	एस	..	36,09.31	28,62.06		(-)7,47.25
1529	प्रशासक संबद्ध अस्पताल जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	9,07.62				
	एस	..	9,07.62	8,72.71		(-)34.91
1553	बच्चों का अस्पताल श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	9,35.77				
	एस	..	9,35.77	8,45.53		(-)90.24
1758	सनत नगर अस्पताल				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,28.76				
	एस	..	1,28.76	76.18		(-)52.58
1764	जी. बी. पंत अस्पताल				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	8,04.75				
	एस	..	8,04.75	5,10.88		(-)2,93.87
2261	चितरंजन दास मोबाइल अस्पताल				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	41.00				
	एस	..	41.00	20.34		(-)20.66
200	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0641	एकीकरण बाल विकास योजनाएं जम्मू					
	ओ	3,92.76				
	एस	..	3,92.76	3,59.75	(-)33.01	

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
02	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- औषधि की अन्य प्रणालियाँ				
101	आयुर्वेद				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0667	यूनानी तथा आयुर्वेदिक औषधालय कश्मीर (आईएसएम)				
	ओ	36,12.54			
	एस	..	36,12.54	34,76.02	(-)1,36.52
0681	निदेशन एवं प्रशासन (निदेशक आईएसएम जम्मू एवं कश्मीर)				विस्तृत शीर्ष 081- मादक द्रव्यों तथा उपकरणों के संबंध में अप्रयुक्त बजट।
	ओ	2,20.68			
	एस	..	2,20.68	1,63.55	(-)57.13
1315	बैडेड अस्पताल आयुर्वेदिक जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,80.50			
	एस	..	1,80.50	1,68.57	(-)11.93
103	यूनानी				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1837	चिकित्सा भण्डार आई एस एम जम्मू				
	ओ	71.13			
	एस	..	71.13	52.88	(-)18.25
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी				
101	स्वास्थ्य उप केंद्र				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0580	उप केन्द्र कश्मीर				
	ओ	41,65.53			
	एस	..	41,65.53	41,50.57	(-)14.96
0581	उप केन्द्र जम्मू				विस्तृत शीर्ष 081- मादक द्रव्यों तथा उपकरणों के संबंध में अप्रयुक्त बजट।
	ओ	34,84.89			
	एस	..	34,84.89	34,53.26	(-)31.63
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (आधारभूत सेवाएं)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0644	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीनगर				
	ओ	1,47,99.14			
	एस	..	1,47,99.14	1,28,50.09	(-)19,49.05
0649	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आर एस पोरा (चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू)				मुख्यतः वेतन तथा विस्तृत शीर्ष 008- विद्युत प्रभागों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	2,60.42			
	एस	..	2,60.42	2,00.23	(-)60.19
2262	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जम्मू (कोट भलवाल)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	88,50.56			
	एस	..	88,50.56	83,71.33	(-)4,79.23
110	अस्पताल तथा औषधालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0577	मोबाइल चिकित्सा इकाई जम्मू				
	ओ	1,27.65			
	एस	..	1,27.65	95.27	(-)32.38
0696	यूनानी आयुर्वेदिक औषधालय जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	30,05.93			
	एस	..	30,05.93	26,90.64	(-)3,15.29



## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
<b>05</b>	<b>चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</b>					
105	एलोपैथी				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0166	चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू					
	ओ	1,21,38.39				
	एस	..	1,21,38.39	90,86.38	(-)30,52.01	
0305	चिकित्सा महाविद्यालय श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,13,94.48				
	एस	..	1,13,94.48	95,24.77		(-)18,69.71
0586	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (हाजन खण्ड)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	8,15.45				
	एस	..	8,15.45	7,42.23		(-)73.22
0590	आयुर्विज्ञान संस्थान श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,20,92.06				
	एस	..	2,20,92.06	2,01,19.24		(-)19,72.82
0592	ए एम टी विद्यालय श्रीनगर				मुख्यतः वेतन तथा विस्तृत शीर्ष 079-वजीफा और छात्रवृत्ति के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,57.78				
	एस	..	1,57.78	1,02.83		(-)54.95
0679	प्रधानाचार्य दंत महाविद्यालय श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	14,97.24				
	एस	..	14,97.24	13,10.29		(-)1,86.95
0682	ए एम टी विद्यालय श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,20.96				
	एस	..	2,20.96	1,60.91		(-)60.05
1756	टी.बी. निरूपण सह प्रशिक्षण केंद्र				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,31.62				
	एस	..	1,31.62	1,24.17		(-)7.45
2023	दंत महाविद्यालय जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	13,35.89				
	एस	..	13,35.89	9,34.49		(-)4,01.40
2453	नये चिकित्सा महाविद्यालय				मुख्यतः वेतन तथा विस्तृत शीर्ष 011-पुस्तक और प्रकाशन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	66,02.10				
	एस	..	66,02.10	35,47.59		(-)30,54.51
<b>06</b>	<b>जन स्वास्थ्य</b>					
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0603	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जम्मू					
	ओ	13,08.92				
	एस	..	13,08.92	12,39.21	(-)69.71	
1300	एस ई टी चिकित्सा (एसपीएम)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	4,58.21				
	एस	..	4,58.21	3,53.58		(-)1,04.63
2263	एन्टी वी.डी/ एसटीडी कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	35.00				
	एस	..	35.00	29.74		(-)5.26

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
06	जन स्वास्थ्य					
102	खाद्य अपमिश्रण का निवारण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0648	खाद्य प्रयोगशालाएं कश्मीर					
	ओ	64.41				
	एस	..	64.41	34.49	(-)29.92	
2479	खाद्य सुरक्षा अपीलिय न्यायाधिकरण जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	39.35				
	एस	..	39.35	33.47		(-)5.88
104	मादक द्रव्य नियंत्रण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0633	अर्ध-चिकित्सा सहायता केन्द्र कश्मीर					
	ओ	2,02.76				
	एस	..	2,02.76	1,96.83	(-)5.93	
0654	उप नियंत्रक मादक द्रव्य एवं खाद्य जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,19.56				
	एस	..	3,19.56	2,55.47		(-)64.09
0658	उप नियंत्रक तथा मादक द्रव्य नियंत्रण संगठन कश्मीर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,69.54				
	एस	..	3,69.54	3,28.02		(-)41.52
1294	नियंत्रक मादक द्रव्य तथा खाद्य जम्मू एवं कश्मीर नियंत्रण संगठन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,91.09				
	एस	..	1,91.09	1,74.67		(-)16.42
107	जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0626	मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी					
	ओ	69.36				
	एस	..	69.36	47.17	(-)22.19	
0656	मादक द्रव्य प्रयोगशाला कश्मीर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,43.13				
	एस	..	1,43.13	1,20.66		(-)22.47
0676	जिला मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	78.60				
	एस	..	78.60	70.94		(-)7.66
0689	मुफासिल स्वच्छता निवारक संगठन सेट केन्द्र केन्द्रीय प्रयोगशाला श्रीनगर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	45.00				
	एस	..	45.00	40.00		(-)5.00
2267	जिला मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,34.86				
	एस	..	1,34.86	1,08.49		(-)26.37

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
06	जन स्वास्थ्य					
200	अन्य प्रणालियाँ				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0565	रहबर-ए-सेहत जम्मू					
	ओ	1,12.81				
	एस	..	1,12.81	97.86	(-)14.95	
0620	रहबर-ए-सेहत जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,68.91				
	एस	..	1,68.91	1,03.69		(-)65.22
<b>2211</b>	<b>परिवार कल्याण</b>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
2204	निदेशक परिवार कल्याण (जम्मू एवं कश्मीर)					
	ओ	6,36.21				
	एस	..	6,36.21	3,14.84	(-)3,21.37	
003	प्रशिक्षण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
2204	निदेशक परिवार कल्याण					
	ओ	92.90				
	एस	..	92.90	26.39	(-)66.51	
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0581	उप केन्द्र जम्मू					
	ओ	98,86.14				
	एस	..	98,86.14	46,68.44	(-)52,17.70	
1769	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	4,50.00				
	एस	..	4,50.00	1,54.43		(-)2,95.57
0099	सामान्य				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
2204	निदेशक परिवार कल्याण, जम्मू एवं कश्मीर					
	ओ	20,25.46				
	एस	..	20,25.46	14,83.39	(-)5,42.07	
102	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं					
1770	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र					
	ओ	68.00				
	एस	..	68.00	48.02	(-)19.98	

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>				
<i>01</i>	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी</i>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0558	जिला चिकित्सा सुविधाएं जम्मू				
	ओ	27,05.12			
	एस	..	27,05.12	31,00.42	(+)3,95.30
104	चिकित्सा भण्डार आगार				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0598	चिकित्सा भण्डार विभाग कश्मीर				
	ओ	79.25			
	एस	..	79.25	89.21	(+)9.96
200	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन				
	ओ	2,79,97.00			
	एस	..	2,79,97.00	2,79,99.50	(+)2.50
0099	सामान्य				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
1765	राज भवन रोगीवाहिका				
	ओ	11.94			
	एस	..	11.94	13.88	
<i>03</i>	<i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी</i>				
110	अस्पताल तथा औषधालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0576	नये औषधालयों का सुधार तथा आरंभ				
	ओ	32,10.17			
	एस	..	32,10.17	32,74.50	(+)64.33
<i>06</i>	<i>जन स्वास्थ्य</i>				
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1277	दृष्टि क्षीणता तथा दृष्टिहीनता नियंत्रण जम्मू				
	ओ	3,57.80			
	एस	..	3,57.80	3,73.70	(+)15.90

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>		
01	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी</i>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
2356	खण्ड विकास परिषद	13.00	
110	अस्पताल तथा औषधालय		
0099	सामान्य		
2508	एन्टी हीमोफिलिक औषधि	1,50.00	
03	<i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी</i>		
200	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं		
0099	सामान्य		
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	10,25.00	
06	<i>जन स्वास्थ्य</i>		
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2423	बधिरता की रोकथाम एवं नियंत्रण	35.50	
<b>2211</b>	<b>परिवार कल्याण</b>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2544	आयुष्मान भारत (एबी - पीएमजेएवाई)	1,75.00	
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>2210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>		
01	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी</i>		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
0627	जिला चिकित्सा सुविधाएं कश्मीर	1.56	
03	<i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी</i>		
110	अस्पताल तथा औषधालय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2504	राष्ट्रीय केसर मिशन	14.48	

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>2211</b>	<b>परिवार कल्याण</b>	
001	निदेशन एवं प्रशासन	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	
1651	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो	6,47.19
0099	सामान्य	
2544	आयुष्मान भारत (एबी - पीएमजेएवाई)	1,59.24
004	अनुसंधान तथा मूल्यांकन	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	
1654	एएनएम/ एलएचवी/ एएमटी स्कूलों का प्रशिक्षण	2,23.97
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	
1652	ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र	3.99
800	अन्य व्यय	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	
0581	उप केन्द्र जम्मू	15,09.29
1651	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो	3,97.45
1652	ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र	20.55
1769	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो	1,56.70
6	लेखा के मुख्य और लघु शीर्ष की सूची से विचलन में, उप-शीर्ष 1531- दृष्टिहीनता पर नियंत्रण को उप-शीर्ष 80-सामान्य, 110-अस्पताल तथा औषधालय के अंतर्गत रखा गया था जबकि ₹ 86,07.44 लाख की राशि का व्यय उप मुख्य शीर्ष 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत प्रकट हुआ।	

## पूँजीगत अनुभाग

7	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 88,20.76 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है। विगत दो वर्षों के दौरान भी ₹ 2,76.69 लाख का आधिक्य हुआ था।			
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
<b>4210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति आधिक्य व्यय।
0011	सामान्य			
1536	निदेशक स्वास्थ्य जम्मू			
	ओ	3,05.00		
	एस	.. 3,05.00	5,36.55	(+)2,31.55
1544	झेलम घाटी चिकित्सा महाविद्यालय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति आधिक्य व्यय।
	ओ	1,32.96		
	एस	.. 1,32.96	2,17.52	

## अनुदान संख्या 17 (जारी)

9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0166	चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू				
	ओ	6,70.25			
	एस	..	6,70.25	4,74.44	(-)1,95.81
0305	चिकित्सा महाविद्यालय श्रीनगर				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	15,84.50			
	एस	..	15,84.50	2,03.03	
1537	निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	6,82.50			
	एस	..	6,82.50	4,09.52	
1538	मादक द्रव्य तथा खाद्य नियंत्रण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	80.00			
	एस	..	80.00	43.69	
1539	भारतीय औषधि प्रणाली (आई एस एम)				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,84.13			
	एस	..	1,84.13	94.57	
1540	दंत महाविद्यालय श्रीनगर				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	3,18.00			
	एस	..	3,18.00	1,11.27	
1541	संबद्ध अस्पताल श्रीनगर				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	4,72.50			
	एस	..	4,72.50	2,11.79	
1542	संबद्ध अस्पताल जम्मू				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	4,20.00			
	एस	..	4,20.00	82.15	
2023	सरकारी दंत अस्पताल जम्मू				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	3,54.50			
	एस	..	3,54.50	3,23.54	

## अनुदान संख्या 17 (समाप्त)

10	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>4210</b>	<b>चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
<i>01</i>	<i>शहरी स्वास्थ्य सेवाएं</i>		
103	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0590	आयुर्विज्ञान संस्थान सौरा श्रीनगर	3.86	
<i>02</i>	<i>ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं</i>		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2256	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	16,15.02	
<i>03</i>	<i>चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>		
105	एलोपैथी		
0011	सामान्य		
2453	नये चिकित्सा महाविद्यालय	1,05.43	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2453	नये चिकित्सा महाविद्यालय	91,39.01	
200	अन्य प्रणालियाँ		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0192	आयुष योजनाओं का कार्यान्वयन	2,07.16	
<i>04</i>	<i>जन स्वास्थ्य</i>		
101	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1881	रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	2,48.33	



**अनुदान संख्या 18- समाज कल्याण विभाग**

राजस्व -

**मुख्य शीर्ष**

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236 पोषण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>दत्तमत</b>			
मूल	6,44,73,70		
		6,44,73,70	6,65,51,64
			(+)20,77,94
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

**पूँजीगत**

**मुख्य शीर्ष**

4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4236 पोषण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	6,13,43		
		6,13,43	1,15,30
			(-)4,98,13
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 20,77.94 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 6,44,73.70 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
105	विशेष जाँच आयोग			विस्तृत शीर्ष 009- पीओएल के संबंध में बिना बजट के व्यय किया गया।	
0099	सामान्य				
1791	राज्य महिला आयोग				
	ओ	79.07			
	एस	..	79.07	83.04	(+)3.97

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>					
03	<i>अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</i>					
102	आर्थिक विकास				विस्तृत शीर्ष 079- वजीफा और छात्रवृत्ति के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1827	अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण					
	ओ	5,53.79				
	एस	..	5,53.79	6,18.51	(+)64.72	
1828	पहाड़ी भाषी लोगों का कल्याण				विस्तृत शीर्ष 079- वजीफा और छात्रवृत्ति के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	2,19.26				
	एस	..	2,19.26	5,10.23		(+)2,90.97
80	<i>सामान्य</i>					
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1099	महिला व्यावसायिक केन्द्र जम्मू					
	ओ	28.35				
	एस	..	28.35	32.82	(+)4.47	
2036	कुटीर उद्योग विकास केन्द्र, जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	86.45				
	एस	..	86.45	1,04.64		(+)18.19
2037	कुटीर उद्योग विकास केन्द्र, कश्मीर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	61.64				
	एस	..	61.64	65.79		(+)4.15
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>					
02	<i>समाज कल्याण</i>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
0244	निदेशन एवं प्रशासन					
	ओ	45.40				
	एस	..	45.40	50.78	(+)5.38	
1092	जिला स्तरीय कार्यालय कश्मीर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	3,46.20				
	एस	..	3,46.20	3,65.39		(+)19.19
1106	तहसील स्तरीय कार्यालय कश्मीर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	3,06.14				
	एस	..	3,06.14	3,30.55		(+)24.41
2039	निदेशन एवं प्रशासन जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	1,68.51				
	एस	..	1,68.51	1,92.06		(+)23.55
2280	जिला स्तरीय कार्यालय जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	1,74.88				
	एस	..	1,74.88	2,15.63		(+)40.75
2281	तहसील स्तरीय कार्यालय जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	3,13.06				
	एस	..	3,13.06	3,66.76		(+)53.70

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>					
02	समाज कल्याण					
101	दिव्यांगों का कल्याण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1082	दृष्टिहीनों के लिए आवासीय विद्यालय					
	ओ	25.30				
	एस	..	25.30	29.72	(+)4.42	
102	बाल कल्याण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
2044	बाल आश्रम कश्मीर की स्थापना					
	ओ	91.45				
	एस	..	91.45	1,04.62	(+)13.17	
2045	बाल आश्रम जम्मू की स्थापना				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	1,36.55				
	एस	..	1,36.55	1,83.29		(+)46.74
103	महिला कल्याण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
2040	समाज कल्याण केन्द्र कश्मीर					
	ओ	3,63.59				
	एस	..	3,63.59	4,10.48	(+)46.89	
2041	समाज कल्याण केन्द्र जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	3,94.20				
	एस	..	3,94.20	4,91.69		(+)97.49
2043	निराश्रित के लिए आवास नारी निकेतन जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	90.27				
	एस	..	90.27	93.68		(+)3.41
104	वृद्ध, अशक्त तथा निराश्रित का कल्याण				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 500- पेन्शन लाभ के संबंध में बीई के प्रति आधिक्य व्यय।	
0099	सामान्य					
2282	वृद्धावस्था पेन्शन (ओएपी) (आईएसएसएस)/ जम्मू					
	ओ	1,50,03.00				
	एस	..	1,50,03.00	1,71,75.61	(+)21,72.61	
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम					
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
2047	अनुवीक्षण और मूल्यांकन कक्ष जम्मू					
	ओ	9.28				
	एस	..	9.28	10.47	(+)1.19	
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>					
02	पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण					
101	विशेष पोषण कार्यक्रम				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 017- मानदेय के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1287	एकीकृत बाल विकास योजना					
	ओ	42,33.36				
	एस	..	42,33.36	43,62.95	(+)1,29.59	

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
105	विशेष जाँच आयोग				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0502	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग				
	ओ	1,58.50			
	एस	..	1,58.50	1,43.93	(-)14.57
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>				
<i>03</i>	<i>अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</i>				
102	आर्थिक विकास				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2324	अन्य पिछड़े वर्ग का विकास				
	ओ	1,07.34			
	एस	..	1,07.34	52.54	(-)54.80
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>				
<i>01</i>	<i>पुनर्वास</i>				
202	अन्य पुनर्वास योजनाएं				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2433	जेएण्डके राज्य पुनर्वास परिषद				
	ओ	75.00			
	एस	..	75.00	66.50	(-)8.50
<i>02</i>	<i>समाज कल्याण</i>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2038	निदेशन एवं प्रशासन कश्मीर				
	ओ	1,36.15			
	एस	..	1,36.15	1,27.44	(-)8.71
102	बाल कल्याण				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2447	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना				
	ओ	12,01.84			
	एस	..	12,01.84	11,01.84	(-)1,00.00
0099	सामान्य				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0379	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम				
	ओ	2,13.37			
	एस	..	2,13.37	1,87.43	
2447	एकीकृत बाल संरक्षण योजना				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	86.25			
	एस	..	86.25	16.98	

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>				
02	समाज कल्याण				
103	महिला कल्याण				विस्तृत शीर्ष 228- आहार भत्ता के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2042	निराश्रित तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए आवास नारी निकेतन कश्मीर				
	ओ	54.62			
	एस	..	54.62	49.21	(-)5.41
104	वृद्ध, अशक्त तथा निराश्रित का कल्याण				विस्तृत शीर्ष 500- पेन्शन लाभ के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1101	वृद्धावस्था पेन्शन (ओएपी) (आईएसएसएस)/ कश्मीर				
	ओ	1,96,98.74			
	एस	..	1,96,98.74	1,91,99.89	(-)4,98.85
1109	राज्य समाज कल्याण बोर्ड				विस्तृत शीर्ष 664- राज्य शेयर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	60.00			
	एस	..	60.00	19.11	(-)40.89
2429	आसरा				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम निर्गम।
	ओ	37.50			
	एस	..	37.50	1.78	(-)35.72
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम				
800	अन्य व्यय				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम निर्गम।
0099	सामान्य				
2372	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण आयोग (एनएमईडब्ल्यू)				
	ओ	30.45			
	एस	..	30.45	13.71	(-)16.74
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>				
80	सामान्य				
101	आहार सर्वेक्षण तथा पोषण योजना				विस्तृत शीर्ष 017- मानदेय के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1839	अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम जम्मू				
	ओ	4,00.15			
	एस	..	4,00.15	3,93.76	(-)6.39
2307	अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम कश्मीर				विस्तृत शीर्ष 017- मानदेय के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	4,91.15			
	एस	..	4,91.15	31.84	(-)4,59.31

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>		
02	समाज कल्याण		
103	महिला कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2461	स्वाधार गृह योजना	31.86	
800	अन्य व्यय		
0099	सामान्य		
1834	सीमा क्षेत्र परियोजना के लिए राज्य की हिस्सेदारी 33%	50.00	
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2372	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण आयोग	13.71	
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>		
02	पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण		
101	विशेष पोषण कार्यक्रम		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1287	एकीकृत बाल विकास योजना	1,53,46.92	
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण</b>		
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
277	शिक्षा		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1829	पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति	12,37.73	
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>		
02	समाज कल्याण		
101	दिव्यांगों का कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2388	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	24.75	
102	बाल कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1287	एकीकृत बाल विकास योजना	1,07,48.60	
103	महिला कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2372	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण आयोग	11.03	
03	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम		
102	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2387	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना	7.61	

## अनुदान संख्या 18 (जारी)

शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)		
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>		
03	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम		
102	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2388	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना	22,64.33	
2390	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय महिला पेन्शन योजना	40.62	
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेन्शन		
0099	सामान्य		
0313	डिपोजिट लिंकड बीमा योजना	1.00	
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>		
02	पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण		
101	विशेष पोषण कार्यक्रम		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1815	पोषण कार्यक्रम	14,55.17	
2339	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (एसएबीएलए)	21.29	

## पूँजीगत अनुभाग

6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,98.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 6,13.43 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 4,98.13 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित तथा अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी अनुदान में बचत हुई।			
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01	पुनर्वास			
201	अन्य पुनर्वास योजनाएं			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2158	आतंकवाद से पीड़ितों के पुनर्वास हेतु परिषद			
	ओ	2,33.33		
	S	.. 2,33.33	25.00	(-)2,08.33
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1382	राज्य योजना			
	ओ	48.30		
	S	.. 48.30	41.70	(-)6.60

## अनुदान संख्या 18 (समाप्त)

8	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
2286	एससी/ एसटी विकास निगम	37.65	
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
02	समाज कल्याण		
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		
0011	सामान्य		
1951	महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश	1,02.90	
4236	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय		
02	पौष्टिक भोजन तथा पेय पदार्थों का वितरण		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
1287	एकीकृत बाल विकास योजना	1,91.25	
9	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
02	समाज कल्याण		
102	बाल कल्याण		
0011	सामान्य		
1287	एकीकृत बाल विकास योजनाएं	39.79	
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
1951	महिला विकास निगम लिमिटेड में निवेश	11.50	



**अनुदान संख्या 19- आवास तथा शहरी विकास विभाग**

राजस्व -  
मुख्य शीर्ष  
2217 शहरी विकास

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,06,30,92		
		3,06,30,92	3,62,21,64
			(+)55,90,72
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-)
(₹ लाख में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,08,86,46		
		2,08,86,46	4,64,60,52
			(+)2,55,74,06
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

**राजस्व अनुभाग**

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 55,90.72 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 3,06,30.92 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>				
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
001	निर्देशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
1148	मुख्य वास्तुकार जम्मू एवं कश्मीर				
	ओ	2,51.19			
	एस	..	2,51.19	2,60.36	(+)9.17
191	स्थानीय निकायों निगमों को सहायता, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्ड इत्यादि।				
0099	सामान्य				
1298	डल विकास				
	ओ	22.25			
	एस	..	22.25	4,90.00	(+)4,67.75
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन				
	ओ	4,28.00			
	एस	..	4,28.00	1,56,26.77	(+)1,51,98.77
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं				
001	निर्देशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
1139	निर्देशक स्थानीय निकाय जम्मू				
	ओ	2,53.90			
	एस	..	2,53.90	2,75.69	(+)21.79
2291	शहरी अपवाह श्रीगनर				
	ओ	6,98.33			
	एस	..	6,98.33	7,52.87	(+)54.54

## अनुदान संख्या 19 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>				
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2292	कस्बा अपवाह प्रभाग कश्मीर				
	ओ	3,17.62			
	एस	..	3,17.62	3,27.04	(+)9.42
80	सामान्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन एवं विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1138	मुख्य अभियंता यूईडी जेएण्डके				
	ओ	7,71.62			
	एस	..	7,71.62	8,48.99	(+)77.37
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>				
03	लघु तथा मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0999	मुख्य कस्बा योजनाकार				
	ओ	2,26.68			
	एस	..	2,26.68	2,09.38	(-)17.30
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि की सहायता।				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1297	शहरी विकास				
	ओ	22.25			
	एस	..	22.25	11.20	(-)11.05
1437	जम्मू नगरपालिका				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	72,00.00			
	एस	..	72,00.00	36,01.75	(-)35,98.25
1438	श्रीनगर नगरपालिका				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	72,00.00			
	एस	..	72,00.00	59,12.39	(-)12,87.61
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1439	निदेशक स्थानीय निकाय कश्मीर				
	ओ	2,16.65			
	एस	..	2,16.65	2,08.54	(-)8.11
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि की सहायता।				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2034	स्थानीय निकाय संस्थान कश्मीर				
	ओ	63,94.38			
	एस	..	63,94.38	33,74.99	(-)30,19.39
2035	स्थानीय निकाय संस्थान जम्मू				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	44,50.00			
	एस	..	44,50.00	21,51.48	(-)22,98.52

## अनुदान संख्या 19 (जारी)

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,55,74.06 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 2,08,86.46 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
051	निर्माण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
1297	शहरी विकास				
	ओ	41,97.00			
	एस	..	41,97.00	1,68,18.71	
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
051	निर्माण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
1296	अपवाह				
	ओ	8,93.87			
	एस	..	8,93.87	5,31.02	
1299	सीवरेज तथा अपवाह				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	33,43.34			
	एस	..	33,43.34	1,95.08	
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>4216</b>	<b>आवास पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0893	अन्य आवास योजनाएं			76,40.00	
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
051	निर्माण				
0011	सामान्य				
1298	डल विकास			36,56.25	

## अनुदान संख्या 19 (समाप्त)

8	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)				
<b>4216</b>	<b>आवास पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
02	शहरी आवास				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0893	अन्य आवास योजनाएं				
				76,53.67	
<b>4217</b>	<b>शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
03	लघु तथा मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1296	अपवाह				
				6,00.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1297	शहरी विकास				
				8,93.00	
2428	स्वच्छ भारत मिशन				
				6,73.03	
2757	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी)				
				30,00.00	
0099	सामान्य				
2036	कुटीर उद्योग विकास केन्द्र जम्मू				
				1,49,40.00	
9	आवास तथा शहरी विकास विभाग के औजारों तथा संयंत्र स्थापना प्रभारों की समीक्षा:- वर्ष 2019-20 (30.10.2019 तक) के दौरान आवास तथा शहरी विकास विभाग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए औजार तथा संयंत्र की स्थापना पर व्यय का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है (अन्य विभागों, बाहरी निकायों इत्यादि के लिए किये गये कार्यों हेतु वसूली योग्य पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए सरकार द्वारा सन् 1955 में प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो निर्माण कार्यों की लागत के आधार पर स्थापना प्रभारों के लिए 7.5 से 15 के बीच और औजार तथा संयंत्र प्रभारों के लिए 0.5 और 1 के बीच है)				
लेखा का शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय के लिए औजार एवं संयंत्र प्रभार का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>2217 शहरी विकास विभाग</b>					
2017-2018	5,76.70	6,97,16.78	1,20,88.90	-	-
2018-2019	3,43.83	7,34,54.60	2,13,63.64	3.23	-
2019-2020	1,63.02	3,60,58.61	2,21,19.13	-	-
<b>4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2017-2018	14,59.91	-	-	-	-
2018-2019	6,46.60	-	-	-	-
2019-2020	76,53.66	-	-	-	-
<b>4217 शहरी विकास विभाग पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2017-2018	4,17,93.43	-	-	-	-
2018-2019	4,70,82.95	-	-	-	-
2019-2020	3,88,06.85	-	-	-	-

## अनुदान संख्या 20- पर्यटन विभाग

राजस्व -  
मुख्य शीर्ष  
3452 पर्यटन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	64,01,13		
		64,01,13	62,82,43
			(-1,18,70)
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत  
मुख्य शीर्ष  
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय  
दत्तमत

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
मूल	1,05,73,39		
		1,05,73,39	22,52,22
			(-83,21,17)
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,18.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 64,01.13 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 1,18.70 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	विगत पाँच वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत भी निम्नानुसार है:-				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
	2014-2015	1,23,11.45	1,10,61.83	(-12,49.62)	
	2015-2016	1,40,17.38	1,28,63.00	(-11,54.38)	
	2016-2017	1,57,09.91	1,48,60.28	(-8,49.63)	
	2017-2018	1,71,54.46	1,64,57.84	(-6,96.62)	
	2018-2019	1,56,16.19	1,34,98.99	(-21,17.20)	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>				
01	पर्यटक अवसंरचना				
102	पर्यटक आवास			मुख्यतः विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
2278	निदेशक पर्यटन जम्मू				
	ओ	1,78.57			
	एस	..	1,78.57	1,71.10	(-7.47)

## अनुदान संख्या 20 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>				
<i>01</i>	<i>पर्यटक अवसंरचना</i>				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1232	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण				
	ओ	50.50			
	एस	..	50.50	45.25	(-)5.25
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 342-अमरनाथ यात्रा के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0312	निदेशालय कार्यालय				
	ओ	10,60.25			
	एस	..	10,60.25	5,22.09	(-)5,38.16
104	प्रोत्साहन और प्रचार				मुख्यतः वेतन एवं विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर				
	ओ	1,85.33			
	एस	..	1,85.33	1,36.97	(-)48.36
800	अन्य व्यय				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2198	नये विकास प्राधिकरण				
	ओ	9,98.50			
	एस	..	9,98.50	8,46.43	(-)1,52.07
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>				
<i>01</i>	<i>पर्यटक अवसंरचना</i>				
101	पर्यटक केन्द्र				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1121	निदेशक पर्यटन कश्मीर				
	ओ	1,35.91			
	एस	..	1,35.91	1,48.43	(+)12.52
2277	निदेशक पर्यटन जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के पर अधिक व्यय।
	ओ	2,17.12			
	एस	..	2,17.12	2,22.63	
102	पर्यटक आवास				मुख्यतः वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय तथा विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बिना बजट के व्यय।
0099	सामान्य				
0474	निदेशक पर्यटन कश्मीर				
	ओ	5,84.65			
	एस	..	5,84.65	6,14.19	(+)29.54

## अनुदान संख्या 20 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>				
<i>01</i>	<i>पर्यटक अवसंरचना</i>				
800	अन्य व्यय				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1127	गुलमर्ग परियोजना संगठन				
	ओ	2,00.00			
	एस	..	2,00.00	4,45.00	(+)2,45.00
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 089- विज्ञापन एवं प्रचार के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2183	निदेशक पर्यटन जम्मू				
	ओ	4,54.71			
	एस	..	4,54.71	6,54.55	(+)1,99.84
2184	निदेशक पर्यटन कश्मीर				मुख्यतः वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय तथा विभिन्न विस्तृत शीर्षों के संबंध में बिना बजट के व्यय।
	ओ	6,57.69			
	एस	..	6,57.69	8,13.05	

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 83,21.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,05,73.39 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 83,21.17 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
6	विगत पाँच वर्षों के दौरान अनुदान में हुई निरंतर बचत भी निम्नानुसार है:-				
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	
	(₹ लाख में)				
	2014-2015	2,15,08.25	1,57,91.72	(-)57,16.53	
	2015-2016	1,47,98.23	1,43,65.31	(-)4,32.92	
	2016-2017	3,72,85.14	1,78,02.65	(-)1,94,82.49	
	2017-2018	6,39,64.55	1,19,32.15	(-)5,20,32.40	
	2018-2019	4,29,38.88	93,49.32	(-)3,35,89.56	
7	अनुदान में बचत निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर				
	ओ	6,60.00			
	एस	..	6,60.00	4,14.31	(-)2,45.69
1232	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,66.91			
	एस	..	1,66.91	1,59.28	

## अनुदान संख्या 20 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>					
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य					
1891	पहलगाव परियोजना संगठन					
	ओ	2,11.25				
	एस	..	2,11.25	1,71.19	(-)40.06	
1892	गुलमर्ग विकास प्राधिकरण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,00.00				
	एस	..	2,00.00	1,66.72		(-)33.28
2091	कोकरनाग विकास प्राधिकरण					विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,50.00				
	एस	..	1,50.00	1,04.39	(-)45.61	
2198	अन्य विकास प्राधिकरण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	14,21.80				
	एस	..	14,21.80	7,89.34		(-)6,32.46
2406	श्री अमरनाथ यात्रा					विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	1,60.50				
	एस	..	1,60.50	31.59	(-)1,28.91	
8	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग					
			(₹ लाख में)			
<b>5452</b>	<b>पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
<i>80</i>	<i>सामान्य</i>					
003	प्रशिक्षण					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2536	सेवा प्रदाता योजना (सीबीएस) हेतु क्षमता निर्माण			3.92		
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0457	पर्यटन विभाग			4,24.00		
0652	पर्यटन निर्माण योजना			65,04.12		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर			2,51.74		



## अनुदान संख्या 21- वन विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2402 मृदा एवं जल संरक्षण

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	4,24,10,02		
		4,24,10,02	(+)15,89,49
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4402 मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय

4406 वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

5425 अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
दत्तमत			
मूल	74,22,34		
		74,22,34	(-)58,98,61
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,89.49 लाख के अंतिम आधिक्य के दृष्टि से ₹ 4,24,10.02 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
1443	मृदा संरक्षण निदेशालय				
	ओ	18,01.33			
	एस	..	18,01.33	19,77.43	(+)1,76.10
<b>2406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन</b>				
01	<i>वानिकी</i>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन के संबंध में तथा विस्तृत शीर्ष 364- बाह्यस्रोतन के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0349	प्रधान मुख्य संरक्षक				
	ओ	2,39,61.20			
	एस	..	2,39,61.20	2,41,67.35	(+)2,06.15

## अनुदान संख्या 21 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन</b>					
01	वानिकी					
004	अनुसंधान				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
2177	निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान					
	ओ	6,13.31				
	एस	..	6,13.31	6,34.89	(+)21.58	
070	संचार और भवन				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
0359	संचार और भवन					
	ओ	14.10				
	एस	..	14.10	17.10	(+)3.00	
102	सामाजिक और कृषि वानिकी				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
2175	निदेशक वन सुरक्षा बल					
	ओ	57,49.69				
	एस	..	57,49.69	62,01.59	(+)4,51.90	
2176	निदेशक सामाजिक वानिकी				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
	ओ	59,40.09				
	एस	..	59,40.09	60,34.38		(+)94.29
105	वन उपज				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 396- जलाऊ लकड़ी कर्षण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
0358	वन उपज					
	ओ	86.04				
	एस	..	86.04	1,19.63	(+)33.59	
02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन					
110	वन्य जीव संरक्षण				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 010- सामग्री और आपूर्ति के संबंध में वेतन बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
0351	पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन					
	ओ	16,08.44				
	एस	..	16,08.44	23,36.52	(+)7,28.08	
<b>3435</b>	<b>पारिस्थितिकी और पर्यावरण</b>					
04	प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण					
103	वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
2179	निदेशक पारिस्थितिकी पर्यावरण और सुदूर संवेदन					
	ओ	3,06.30				
	एस	..	3,06.30	3,94.26	(+)87.96	

## अनुदान संख्या 21 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण</b>				
102	मृदा संरक्षण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0355	वॉटरशेड पर आधारित मृदा एवं जल संरक्षण				
	ओ	9,50.70			
	एस	..	9,50.70	8,48.42	
<b>3435</b>	<b>पारिस्थितिकी और पर्यावरण</b>				
04	प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण				
103	वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
2152	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड				
	ओ	13,53.77			
	एस	..	13,53.77	12,50.24	

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 58,98.61 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 74,22.34 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 58,98.61 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान अनुदान में ₹ 98,61.83 लाख की बचत भी हुयी थी।				
5	अनुदान में बचत निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	वानिकी				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0200	प्रादेशिक वन				
	ओ	6,07.36			
	एस	..	6,07.36	3,20.28	
<b>5425</b>	<b>अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
208	पारिस्थितिकी और पर्यावरण				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
2152	जेएण्डके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड				
	ओ	23.07			
	एस	..	23.07	9.10	

## अनुदान संख्या 21 (समाप्त)

6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4402</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
102	मृदा संरक्षण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
0266	मृदा संरक्षण (कश्मीर)				
	ओ	40.30			
	एस	..	40.30	54.22	(+)13.92
<b>4406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	वानिकी				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
0213	वन्य जीव परिरक्षण				
	ओ	40.47			
	एस	..	40.47	51.22	(+)10.75
2176	निदेशक सामाजिक वानिकी				
	ओ	1,05.99			
	एस	..	1,05.99	1,72.80	
2177	निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान				
	ओ	3.63			
	एस	..	3.63	12.29	
<b>5425</b>	<b>अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
208	पारिस्थितिकी और पर्यावरण				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
2153	निदेशक पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सुदूर संवेदन				
	ओ	44.03			
	एस	..	44.03	48.69	(+)4.66
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 को समाप्ति की अवधि के दौरान समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
	(₹ लाख में)				
<b>4406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	वानिकी				
101	वन संरक्षण, विकास और पुनर्सृजन				65,00.00
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0200	प्रादेशिक वन				
02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन				
110	वन्य जीवन				40.47
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0213	वन्य जीवन परिरक्षण				
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	वास्तविक व्यय				
	(₹ लाख में)				
<b>4406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	वानिकी				
800	अन्य व्यय				8,37.73
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0434	वुलर झील के परिरक्षण हेतु कार्य योजना				

## अनुदान संख्या 22- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2700 मुख्य सिंचाई

2701 मध्यम सिंचाई

2702 लघु सिंचाई

2711 बाढ़ नियंत्रण और अपवाह

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,80,93,69		
		4,80,93,69	3,37,62,27
			(-)1,43,31,42
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,16,94,48		
		1,16,94,48	79,76,71
			(-)37,17,77
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,80,93.69 लाख का बजटीय प्रावधान ₹ 1,43,31.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,43,31.42 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2700</b>	<b>मुख्य सिंचाई</b>				
<i>01</i>	<i>मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक</i>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0855	सिंचाई जम्मू				
	ओ	6,71.93			
	एस	..	6,71.93	3,14.34	(-)3,57.59

## अनुदान संख्या 22 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2701</b>	<b>मध्यम सिंचाई</b>					
04	मध्यम सिंचाई -गैर- वाणिज्यिक					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन एवं विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0849	सिंचाई कश्मीर					
	ओ	38,98.08				
	एस	..	38,98.08	19,28.95	(-)19,69.13	
0855	सिंचाई जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	12,22.60				
	एस	..	12,22.60	7,73.09		(-)4,49.51
612	तवी लिफ्ट सिंचाई				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0858	प्रभागीय और उप प्रभागीय कार्यालय (जम्मू)					
	ओ	12,08.37				
	एस	..	12,08.37	9,35.68	(-)2,72.69	
<b>2702</b>	<b>लघु सिंचाई</b>					
80	सामान्य					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन एवं विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0342	प्रभागीय और उप प्रभागीय सिंचाई कार्यालय जम्मू					
	ओ	1,01,30.22				
	एस	..	1,01,30.22	68,10.27	(-)33,19.95	
0845	रवि तवी सिंचाई परिसर जम्मू				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	27,48.54				
	एस	..	27,48.54	18,76.34		(-)8,72.20
1448	प्रभागीय और उप प्रभागीय सिंचाई कार्यालय कश्मीर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,91,32.76				
	एस	..	1,91,32.76	1,41,05.29		(-)50,27.47
2357	हल्का पंचायत				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	45.33				
	एस	..	45.33	21.60		(-)23.73
<b>2711</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण और अपवाह</b>					
01	बाढ़ नियंत्रण					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0858	प्रभागीय और उप प्रभागीय कार्यालय (जम्मू)					
	ओ	29,16.12				
	एस	..	29,16.12	21,09.86	(-)8,06.26	
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	59,28.98				
	एस	..	59,28.98	43,80.83		(-)15,48.15

## अनुदान संख्या 22 (जारी)

3	हालांकि अनुदानों की माँग में किसी अलग प्रावधान का उल्लेख नहीं है, लेकिन मुख्य शीर्ष 2700- मुख्य सिंचाई तथा 270- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत विभिन्न नहरों पर किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:		
	नहर/ योजना का नाम:	वास्तविक व्यय	(₹ लाख में)
<b>2700</b>	<b>मुख्य सिंचाई</b>		
01	प्रमुख सिंचाई वाणिज्यिक		
601	रणबीर नहर	1,32.98	
602	प्रताप नहर	48.94	
603	कठुआ फीडर नहर	40.00	
<b>2701</b>	<b>मध्यम सिंचाई</b>		
04	मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक		
619	मार्तण्ड नहर	36.64	
630	दादी नहर	54.93	
631	आजी नहर	13.20	

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 37,17.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,16,94.48 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 37,17.77 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>4701</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
04	मध्यम सिंचाई गैर-वाणिज्यिक				
001	निर्देशन एवं प्रशासन			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0435	सिंचाई कश्मीर				
	ओ	3,27.20			
	एस	..	3,27.20		2,60.55
0855	सिंचाई जम्मू				
	ओ	2,01.38			
	एस	..	2,01.38	1,76.23	(-)25.15
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0435	सिंचाई कश्मीर				
	ओ	10,69.00			
	एस	..	10,69.00	3.00	(-)10,66.00
<b>4702</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
101	धरातलीय जल			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
1776	लघु सिंचाई कश्मीर				
	ओ	12,70.17			
	एस	..	12,70.17		4,45.84
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1775	लघु सिंचाई जम्मू				
	ओ	21,47.97			
	एस	..	21,47.97	2,61.95	(-)18,86.02

## अनुदान संख्या 22 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>4711</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
01	बाढ़ नियंत्रण					
103	सिविल निर्माण कार्य				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य					
1166	बाढ़ पुनःस्थापन कार्य					
	ओ	24,67.00				
	एस	..	24,67.00	3,39.36		(-)21,27.64
1450	बाढ़ नियंत्रण विभाग जम्मू					
	ओ	1,02.68				
	एस	..	1,02.68	96.50		(-)6.18
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर					
	ओ	16,55.87				
	एस	..	16,55.87	5,06.97	(-)11,48.90	
6	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>4701</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
04	मध्यम सिंचाई -गैर-वाणिज्यिक					
612	रवि तवी सिंचाई योजना				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0011	सामान्य					
0840	सिंचाई आरटीआईसी जम्मू					
	ओ	76.87				
	एस	..	76.87	1,21.36	(+)44.49	
<b>4702</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
101	धरातलीय जल				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0011	सामान्य					
1775	लघु सिंचाई जम्मू					
	ओ	1,76.97				
	एस	..	1,76.97	2,61.03		(+)84.06
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1776	लघु सिंचाई कश्मीर					
	ओ	3,45.25				
	एस	..	3,45.25	5,06.27		(+)1,61.02
<b>4711</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
01	बाढ़ नियंत्रण					
103	सिविल निर्माण कार्य				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0011	सामान्य					
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग कश्मीर					
	ओ	18,54.12				
	एस	..	18,54.12	19,90.33	(+)1,36.21	



## अनुदान संख्या 22 (जारी)

7	हालांकि अनुदानों की माँग में किसी अलग प्रावधान का उल्लेख नहीं है, लेकिन मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत विभिन्न नहरों पर किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:				
शीर्ष		वास्तविक व्यय			
		(₹ लाख में)			
<b>4701</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	फसल पैदावार				
602	प्रताप नहर	8.48			
603	कठुआ फीडर नहर	18.75			
619	मार्तण्ड नहर	10.09			
630	दादी नहर	11.12			
632	जांगीर नहर	25.27			
<b>4711</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	बाढ़ नियंत्रण				
103	सिविल निर्माण कार्य				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1166	बाढ़ पुनःस्थापन कार्य	8,03.07			
1450	बाढ़ नियंत्रण जम्मु	21,30.54			
8	उचंत संव्यवहार:- "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत इस अनुदान में शून्य व्यय शामिल है। 2019-2020 (30.10.2019 की समाप्ति) के दौरान इस अनुदान शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध संव्यवहार का विश्लेषण अथ और अंत शेष सहित नीचे दिया गया है:-				
मुख्य लेखा शीर्ष/ विवरण		01 अप्रैल 2019 को अथ शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अंत शेष
(₹ लाख में)					
<b>2701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई-</b>				
	खरीदें	(-)60.663	-	-	(-)60.663
	भण्डार	2,46.355	-	-	2,46.355
	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	54.187	-	-	54.187
	कार्यशाला उचंत	(-)0.270	-	-	(-)0.270
	<b>कुल</b>	<b>2,39.609</b>	-	-	<b>2,39.609</b>
<b>2702-</b>	<b>लघु सिंचाई-</b>				
	खरीदें	(-)2.032	-	-	(-)2.032
	भण्डार	77.776	-	-	77.776
	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	36.190	-	-	36.190
	कार्यशाला उचंत	-	-	-	-
	<b>कुल</b>	<b>1,11.934</b>	-	-	<b>1,11.934</b>
<b>2711-</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण और अपवाह-</b>				
	खरीदें	0.110	-	-	0.110
	भण्डार	2,07.000	-	-	2,07.000
	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	3.137	-	-	3.137
	कार्यशाला उचंत	(-)0.003	-	-	(-)0.003
	<b>कुल</b>	<b>2,10.244</b>	-	-	<b>2,10.244</b>

## अनुदान संख्या 22 (जारी)

मुख्य लेखा शीर्ष/ विवरण	01 अप्रैल 2019 को अथ शेष	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2019 को अंत शेष	
(₹ लाख में)					
<b>4701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
	खरीदें	(-) 2,02.400	-	(-) 2,02.400	
	भण्डार	2,96.279	-	2,96.279	
	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	45.391	-	45.391	
	कार्यशाला उचंत	18.160	-	18.160	
	<b>कुल</b>	<b>1,57.430</b>	<b>-</b>	<b>1,57.430</b>	
<b>4711-</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
	खरीदें	-	-	-	
	भण्डार	6.83	-	6.83	
	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	0.12	-	0.12	
	कार्यशाला उचंत	-	-	-	
	<b>कुल</b>	<b>6.95</b>	<b>-</b>	<b>6.95</b>	
9	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के औजार और संयंत्र स्थापना प्रभारों की समीक्षा:- वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 (30.10.2020 की समाप्ति) के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग में निर्माण परिव्यय के लिए स्थापना एवं औजार और संयंत्र पर व्यय का प्रतिशत नीचे दर्शाया किया गया है, (अन्य विभागों, बाहरी निकायों इत्यादि के लिए किये गये कार्यों हेतु वसूली योग्य पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए सरकार द्वारा सन् 1955 में प्रतिशत निर्धारित किया गया, जो निर्माण कार्यों की लागत के आधार पर स्थापना प्रभारों के लिए 7.5 से 15 के बीच और औजार तथा संयंत्र प्रभारों के लिए 0.5 और 1 के बीच है)				
	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय हेतु स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय हेतु औजार उपकरण तथा संयंत्र प्रभार का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>2700-</b>	<b>मुख्य सिंचाई-</b>				
2017-2018	2,99.60	4,28.70	1,43.10	-	-
2018-2019	1,84.06	6,31.49	3,43.09	-	-
2019-2020	2,73.15	2,63.09	96.00	-	-
<b>2701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई-</b>				
2017-2018	9,16.39	56,17.00	6,12.90	-	-
2019-2020	7,43.99	68,97.38	9,27.08	-	-
2019-2020	2,83.96	36,37.85	12,81.11	-	-

## अनुदान संख्या 22 (समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय हेतु स्थापना प्रभारों का प्रतिशत	औजार तथा संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय हेतु औजार तथा संयंत्र प्रभार का प्रतिशत
(₹ लाख में)					
<b>2702-</b>	<b>लघु सिंचाई-</b>				
2017-2018	17,19.15	3,08,99.39	17,97.40	2,18.73	12.70
2018-2019	17,04.03	4,29,86.88	25,22.66	18.54	1.09
2019-2020	12,03.93	2,16,09.57	17,94.92	-	-
<b>2711-</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण और अपवाह-</b>				
2017-2018	16,13.31	77,64.12	4,81.30	23.67	1.50
2018-2019	16,35.96	1,07,07.54	6,54.51	23.54	1.44
2019-2020	10,92.20	53,98.48	4,94.28	-	-
<b>4701-</b>	<b>मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
2017-2018	60,22.59	-	-	-	-
2018-2019	14,57.84	-	-	-	-
2019-2020	634.85	-	-	-	-
<b>4702-</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
2017-2018	1,38,14.27	-	-	-	-
2018-2019	83,39.89	-	-	-	-
2019-2020	14,75.08	-	-	-	-
<b>4711-</b>	<b>बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-</b>				
2017-2018	1,62,44.45	20.71	0.01	-	-
2018-2019	1,79,51.41	-	-	-	-
2019-2020	58,66.77	-	-	-	-

## अनुदान संख्या 23- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2215 जलापूर्ति और स्वच्छता

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	10,80,79,96		
		10,80,79,96	9,29,98,39
अनुपूरक	..		(-)1,50,81,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4215 जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,62,74,52		
		2,62,74,52	1,01,44,18
अनुपूरक	..		(-)1,61,30,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,50,81.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 10,80,68.29 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,50,81.57 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी ₹ 6,59.90 लाख की बचत हुयी।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ परियोजनाओं के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बचत हुई; जिसके कारणों के लिए सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>			
117	आंतरिक सुरक्षा			विस्तृत शीर्ष 370-टैकर सेवा के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0957	आंतरिक सुरक्षा			
	ओ 80.00			
	एस ..	80.00	35.44	(-)44.56
<b>2215</b>	<b>जलापूर्ति और स्वच्छता</b>			
01	जलापूर्ति			
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कश्मीर			
	ओ 5,36,25.09			
	एस ..	5,36,25.09.42	4,47,78.01	(-)88,47.08
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जम्मू			मुख्यतः वेतन एवं विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय
	ओ 5,38,74.69			
	एस ..	5,38,74.69	4,77,17.30	
2357	हल्का पंचायत			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ 40.00			
	एस ..	40.00	7.62	

## अनुदान संख्या 23 (जारी)

## पूँजीगत अनुभाग

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,61,30.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,62,74.52 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 1,61,30.34 लाख की अंतिम बचत का कोई भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान भी अनुदान में बचत हुई थी।				
4	अनुदान में बचत निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4215</b>	<b>जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	जलापूर्ति				
102	ग्रामीण जलापूर्ति				
0011	सामान्य				
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जम्मू				
	ओ	34,28.79			
	एस	..	34,28.79	34,08.92	(-)19.87
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर				
	ओ	1,25,96.38			
	एस	..	1,25,96.38	6,09.13	(-)1,19,87.25
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जम्मू				
	ओ	62,70.71			
	एस	..	62,70.71	1,49.14	(-)61,21.57
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4215</b>	<b>जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	जलापूर्ति				
102	ग्रामीण जलापूर्ति				
0011	सामान्य				
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर				
	ओ	39,78.64			
	एस	..	39,78.64	59,76.99	(+)19,98.35
मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।					
मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।					

## अनुदान संख्या 23 (समाप्त)

6	उचंत संव्यवहार:- "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत अनुदान में ₹ 32,93.45 लाख का व्यय सम्मिलित है। उचंत शीर्ष के अधीन संव्यवहारों की प्रकृति और लेखांकन प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या: 5- लद्दाख मामले विभाग की टिप्पणी:- 4 में की गई है। वर्ष 2019-2020 (30.10.2019 की समाप्ति) के दौरान उक्त शीर्ष के अंतर्गत अथ और अंत शेष के साथ लेखाबद्ध किये गये संव्यवहारों का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:				
मुख्य शीर्ष लेखा/विवरण	1 अप्रैल 2019 को आरम्भिक शेष	डेबिट	क्रेडिट	30 अक्टूबर 2019 को अंत शेष	
(₹ लाख में)					
<b>2215-जलापूर्ति और स्वच्छता</b>					
खरीदें	72.75	-	-	72.75	
भण्डार	(-)3,73.89	32,93.45	4,32.94	24,86.62	
विविध लोक निर्माण अग्रिम	2,54.75	-	-	2,54.75	
कार्यशाला उचंत	(-)9.94	-	-	(-)9.94	
<b>कुल</b>	<b>(-)56.33</b>	<b>32,93.45</b>	<b>4,32.94</b>	<b>(+)28,04.18</b>	
<b>4215 जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
खरीदें	(-)6,78.11	-	-	(-)6,78.11	
भण्डार	4,05.27	-	-	4,05.27	
विविध लोक कार्य अग्रिम	94.05	-	-	94.05	
कार्यशाला उचंत	0.01	-	-	0.01	
<b>कुल</b>	<b>(-)1,78.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-)1,78.78</b>	
7	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपकरणों और संयंत्र प्रभारों की स्थापना की संवीक्षा वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में उपकरणों की स्थापना और वहन किये गये संयंत्र निर्माण परिव्यय के अधीन व्यय का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है (स्थापना प्रभारों हेतु 7.5 और 15 के मध्य और उपकरण और संयंत्र प्रभार हेतु 0.5 और 1 को निर्माण की लाविगत पर निर्भरता अनुसार अन्य विभागों, बाह्य निकायों इत्यादि के लिए किये गये कार्यों हेतु वसूली योग्य पर्यवेक्षण प्रभारों की प्रतिशतता को 1955 में सरकार द्वारा निश्चित किया गया)।				
लेखा का मुख्य शीर्ष तथा वर्ष	निर्माण परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण परिव्यय हेतु स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	औजार और संयंत्र प्रभार	निर्माण परिव्यय हेतु औजार और संयंत्र प्रभारों की प्रतिशतता
(₹ लाख में)					
<b>2215-जलापूर्ति और स्वच्छता</b>					
2017-2018	44,83.38	10,99,14.32	24,51.60	-	-
2018-2019	53,17.00	14,55,50.45	27,37.45	3,20.40	6.03
2019-2020	46,76.29	8,78,26.63	18,78.12	-	-
<b>4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
2017-2018	5,93,11.57	-	-	-	-
2018-2019	5,23,23.98	-	-	-	-
2019-2020	1,01,44.18	-	-	-	-

## अनुदान संख्या 24- आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2059 लोक निर्माण

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216 आवास

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,37,84,97			
		1,37,84,97	1,34,57,19	(-)3,27,78
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,30,96			
		8,30,96	8,69,05	(+)38,09
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,27.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,37,84.97 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 3,27.78 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2059</b>	<b>लोक निर्माण</b>				
80	सामान्य				
103	साज-सज्जा			विस्तृत शीर्ष 054- फर्नीचर और साज-सज्जा के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0459	साज-सज्जा				
	ओ	3,77.57			
	एस	..	3,77.57	3,72.24	(-)5.33
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
800	अन्य व्यय			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 020- एमएण्डई और वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0464	निवासी आयुक्त नई दिल्ली				
	ओ	9,79.22			
	एस	..	9,79.22	6,70.57	(-)3,08.65
0486	व्यापार अभिकरण मुंबई			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर और वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	68.91			
	एस	..	68.91		54.69
0791	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग जम्मू			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	3,32.29			
	एस	..	3,32.29		2,99.82

## अनुदान संख्या 24 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2216</b>	<b>आवास</b>				
05	सामान्य पूल आवास				
053	अनुरक्षण और मरम्मत				विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0481	अनुरक्षण और मरम्मत				
	ओ	19,70.01			
	एस	..	19,70.01	14,36.08	
3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
117	आंतरिक सुरक्षा				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0464	निवासी आयुक्त नई दिल्ली				
	ओ	12,24.65			
	एस	..	12,24.65	12,83.54	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 364- बाह्यस्रोतन और वेतन के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0792	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग कश्मीर				
	ओ	4,47.58			
	एस	..	4,47.58	4,68.57	
0793	निदेशक आतिथ्य और प्रोटोकॉल				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	2,36.59			
	एस	..	2,36.59	2,80.32	
<b>2216</b>	<b>आवास</b>				
05	सामान्य पूल आवास				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर और वेतन के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0417	सम्पदा प्रभाग				
	ओ	13,54.90			
	एस	..	13,54.90	17,17.43	
1824	निदेशक सम्पदा				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर और वेतन के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	5,21.90			
	एस	..	5,21.90	6,04.97	



## अनुदान संख्या 24 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 38.09 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 8,30.96 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण का आवश्यकता है।			
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
60	अन्य भवन			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
1824	निदेशक सम्पदा			
	ओ	8,30.96		
	एस	.. 8,30.96	7,92.22 (-)38.74	
6	निम्नलिखित शीर्ष/ परियोजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय हुआ; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।			
शीर्ष			वास्तविक व्यय	
(₹ लाख में)				
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
60	अन्य भवन			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
0793	निदेशक आतिथ्य और प्रोटोकॉल		76.83	

## अनुदान संख्या 25- श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2058 लेखन सामग्री और मुद्रण

2230 श्रम और रोजगार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	60,44,85			
		60,44,85	42,56,99	(-)17,87,86
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल	24,37,38			
		24,37,38	22,77,23	(-)1,60,15
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 17,87.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 60,44.85 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 17,87.86 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी ₹ 4,05.61 लाख की बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2058</b>	<b>लेखन सामग्री और मुद्रण</b>				
101	लेखन सामग्री भण्डार की खरीद और आपूर्ति			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1626	लेखन सामग्री आगार जम्मू				
	ओ	2,05.68			
	एस	..	2,05.68	1,14.95	
				(-)90.73	
1627	लेखन सामग्री आगार श्रीनगर				
	ओ	1,93.64			
	एस	..	1,93.64	1,10.09	
				(-)83.55	
103	सरकारी मुद्रणालय			मुख्यतः वेतन और विस्तृत शीर्ष 008-विद्युत प्रभारों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1630	रणबीर सरकारी मुद्रणालय जम्मू				
	ओ	15,21.84			
	एस	..	15,21.84	12,65.71	
				(-)2,56.13	
1631	सरकारी मुद्रणालय श्रीनगर			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	11,24.32			
	एस	..	11,24.32		6,79.68
				(-)4,44.64	

## अनुदान संख्या 25 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2230</b>	<b>श्रम और रोजगार</b>					
<i>01</i>	<i>श्रम</i>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1633	श्रम आयुक्त					
	ओ	1,98.87				
	एस	..	1,98.87	1,66.04	(-)32.83	
1634	क्षेत्रीय कार्यालय श्रम				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	9,39.15				
	एस	..	9,39.15	5,59.14		(-)3,80.01
102	कार्यकारी अनुकूलताएं और सुरक्षा				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1638	कारखानें					
	ओ	1,42.19				
	एस	..	1,42.19	56.77	(-)85.42	
1639	जिला श्रम कल्याण योजना				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	82.59				
	एस	..	82.59	38.59		(-)44.00
1640	प्रवासीय श्रम				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,25.69				
	एस	..	1,25.69	59.13		(-)66.56
103	सामान्य श्रम कल्याण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1645	रोजगार बीमा					
	ओ	5,41.20				
	एस	..	5,41.20	3,00.35	(-)2,40.85	
<i>02</i>	<i>रोजगार सेवा</i>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
1641	निदेशक रोजगार					
	ओ	5,75.22				
	एस	..	5,75.22	5,22.92	(-)52.30	
1642	रोजगार कार्यालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	2,78.70				
	एस	..	2,78.70	2,66.05		(-)12.65
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य हुआ; जिसके कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2058</b>	<b>लेखन सामग्री और मुद्रण</b>					
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।	
0099	सामान्य					
1625	निदेशक लेखन सामग्री और आपूर्ति					
	ओ	1,15.76				
	एस	..	1,15.76	1,20.58	(+)4.82	

## अनुदान संख्या 25 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,60.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 24,37.38 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,60.15 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई थी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4058</b>	<b>लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
103	सरकारी मुद्रणालय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
1630	सरकारी मुद्रणालय जम्म्				
	ओ	50.00			
	एस	..	50.00	15.13	
<b>4250</b>	<b>अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
201	श्रम				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
1903	श्रम				
	ओ	2,20.19			
	एस	..	2,20.19	78.80	
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4250</b>	<b>अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
203	रोजगार				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
1642	रोजगार कार्यालय				
	ओ	25.96			
	एस	..	25.96	40.96	
1904	रोजगार				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
	ओ	20,84.03			
	एस	..	20,84.03	20,88.52	

## अनुदान संख्या 26- मत्स्यपालन विभाग

राजस्व-  
मुख्य शीर्ष  
2405 मत्स्यपालन

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	50,14,02			
		50,14,02	47,32,48	(-)2,81,54
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-  
मुख्य शीर्ष-  
4405 मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,83,10			
		1,83,10	3,51,00	(+)1,67,90
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,81.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 50,14.02 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 2,81.54 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई; जिसके कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2405</b>	<b>मत्स्य क्षेत्र</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0997	निदेशक मत्स्यपालन				
	ओ	38,55.31			
	एस	.. 38,55.31	36,94.48	(-)1,60.83	
1000	उप निदेशक मत्स्यपालन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	11,58.71			
	एस	.. 11,58.71	10,38.00		(-)1,20.71

## पूँजीगत अनुभाग

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,67.90 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 1,83.10 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।			
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>4405</b>	<b>मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0011	सामान्य			
0904	भवन निर्माण कार्यक्रम			
	ओ	1,23.10		
	एस	.. 1,23.10	2,70.61	(+)1,47.51

## अनुदान संख्या 26 (समाप्त)

5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	
		(₹ लाख में)	
<b>4405</b>	<b>मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
2462	नीली क्रांति	60.00	
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बजटीय प्रावधान के बिना व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	
		(₹ लाख में)	
<b>4405</b>	<b>मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0910	अंतर्देशीय मत्स्यपालन	80.40	

## अनुदान संख्या 27- उच्चतर शिक्षा विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2203 तकनीकी शिक्षा

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,46,79,19			
		5,46,79,19	5,09,96,01	(-)36,83,18
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
पूँजीगत				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,28,03,03			
		1,28,03,03	84,44,70	(-)43,58,33
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 36,83.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 5,46,79.19 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 36,83.18 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष में ₹ 48,19.59 लाख की बचत भी हुयी।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>				
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा				
102	विश्वविद्यालयों को सहायता			विस्तृत शीर्ष 028- सहायता अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
2361	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय				
	ओ	10,00.00			
	एस	..	10,00.00	7,75.00	(-)2,25.00
103	सरकारी महाविद्यालय और संस्थान			मुख्यतः वेतन, विस्तृत शीर्ष 008-विद्युत प्रभार और विस्तृत शीर्ष 010-एम एण्ड एस के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0534	सरकारी डिग्री कॉलेज				
	ओ	3,19,75.36			
	एस	..	3,19,75.36	2,65,39.02	(-)54,36.34

## अनुदान संख्या 27 (जारी)

3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>				
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा				
001	निदेशन एवं प्रशासन			विस्तृत शीर्ष 028- सहायता अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
2407	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान				
	ओ	1,10.00			
	एस	..	1,10.00	1,32.00	(+)22.00
102	विश्वविद्यालयों को सहायता			विस्तृत शीर्ष 028- सहायता अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0549	कश्मीर विश्वविद्यालय को अनुदान				
	ओ	87,50.00			
	एस	..	87,50.00	1,05,00.00	(+)17,50.00
2460	क्लस्टर यूनिवर्सिटीज			विस्तृत शीर्ष 028- सहायता अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
	ओ	2,13.32			
	एस	..	2,13.32	2,24.57	(+)11.25
103	सरकारी महाविद्यालय और संस्थान			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
2507	प्रधान जी सी ई टी सफापोरा, गांदरबल				
	ओ	77.70			
	एस	..	77.70	1,25.58	(+)47.88
2511	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर (जम्मू)			विस्तृत शीर्ष 028- सहायता अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
	ओ	2.85			
	एस	..	2.85	8.57	(+)5.72
104	गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता			विस्तृत शीर्ष 028- सहायता अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0531	अन्य महाविद्यालयों हेतु सहायता अनुदान				
	ओ	12.50			
	एस	..	12.50	16.67	(+)4.17
2277	गांधी मेमोरियल कॉलेज (प्रवासी) जम्मू			विस्तृत शीर्ष 028- सहायता अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
	ओ	74.66			
	एस	..	74.66	1,12.00	(+)37.34
<b>2203</b>	<b>तकनीकी शिक्षा</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
2207	प्रधान जी सी ई टी जम्मू				
	ओ	8,18.55			
	एस	..	8,18.55	8,68.35	(+)49.80
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	
				(₹ लाख में)	
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>				
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा				
001	निदेशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
2460	क्लस्टर यूनिवर्सिटीज			50.00	



## अनुदान सं. 27 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

5	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 43,58.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,28,03.03 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 43,58.33 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। विगत वर्ष के दौरान भी ₹ 97,04.75 लाख की बचत हुई।				
6	निम्नलिखित शीर्ष/ परियोजना के अधीन अनुदान में बचत हुई; जिसके कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020]।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	सामान्य शिक्षा				
203	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0011	सामान्य				
0297	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा				
	ओ	1,28,03.03			
	एस	..	1,28,03.03		43,98.70
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय		
(₹ लाख में)					
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	सामान्य शिक्षा				
203	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2407	आर यू एस ए			40,46.00	

## अनुदान संख्या 28- ग्रामीण विकास विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2236 पोषण

2501 ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम

2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,60,53,13			
		2,60,53,13	2,38,44,22	(-)22,08,91
अनुपूरक	-			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूँजीगत-</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	26,81,79,53			
		26,81,79,53	22,39,05,96	(-)4,42,73,57
अनुपूरक	-			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1.	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 22,08.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,60,53.13 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 22,08.91 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2.	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2236 पोषण</b>				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
80 सामान्य				
800 अन्य व्यय				
0099 सामान्य				
1839 प्रयुक्त पोषण कार्यक्रम जम्मू				
ओ 3,10.73				
एस -	3,10.73	3,00.05	(-)10.68	
<b>2501 ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम</b>				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
01 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
001 निदेशन एवं प्रशासन				
0099 सामान्य				
0003 आईआरडीपी जम्मू				
ओ 5,25.38				
एस ..	5,25.38	4,40.90	(-)84.48	
0004 आईआरडीपी कश्मीर				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
ओ 4,29.33				
एस ..	4,29.33	4,15.04	(-)14.29	

## अनुदान संख्या 28 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
<b>2501</b>	<b>ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम</b>				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
0230	ग्रामीण स्वच्छता					
	ओ	1,67.86				
	एस	..	1,67.86	1,36.37	(-)31.49	
<b>2515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
001	निदेशन एवं प्रशासन					
0099	सामान्य					
0029	सहायक विकास आयुक्त (कश्मीर)					
	ओ	74.21				
	एस	..	74.21	59.70	(-)14.51	
0055	कृषि उत्पादन अधिकारी/ बी.डी.ओ (कश्मीर)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	40,02.05				
	एस	..	40,02.05	33,52.00		(-)6,50.05
0105	कृषि उत्पादन अधिकारी/ बी.डी.ओ (जम्मू)				मुख्यतः वेतन एवं विस्तृत शीर्ष 023-एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय	
	ओ	48,93.94				
	एस	..	48,93.94	39,79.60		(-)9,14.34
102	सामुदायिक विकास				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0107	बैंच मार्क सर्वेक्षण (जम्मू)					
	ओ	19.33				
	एस	..	19.33	10.52	(-)8.81	
0111	निदेशक ग्रामीण विकास (जम्मू)				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,75.38				
	एस	..	1,75.38	1,52.81		(-)22.57
0118	निदेशक ग्रामीण विकास (कश्मीर)				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 023- एमएण्डआर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	1,28.98				
	एस	..	1,28.98	1,06.67		(-)22.31
0376	सामुदायिक विकास और पंचायत जम्मू				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 017- मानदेय और वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	43,96.86				
	एस	..	43,96.86	36,84.10		(-)7,12.76
0574	बैंच मार्क सर्वेक्षण (कश्मीर)				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	25.67				
	एस	..	25.67	11.76		(-)13.91
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य					
0097	ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग (जम्मू)					
	ओ	15,01.73				
	एस	..	15,01.73	11,66.44		(-)3,35.29
0099	जिला पंचायत अधिकारी जम्मू				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 017- मानदेय और वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	14,00.93				
	एस	..	14,00.93	9,96.94		(-)4,03.99

## अनुदान संख्या 28 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0487	ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर				
	ओ	3,84.74			
	एस	..	3,84.74	2,17.73	(-)1,67.01
0548	जिला पंचायत अधिकारी कश्मीर			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 017- मानदेय और वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
	ओ	7,64.26			
	एस	..	7,64.26	4,66.12	(-)2,98.14
3.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 007- कार्यालयीन खर्च और वेतन के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
102	सामुदायिक विकास				
0099	सामान्य				
0051	सामुदायिक विकास और पंचायत कश्मीर				
	ओ	66,68.49			
	एस	..	66,68.49	76,70.36	(+)10,01.87
0109	सहायक विकास आयुक्त (जम्मू)			वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
	ओ	1,77.26			
	एस	..	1,77.26	2,01.74	(+)24.48
4.	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बजटीय प्रावधान के बिना व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	वास्तविक/ व्यय				
(₹ लाख में)					
<b>2501</b>	<b>ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम</b>				
01	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
001	निदेशन एवं प्रशासन				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1956	डीआरडीए		3,20.21		
<b>2515</b>	<b>अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
0487	ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर		1,63.40		
5	लेखाओं के मुख्य तथा लघु शीर्ष के सूची से विचलन में, ₹ 5,25.38 लाख, ₹ 4,29.33 लाख और ₹ 1,67.86 लाख का प्रावधान क्रमशः उप-शीर्ष 003-आईआरडीपी जम्मू, 004-आईआरडीपी कश्मीर और 0230-ग्रामीण स्वच्छता के प्रति उप-मुख्य शीर्ष 01-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गये थे।				

## अनुदान संख्या 28 (जारी)

## पूँजीगत अनुभाग

6	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,42,73.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 26,81,79.53 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 4,4273.57 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
7	विगत पाँच वर्षों के दौरान भी निम्न विवरणानुसार निरंतर बचत हुई।			
	वर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
		(₹ लाख में)		
	2014-2015	18,25,55.77	7,20,98.18	(-)11,04,57.59
	2015-2016	13,08,48.94	8,11,80.14	(-)4,96,68.80
	2016-2017	19,15,38.31	11,17,19.11	(-)7,98,19.20
	2017-2018	23,91,21.36	18,49,85.25	(-)5,41,36.11
	2018-2019	30,62,87.68	18,05,20.52	(-)12,57,67.16
8	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत मुख्यतः अनुदान में बचत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
102	सामुदायिक विकास			
0011	सामान्य			
0704	सामुदायिक विकास कश्मीर			
	ओ	70.00		
	एस	..	70.00	62.30
				(-)7.70
103	ग्रामीण विकास			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एनआरजीई)			
	ओ	4,94,05.61		
	एस	..	4,94,05.61	4,09,97.51
				(-)84,08.10
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य			
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
	ओ	5,69.44		
	एस	..	5,69.44	2,13.00
				(-)3,56.44
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एनआरजीई)			
	ओ	7,94,05.61		
	एस	..	7,94,05.61	3,00,00.00
				(-)4,94,05.61
9	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			विस्तृत शीर्ष 309- वित्त आयोग अनुदान के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
101	पंचायती राज			
0099	सामान्य			
0051	सामुदायिक विकास और पंचायत कश्मीर			
	ओ	12,19,60.78		
	एस	..	12,19,60.78	12,96,37.78
				(+)76,77.00

## अनुदान संख्या 28 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
102	सामुदायिक विकास				
0011	सामान्य				
0384	सामुदायिक विकास जम्मू				
	ओ	40.00			
	एस	..	40.00	75.19	(+)35.19
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				विस्तृत शीर्ष 028- सहायता अनुदान और विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0230	ग्रामीण स्वच्छता				
	ओ	96,62.89			
	एस	..	96,62.89	1,80,70.99	(+)84,08.10
10	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 के अंत तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	
				(₹ लाख में)	
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2468	पीएमएवाई			13,04.37	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			11,79.73	
11	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बजटीय प्रावधान के बिना व्यय किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	
				(₹ लाख में)	
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
103	ग्रामीण विकास				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2473	हिमायत			1,18.10	
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2377	राजीव गांधी पंच सशक्तिकरण अभियान			1,50.00	

## अनुदान संख्या 29- परिवहन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2041 वाहनों पर कर

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	32,13,59			
		32,13,59	33,83,54	(+)1,69,95
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

7055 सड़क परिवहन हेतु ऋण

<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,74,83			
		7,74,83	7,52,88	(-)21,95
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,69.95 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 32,13.59 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।			
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किये गये [जुलाई 2020] थे।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर</b>			
101	संग्रहण प्रभार			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0099	सामान्य			
0373	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कश्मीर			
ओ	2,21.01			
एस	..	2,21.01	3,16.17	

## अनुदान संख्या 29 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर</b>				
101	संग्रहण प्रभार				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
0395	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जम्मू				
	ओ	2,11.00			
	एस	..	2,11.00	2,64.30	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>				
114	परिवहन का क्रय और अनुरक्षण				मुख्यतः वेतन के संबंध में बीई पर अधिक व्यय और विस्तृत शीर्ष 009- आरआरटी के संबंध में बिना बजट के व्यय।
0099	सामान्य				
0393	मोटर गैराज				
	ओ	24,65.60			
	एस	..	24,65.60	25,09.70	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
<b>2041</b>	<b>वाहनों पर कर</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0378	परिवहन आयुक्त कार्यालय				
	ओ	3,15.98			
	एस	..	3,15.98	2,93.71	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 21.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 7,74.83 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 21.95 लाख की अंतिम बचत के किसी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान भी अनुदान में बचत हुई।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
<b>4059</b>	<b>लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
60	<i>अन्य भवन</i>				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- कार्यों के संबंध में बीई से कम व्यय।
0011	सामान्य				
0255	राज्य मोटर गैराज				
	ओ	25.83			
	एस	..	25.83	14.88	
<b>5055</b>	<b>सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- कार्यों के संबंध में बीई से कम व्यय।
0011	सामान्य				
0378	परिवहन आयुक्त कार्यालय				
	ओ	49.00			
	एस	..	49.00	38.00	



## अनुदान संख्या 30- जनजातीय मामले विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	23,53,82			
		23,53,82	16,07,95	(-)7,45,87
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष-

4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	14,80,75			
		14,80,75	2,52	(-)14,78,23
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 7,45.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 23,53.82 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 7,45.87 लाख की अंतिम बचत के किसी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)			
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण			
03	अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण			
102	आर्थिक विकास			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 008 -विद्युत प्रभार और वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
1796	गुज्जर और बकरवालों का कल्याण			
	ओ	20,99.15		
	एस	.. 20,99.15	13,93.70	(-)7,05.45
2253	निदेशक जनजातीय मामले			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 009- आरआरटी और वेतन के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
	ओ	2,08.17		
	एस	.. 2,08.17	1,69.83	

## अनुदान संख्या 30 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 14,78.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 14,80.75 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 14,78.23 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)		अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)					
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
<i>02</i>	<i>अनुसूचित जनजाति का कल्याण</i>				
800	अन्य व्यय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अल्प व्यय।
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1814	जनजातीय उप योजना				
	ओ	12,74.00			
	एस	..	12,74.00	0.80	(-)12,73.20
1827	अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण जम्मू				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति अल्प व्यय।
	ओ	56.75			
	एस	..	56.75	1.72	
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग				
(₹ लाख में)					
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
<i>02</i>	<i>अनुसूचित जनजाति का कल्याण</i>				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1814	जनजातीय उप योजना				1,50.00

## अनुदान संख्या 31- संस्कृति विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्षः\*

2202 सामान्य शिक्षा

2205 कला और संस्कृति

3452 पर्यटन

3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	31,29,51		
		31,29,51	28,77,53
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
दत्तमत			
मूल	2,14,39		
		2,14,39	1,69,42
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका तथा टिप्पणियाँ			

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,51.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 31,29.51 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 2,51.98 लाख के अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा			
80	सामान्य			
004	अनुसंधान			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0278	अनुसंधान और प्रकाशन (कश्मीर)			
	ओ	2,10.30		
	एस	..	2,10.30	
			1,89.21	(-)21.09

## अनुदान संख्या 31 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2205</b>	<b>कला और संस्कृति</b>				
104	अभिलेखागार				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0272	अभिलेखागारों का विकास				
	ओ	5,94.21			
	एस	..	5,94.21	4,69.56	(-)1,24.65
105	सार्वजनिक पुस्तकालय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0221	सरकारी पुस्तकालय और वाचनालय जम्मू				
	ओ	7,36.50			
	एस	..	7,36.50	7,00.14	(-)36.36
<b>3452</b>	<b>पर्यटन</b>				
01	पर्यटक अवसंरचना				
800	अन्य व्यय				सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम निर्माचन।
0099	सामान्य				
2299	मुबारक मण्डी जम्मू हेरिटेज सोसायटी				
	ओ	95.50			
	एस	..	95.50	32.00	(-)63.50
<b>3454</b>	<b>जनसंख्या सर्वेक्षण और सांख्यिकी</b>				
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
110	राजपत्र और सांख्यिकीय संस्मरण				मुख्यतः वेतन और यात्रा खर्चों के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0468	राज्य राजपत्र				
	ओ	57.50			
	एस	..	57.50	51.13	(-)6.37

## पूँजीगत अनुभाग

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 44.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,14.39 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 44.97 लाख की अंतिम बचत का कोई भी भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
4	अनुदान में बचत निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत हुयी; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
04	कला और संस्कृति				
104	अभिलेखागार				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0011	सामान्य				
0272	अभिलेखागारों का विकास				
	ओ	34.39			
	एस	..	34.39	19.42	(-)14.97

## अनुदान संख्या 31 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय				
04	कला और संस्कृति				
105	सार्वजनिक पुस्तकालय				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर कम व्यय।
0011	सामान्य				
1890	पुस्तकालय निदेशालय				
	ओ	1,50.00			
	एस	..	1,50.00	1,00.00	
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये [जुलाई 2020] थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय				
04	कला और संस्कृति				
101	ललित कला शिक्षा				विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
0011	सामान्य				
0117	कला और संस्कृति				
	ओ	30.00			
	एस	..	30.00	50.00	

## अनुदान संख्या 32- उद्यान कृषि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2236 पोषण

2401 फसल पैदावार

2435 अन्य कृषि कार्यक्रम

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	67,84,38		
		67,84,38	
			66,29,56
			(-)1,54,82
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4401 फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल	8,04,50			
		8,04,50		
			13,79,44	
				(+)5,74,94
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,54.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 67,84.38 लाख का बजटीय प्रावधान आधिक्य सिद्ध हुआ। ₹ 1,54.82 लाख की अंतिम बचत का कोई भी भाग पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया (जुलाई 2020) था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>2236 पोषण</b>				
02	पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण			
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
0063	सामुदायिक कैनिंग और फल परिरक्षण केन्द्र, कश्मीर			
ओ	1,43.82			
एस	..	1,43.82	1,19.98	(-)23.84

## अनुदान संख्या 32 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>				
119	उद्यान कृषि तथा शाक फसलें				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0244	निदेशन एवं प्रशासन				
	ओ	36,03.78			
	एस	..	36,03.78	31,62.23	(-)4,41.55
<b>2435</b>	<b>अन्य कृषि कार्यक्रम</b>				
01	विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण				
101	विपणन सुविधाएं				विस्तृत शीर्ष 008- विद्युत प्रभार और 009- किराया, दरें और कर के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
0612	उद्यान कृषि योजना और विपणन				
	ओ	15,20.84			
	एस	..	15,20.84	15,03.19	(-)17.65
3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत को आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया था; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>				
02	पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण				
800	अन्य व्यय				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2313	सामुदायिक कैनिंग और फल परिरक्षण केन्द्र जम्मू				
	ओ	87.35			
	एस	..	87.35	1,07.25	(+)19.90
<b>2401</b>	<b>फसल पैदावार</b>				
119	बागवानी तथा शाक फसलें				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
2088	बागवानी निदेशक जम्मू				
	ओ	12,56.28			
	एस	..	12,56.28	15,21.00	(+)2,64.72
2249	विभागीय बगीचों और पौधशालाओं का अनुरक्षण				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।
	ओ	1,72.31			
	एस	..	1,72.31	2,15.91	
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,74.94 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 8,04.50 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				

## अनुदान संख्या 32 (समाप्त)

5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये [जुलाई 2020] थे।						
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ			
(₹ लाख में)							
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।			
0011	सामान्य						
2303	बागवानी निर्माण कार्यक्रम जम्मू						
	ओ	1,46.52					
	एस	..	1,46.52			1,89.51	(+)42.99
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।						
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ			
(₹ लाख में)							
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
800	अन्य व्यय			विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।			
0011	सामान्य						
0222	बागवानी निर्माण कार्यक्रम (कश्मीर)						
	ओ	1,07.50					
	एस	..	1,07.50			92.35	(-)15.15
0612	बागवानी योजना और विपणन						
	ओ	78.48					
	एस	..	78.48	51.79	(-)26.69		
7	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।						
शीर्ष				वास्तविक व्यय			
(₹ लाख में)							
<b>4401</b>	<b>फसल पैदावार पर पूँजीगत परिव्यय</b>						
119	उद्यान कृषि और शाक फसले						
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना						
2381	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन			5,73.44			



## अनुदान संख्या 33- आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,94,27,22			
		2,94,27,22	6,77,73,74	(+)3,83,46,52
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत

मूल	..			
		..	21,21	(+)21,21
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,83,46.52 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 2,94,27.22 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य हुआ; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
117	आंतरिक सुरक्षा			नकद सहायता के संबंध में बीई पर अधिक व्यय।	
0099	सामान्य				
0872	अन्य योजनाएं				
	ओ	8,16.46			
	एस	..	8,16.46	11,71.80	(+)3,55.34

## अनुदान संख्या 33 (जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण</b>				
01	पुनर्वास				
001	निदेशन एवं प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1064	प्रांतीय पुनर्वास कार्यालय जम्मू				
	ओ	9.89			
	एस	..	9.89	11.21	(+)1.32
<b>2245</b>	<b>प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत</b>				
80	सामान्य				
001	निदेशन एवं प्रशासन				वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति अधिक व्यय।
0099	सामान्य				
1073	मुख्य कार्यकारी अधिकारी				
	ओ	39.34			
	एस	..	39.34	45.55	(+)6.21
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्त्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
<b>2055</b>	<b>पुलिस</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1057	प्रवासियों पर व्यय				
	ओ	5,63.14			
	एस	..	5,63.14	4,45.90	(-)1,17.24
117	आंतरिक सुरक्षा				मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य				
1057	प्रवासियों पर व्यय				
	ओ	2,79,98.39			
	एस	..	2,79,98.39	2,55,99.27	(-)23,99.12
<b>पूँजीगत अनुभाग</b>					
4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में निम्न विवरणानुसार ₹ 21.21 लाख का व्यय शून्य बजटीय प्रावधान के प्रति किया गया था।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय		
	(₹ लाख में)				
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
01	पुनर्वास				
201	अन्य पुनर्वास योजनाएं				
0011	सामान्य				
2165	पुनर्वास			21.21	

## अनुदान संख्या 33 (समाप्त)

5.	<b>राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ):-</b>	
	"13वें वित्त आयोग" की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधि, 122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अधीन एक अलग से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया है। उक्त निधि के गठन और प्रशासन हेतु योजनानुसार राज्य के 10 प्रतिशत के मिलान सहयोग के साथ भारत सरकार 90 प्रतिशत का सहयोग करेगी। निधि में क्रेडिट संबंधित लेखांकन वर्षों के अनुदान हेतु मांगों के प्रति उचित प्रावधान करने के उपरांत, मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अधीन राज्य की समेकित निधि से हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होता है। तथापि, वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 30.10.2019) के दौरान निम्नलिखित अंशदान प्रदान किये गये हैं।	
	वर्ष 2019-20 के दौरान निधियों और निवेशों का विवरण नीचे दिया गया है:-	
	<b>निधि का विवरण</b>	<b>8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधि 122- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि</b>
		(₹ करोड में)
	01-04-2019 को अथ शेष	9,03.11
	2019-2020 [01.04.2019 से 30.10.2019] के दौरान प्राप्तियाँ	4,39.38
	2019-2020 [01.04.2019 से 30.10.2019] के दौरान संवितरण	71.01
	30-10-2019 को अंत शेष	12,71.48
	<b>निवेशों का विवरण</b>	
	01-04-2019 को अथ शेष	10.86
	2019-2020 [01.04.2019 से 30.10.2019] के दौरान निवेश	शून्य
	निधि से आहरण	शून्य
	30-10-2019 को अंत शेष	10.86

## अनुदान संख्या 34- युवा सेवाएं और तकनीकी शिक्षा विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

2204 खेल और युवा सेवाएं

2230 श्रम और रोजगार

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,45,24,97			
		3,45,24,97	2,17,23,43	(-)1,28,01,54
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,33,28			
		3,33,28	4,11,61	(+)78,33
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,28,01.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 3,45,24.97 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 1,28,01.54 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2203</b>	<b>तकनीकी शिक्षा</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति किया गया कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0530	तकनीकी शिक्षा निदेशालय				
	ओ	1,14,78.75			
	एस	..	1,14,78.75	54,45.72	(-)60,33.03
<b>2204</b>	<b>खेल और युवा सेवाएं</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति किया गया कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0244	निदेशन एवं प्रशासन				
	ओ	2,02,81.81			
	एस	..	2,02,81.81	1,46,61.12	(-)56,20.69
<b>2230</b>	<b>श्रम और रोजगार</b>				
02	रोजगार सेवाएं				
001	निदेशन एवं प्रशासन			वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति किया गया कम व्यय।	
0099	सामान्य				
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण				
	ओ	16,21.91			
	एस	..	16,21.91	4,74.46	(-)11,47.45

## अनुदान संख्या 34 (समाप्त)

## पूँजीगत अनुभाग

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 78.33 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 3,33.28 लाख का बजटीय प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।					
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आधिक्य रहा; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये [जुलाई 2020] थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4250</b>	<b>अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
800	अन्य व्यय			मुख्यतः विस्तृत शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई पर अधिक व्यय किया गया।		
0011	सामान्य					
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण					
	ओ	2,00.70				
	एस	..	2,00.70			2,78.10
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
02	तकनीकी शिक्षा					
105	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान			शीर्ष 115- निर्माण के संबंध में बीई के प्रति किया गया कम व्यय।		
0011	सामान्य					
1551	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान (जीसीईटी जम्मू)					
	ओ	1,32.58				
	एस	..	1,32.58			1,03.39
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था, जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष	वास्तविक व्यय			अभ्युक्तियाँ		
(₹ लाख में)						
<b>4202</b>	<b>शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
01	सामान्य शिक्षा					
201	प्रारंभिक शिक्षा					
0011	सामान्य					
1427	शारीरिक शिक्षा			29.58		

## अनुदान संख्या 35- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,41,94			
		7,41,94	6,59,94	(-)-82,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

5425 अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>दत्तमत</b>				
मूल	99,00			
		99,00	..	(-)-99,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 82.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 7,41.94 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 82.00 लाख की अंतिम बचत के किसी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।			
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>3435</b>	<b>पारिस्थितिकी और पर्यावरण</b>			
04	प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण			
800	अन्य व्यय			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य			
2172	अतिरिक्त निदेशक विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद			
	ओ	1,93.33		
	एस	..	1,93.33	(-)-34.63
2173	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेएकेईडीए			
	ओ	5,48.61		
	एस	..	5,01.24	(-)-47.37

## पूँजीगत अनुभाग

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 99.00 लाख का बजटीय प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे जैसा कि नीचे टिप्पणी की गयी है।			
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत 30.10.2019 की समाप्ति तक समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे; जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2020] था।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				
<b>5425</b>	<b>अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
800	अन्य व्यय			
0011	सामान्य			
1700	नये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत		84.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
0868	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		15.00	

## अनुदान संख्या 36 सहकारी विभाग

राजस्व -

मुख्य शीर्ष

2425 सहकारिता

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	29,40,76			
		29,40,76	24,05,73	(-)5,35,03
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत</b>				
मूल	85,00			
		85,00	84,02	(-)98
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका तथा टिप्पणियाँ				

## राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,35.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 29,40.76 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 5,35.03 लाख की अंतिम बचत के किसी भी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था।				
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुयी; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
(₹ लाख में)					
<b>2425</b>	<b>सहकारिता</b>				
001	निदेशन एवं प्रशासन			मुख्यतः वेतन घटक के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।	
0099	सामान्य				
0244	निदेशन एवं प्रशासन				
	ओ	23,18.51			
	एस	..	23,18.51		18,33.92
101	सहकारिताओं की लेखापरीक्षा				
0099	सामान्य				
1493	सहकारिताओं की लेखापरीक्षा				
	ओ	5,47.25			
	एस	..	5,47.25	5,06.17	(-)41.08

## अनुदान संख्या 36 (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान विनियोग		वास्तविक व्यय		बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)					
<b>2425</b>	<b>सहकारिता</b>					
108	अन्य सहकारिताओं को सहायता					सहायता अनुदान के संबंध में बीई के प्रति कम व्यय।
0099	सामान्य					
2174	पंजीयक सहकारिता					
	ओ	75.00				
	एस	..	75.00	62.50	(-)12.50	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया था; जिसके लिए कारण सूचित नहीं किये गये (जुलाई 2020) थे।					
शीर्ष					वास्तविक व्यय	
					(₹ लाख में)	
<b>2425</b>	<b>सहकारिता</b>					
001	निदेशन एवं प्रशासन					
0099	सामान्य					
0417	अधीक्षण				3.15	

## पूँजीगत अनुभाग

4	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 0.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 85.00 लाख का बजटीय प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ। ₹ 0.98 लाख की अंतिम बचत के किसी भाग को पूर्वानुमानित और अभ्यर्पित नहीं किया गया था। मुख्य शीर्ष 4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में ₹ 85.00 लाख के बजटीय प्रावधान के प्रति निवेश के रूप में ₹ 84.02 लाख का व्यय प्रकट हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.98 लाख की बचत हुयी।					
---	--	--	--	--	--	--



---

परिशिष्ट

---



## परिशिष्ट-I

आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किया गया व्यय
दिनांक 30.10.2019 तक आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से प्राप्त किये गये व्यय की निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

\_\_\_\_\_शून्य\_\_\_\_\_

परिशिष्ट

वसूलियों से संबंधित अनुमानों और वास्तविकताओं का अनुदान-वार विवरण

अनुदान का नाम और संख्या	(को संदर्भित)	
	बजट आंकलन राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
5 लद्दाख मामले विभाग	-	
6 विद्युत विकास विभाग	30,00,00	-
12 कृषि विभाग	-	18,47,75
15 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	-	-
23 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	11,67	-
<b>कुल</b>	<b>30,11,67</b>	<b>18,47,75</b>

## II

## व्यय की कटौती सहित लेखाओं में समायोजित

## पृष्ठ XV पर)

राजस्व	वास्तविक		बजट आंकलनों के साथ तुलना किये गये वास्तविक	
	पूँजीगत		अधिक (+) कम (-) राजस्व	अधिक (+) कम (-) पूँजीगत
			(₹ हजार में)	
-	10,64		-	(+)10,64
-	-		(-)30,00,00	-
-	4,40,08		-	(-)14,07,67
-	2,75,61		-	(+)2,75,61
4,32,94	-		(+)4,21,27	-
<b>4,32,94</b>	<b>7,26,33</b>		<b>(-)25,78,73</b>	<b>(-)11,21,42</b>





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
2020  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)



<http://www.agjk.nic.in>